खण्ड-203, अंक-2
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(13 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुकवार, १३ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्सभी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्तदुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रसड़ा की मुन्सिफी का स्थानान्तरण

**१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या रसड़ा, जिला बलिया की मुन्सिफी तोड़ कर बलिया को स्थानान्तरित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां, मुख्यतः मुन्सिफ के लिये पर्याप्त काम न होने के कारण इस मुन्सिफी को तोड़ना पड़ा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार वहां के लोगों की आवश्यकताओं और मांग को देखते हुये पुनः इस पर विचार करेगी कि रसड़ा की मुंसिफी तोड़ी जाकर बलिया में न जाय?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---विचार करने के बाद ही यह तय हुआ है और हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ राय दी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार हाई कोर्ट को एक बार पुनः विचार करने के लिये आग्रह करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब बार-बार कहना जरा उचित नहीं मालूम होता।

अमिला, दोहरीघाट, कोपागंज, मुबारकपुर टाउन एरियाओं के विरुद्ध शिकायत

**२---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया अमिला, दोहरीघाट, कोपागंज और मुबारकपुर को सुपरसीड करते का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी नहीं।

**३---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि जिलाधीश ने उनमें से किसी टाउन एरिया के खिलाफ कोई रिपोर्ट भेजी थी कि उनको सुपरसीड किया जाय अथवा किसी एक को सुपरसीड किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ऐसा सम्भव है कि शिकायत की जांच जिलाधीश कर रहे हों और चूंकि यह प्रश्न अल्पसूचित था इसलिये सूचना नहीं मंगाई जा सकी ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि आजमगढ़ के भूतपूर्व जिलाधीश ने कोपागंज टाउन एरिया के चेयरमैन को लिखित धमकी दी थी कि इस टाउन एरिया को क्यों न सुपरसीड किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ की जो चार कम्युनिस्ट टाउन एरिया हैं उनके लिये शिकायत की गई है और जिला अधिकारी उनके काम में हस्तक्षेप करके उनको सुपरसीड करने की धमकी दे रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सरकार को यह तो मालूम नहीं है कि वहां कोई कम्युनिस्ट टाउन एरिया हैं, लेकिन वह निर्वाचित हैं और निर्वाचित लोगों के द्वारा वहां का काम संचालित होता है और कोई जिला अधिकारी ऐसी धमकी नहीं देता है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को सूचना है कि अभी ८ मार्च, को एस० डी० एम० घोसी ने, जिसमें दोहरीघाट टाउन एरिया पड़ती है, धमकी दी कि उनकी टाउन एरिया सुपरसीड की जायगी और एक लिखित चार्जशीट ६ फरवरी को उनको दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, धमकी नहीं दी होगी, लेकिन यह हो सकता है कि चार्जशीट दी हो और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह अल्पसूचित प्रश्न था इसलिये इसकी सूचना जिले से नहीं मंगाई जा सकती थी।

पंच सम्मेलन, बख्शी का तालाब में स्वीकृत सुझाव

४---श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)---क्या यह सही है कि गत १ मार्च, १९५९ से सरकार ने बख्शी का तालाब (लखनऊ) पर प्रदेश का पंच सम्मेलन आयोजित किया था ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। यह पंच सम्मेलन गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों के पदाधिकारियों को पंचायत राज ऐक्ट तथा रूल्स के प्राविधानों के विषय में प्रशिक्षण देने, व्यवस्थित ढंग से परस्पर विचार-विमर्श कराने, उनके सुझावों को शासन तक पहुंचाने, उन लोगों में अपने कार्य के लिये रुचि पैदा कराने और उनमें उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

५---श्रीमती राजेन्द्रकुमारी**---क्या स्वशासन मंत्री उक्त पंच सम्मेलन में किये गये निर्णयों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। पंच सम्मेलन में स्वीकृत सुझावों की † प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पंच सम्मेलन में कितना खर्च हुआ और वह खर्च किस विभाग से किसने दिया ?

---

† प्रति छापी नहीं गई।

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे सरकार की ओर से तो इसमें कोई विशेष खर्च नहीं किया गया। उनका एक गांव फंड था, उसका जो सूद था वह खर्च किया गया है। कुछ उन प्रधानों ने अपने आप व्यय करके अपना इन्तजाम किया था।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह महत्वपूर्ण सम्मेलन जैसे इस वर्ष बख्शी के तालाब पर किया गया वैसे ही क्या यह हर साल हुआ करेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसी इच्छा से तो किया गया था और इस साल की कामयाबी देख कर आगामी वर्ष भी इस तरह का विचार किया जायगा।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव-समाज यह प्रस्ताव लेकर आये हैं, आमदनी बढ़ाने के सम्बन्ध में उन पर उनका क्या विचार है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तो यह प्रस्ताव आये हैं, काफी सुझाव हैं, इन सब पर विचार किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पंच सम्मेलन ने जिला परिषदों के बारे में भी कोई सुझाव दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सुझाव तो काफी हैं। उनमें जिला परिषदों से सम्बन्धित भी कुछ सुझाव हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यहां जो निर्णय किये गये उनमें मुख्य-मुख्य निर्णय क्या थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनकी संख्या तो १०० से ऊपर है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---मुख्य उसमें यह है कि पंचायतों के अधिकार बढ़ा दिये जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पंच सम्मेलन ने सरकार के पास यह प्रस्ताव पास करके भेजा है कि लगान वसूली का अधिकार उन्हें दिया जाय और उसका एक हिस्सा ग्राम सभाओं को दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। ऐसा सुझाव भी आया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भी सुझाव आया है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव सीक्रेट बैलेट से हो, हाथ उठा कर न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। एक सुझाव यह भी है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पंच सम्मेलन में कितने पंच सम्मिलित हुए थे और इसके आयोजन में राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो शुरू में आदेश भेजा गया था उसमें यह था कि हर जिले से ५ व्यक्ति आयें, लेकिन अपनी तबियत से कहीं-कहीं अपने खर्चे से एक-एक जिले से १० व्यक्ति तक आये। जहां तक खर्चे का सवाल है यह अभी ३, ४ मार्च को तो यह खत्म ही हुआ है सम्मेलन, इसलिए खर्चे के बारे में अभी बताना सम्भव नहीं है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा सुझाव भी आया है जिसमें यह मांग की गई है कि दोहरे टैक्स न लगाये जायं बल्कि गांव सभाओं को ही अधिकार टैक्स लगाने का दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये भी सुझाव आया है, श्रीमन्।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें कितने पंच सम्मिलित हुये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---३०० से ज्यादा सम्मिलित हुए थे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पंच सम्मेलन के ऐसे कौन से मुख्य सुझाव हैं जिन पर सरकार तत्काल विचार करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, ऐसा कोई भी सुझाव नहीं आया कि जिस पर तत्काल विचार किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि प्रदेश भर के पंचों ने यह रोष प्रकट किया कि जिला परिषदों के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिनको शीघ्र हटा दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं स्वयं उस सम्मेलन में उपस्थित हुआ था, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में श्री मसीउद्दीन के घर से विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति

*१---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के मुहल्ला मीरापुर में इस वर्ष किसी घर से बड़ी मात्रा में बम बनाने का मसाला तथा कुछ देशी बम बरामद हुये हैं ? यदि हां, तो कितने बम तथा कितना मसाला मिला है ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक ६ सितम्बर, १९५८ को श्री मसीउद्दीन, निवासी मुहल्ला मीरापुर, इलाहाबाद के घर से १४ डिब्बे पुलिस ने प्राप्त किया था। इनमें से ६ डिब्बे खाली थे और शेष ८ भरे हुए थे, जो देशी बम प्रतीत होते थे। डिब्बों के अन्दर मसाला कुल लगभग डेढ़ सेर रहा होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वे देशी बम प्रतीत होते थे। तो क्या वे खाली प्रतीत होते थे या वास्तव में देशी बम थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इनका निरीक्षण जो इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज़ है आगरा में उन से करा लिया गया है और मसीउद्दीन का चालान कर दिया गया है और मुकदमा अदालत के विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैंने यह पूछा था कि वह प्रतीत होते थे या वाकई में बम थे ? रिपोर्ट जो आयी है उसमें उनको बम कबूल किया गया है अथवा नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, रिपोर्ट की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मसीउद्दीन साहब जो पकड़े गये तो उन्होंने अपने बयान में कुछ बतलाया कि यह डब्बे उन्होंने किस लिये बनाये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी इस समय श्रीमन्, कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो मसाला इकट्ठा किया गया था वह कानूनन वहां रखना ठीक था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---जब उस पर मुकदमा चल रहा है तो वह कानूनन ठीक कैसे होगा ?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इनको डिब्बा क्यों कहा गया, बम क्यों नहीं कहा गया ? और जो मसाला उसमें निकला उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज की रिपोर्ट यहां नहीं है, लेकिन जो डिब्बे की तरह की चीज थी उसको देख कर ही उसको डिब्बा कहा गया और कानून के खिलाफ चीज थी इसलिये उनका चालान किया गया ।

कोतवाली, लखीमपुर के अन्तर्गत कत्ल

*२---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के कोतवाली लखीमपुर में १ जुलाई, १९५७ से ३० अक्तूबर, १९५८ तक कुल कितने कत्ल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस अवधि में कुल १४ कत्ल हुए ।

*३---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोतवाली लखीमपुर में उक्त अवधि में कत्ल के मामलों में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुईं और उनमें से कितनों के चालान किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुल ३४ व्यक्ति पकड़े गये जिनमें से केवल २९ व्यक्तियों का चालान हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १४ कत्लों के मुकदमों में कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितनों का चालान किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक में फाइनल रिपोर्ट लगी और कुछ में चालान हुआ और कुछ में इन्वेस्टीगेशन चल रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ३४ व्यक्ति पकड़े गये यह कितने केसेज में पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सब केसेज में पकड़े गये और इनमें ५ व्यक्ति वे भी सम्मिलित थे कि जिनके बारे में मैंने बतलाया कि एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---कितने केसेज लोअर कोर्ट से छूट गये और कितने सेशन सुपुर्द किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---दो मुकदमे छूट गये ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १४ कत्ल के केसेज में कितने ऐसे हैं कि जिन में कत्ल के साथ उनका सामान भी लूटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सामान नहीं लूटा गया ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितनी स्त्रियां थीं जिनका कत्ल हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---जल्दी में मैंने देखा है, शायद एक भी स्त्री नहीं थी ।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये समिति का निर्माण

*४---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कचहरियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, योजना कमेटी के रूप में है। परन्तु कमेटी भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कचेहरियों की अन्य खराबियों तथा देर के कारणों पर भी सिफारिश करेगी।

*५---**श्री मुक्तिनाथराय**---यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकार ने इलाहाबाद के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करन का निश्चय किया है जो मातहत अदालतों में भ्रष्टाचार, अन्य खराबियों और देर के कारणों की जांच करेगी और सरकार को इन बुराइयों के दूर करने के विषय में सुझाव देगी।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी निर्माण कब तक हो जायगा और कितने दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश सरकार इसे देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत जल्द यह कमेटी मुकम्मल हो जायगी और रिपोर्ट के लिये समय निश्चित करना सरकार उचित नहीं समझती चूंकि कमेटी खुद ही जल्दी करेगी।

श्री मुक्तिनाथराय---इस कमेटी में जज अध्यक्ष के अतिरिक्त कौन-कौन सदस्य होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एडवोकेट जनरल, कुछ लेजिस्लेचर के मेम्बर करीब ३, कुछ नान-आफिशियल्स होंगे और कुछ लाइयर्स कान्फ्रेन्स के रिप्रेजेंटेब्जि होंगे और एल० आर० भी होंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या वह कमेटी खुली जांच करेगी जिसमें हर तरह के रिप्रेजेन्टेशन भी किये जा सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जवाब में बता दिया गया है कि वह क्या-क्या काम करेगी।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---जजों के अतिरिक्त दूसरे सदस्य कैसे चुने जावेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकार नामजद करेगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---ये कमेटियां हर जिले के लिये अलग-अलग होंगी या सूबे भर के लिये एक होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह स्टेट लेविल पर बनाई गई है।

रूपा डाकू और पुलिस में मुठभेड़

*६---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरे जिले के कुख्यात डाकू रूपा के दल से (मानसिंह के मारे जाने के बाद से अब तक) पुलिस से कितनी बार मुठभेड़ हुई तथा इनमें कितने पुलिस के जवान मारे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---४ बार। पुलिस का कोई जवान नहीं मारा गया।

कुंवर श्रीपालसिंह---इन मुठभेड़ों में कुछ डाकू मारे गये थे या नहीं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक डाकू रामदत्त मारा गया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पुलिस के जवानों के बारे में जो कहा गया वह आगरे के संबंध में ही है या मध्य प्रदेश का भी इसमें शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सिर्फ आगरे का ही सवाल है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---ये मुठभेड़ें कहां-कहां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ बाह थाने में, १ थाना जैतो में, १ थाना बिनहट में और १ थाना बड़पुरा में ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जो यह चार बार मुठभेड़ हुई इसकी ड्यूरेशन फायरिंग की कितनी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---इन मुठभेड़ों के पहले जिन लोगों ने पुलिस को डाकुओं की इत्तला की थी क्या उनको डाकुओं ने मार दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन सरकार को मालूम है कि ये डाकू जिस पर ऐसा शक कर लेते हैं उसे मार डालने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री उग्रसेन---रूपा दल के डाकुओं के भीषण प्रकोप को समाप्त करने के लिये इस क्षेत्र में कितनी पुलिस लगाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---विस्तार से बताने के लिये तो नोटिस चाहिये । वैसे वहां पर काफी पुलिस है, पी० ए० सी० भी है जिससे उन लोगों का ऐक्शन ज्यादा न बढ़ सके ।

हरिजनों के मकानों व कुओं के लिये अनुदान

*७---**श्री मनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में जो धन हरिजनों के मकानों व कुओं के निर्माण हेतु स्वीकृत था उसमें से कितना धन व्यपगत हो गया ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---कोई धन व्यपगत नहीं हुआ ।

*८---**श्री मनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार उक्त वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिलेवार हरिजनों के मकान व कुओं के निर्माण हेतु कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यक सूचना संलग्न सूचियां (अ) और (ब) में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४९-२५१ पर)

अम्बुआपुर निवासी बहोरी कुर्मी का कत्ल

*९---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना लखीमपुर हल्का नं० २, ग्राम अम्बुआपुर में बहोरी कुर्मी का कत्ल कब हुआ था और उसकी तफतीश कितने दिन बाद हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री बहोरी कुर्मी के गुम होने की सूचना थाना कोतवाली पर ५-२-५७ को हुई और उनकी लाश ९-२-५७ को खेत में बरामद हुई । तुरन्त ही मुकदमा कायम होकर विवेचना आरम्भ की गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किन दरोगा को सौंपी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सब-इंसपेक्टर घासीराम को जो वहां उस समय नियुक्त थे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जांच सौंपे जाने के बाद कितने दिन बाद दरोगा जी मौके पर पहुंचे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस कत्ल के मुकदमे में अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ या नहीं ? यदि हुये, तो कितने ?

श्री रामस्वरूप यादव---दो का चालान किया गया था जो न्यायालय से २५ अप्रैल, सन् १९५८ को मुक्त हो गये ।

श्री शिवप्रसाद नागर---ये लोअर कोर्ट से छूटे या सेशन से छोड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो इत्तला मेरे पास है उसे पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि लोअर कोर्ट से छोड़ दिये गये ।

लखनऊ में गोमती में डूब कर आत्म-हत्या के मामले

*१०---**कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९५८ में लखनऊ के गोमती नदी पर बने मोती महल पुल पर से नदी में कूद कर आत्म हत्या करने के कितने मामले हुये तथा क्या उनमें से कोई मरने से पहले बचा लिया गया ? यदि हां, तो कितने ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिसम्बर, १९५८ में ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ६ दिसम्बर, सन् १९५८ को लड्डन नाम के एक सरकारी कर्मचारी सुबह ७ बजे मोती महल से गोमती में कूद कर अपनी जान देने का प्रयत्न किये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर दिसम्बर में यह नहीं हुआ तो क्या नवम्बर में हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---२२ अगस्त, सन् १९५८ को एक शख्स छोटनलाल का केस था और दूसरा मामला हुआ था बालगोविन्द का इन दो के बारे में रिपोर्ट हुई थी ।

खेड़ा ग्राम के निकट छेदालाल पटुवा का शव मिलना

*११---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि दिसम्बर, १९५७ में हल्द्वानी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गोलापार क्षेत्र में हल्द्वानी शहर के एक नागरिक की रहस्यमय ढंग से हत्या हो गई ?

*१२---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में हत्यारों को पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२० दिसम्बर, १९५७ को गोला नदी के खेड़ा गांव के नजदीक ढांग के नीचे श्री छेदालाल पटुवा, दुकानदार, हल्द्वानी की लाश मिली । जांच से व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से श्री छेदालाल की मृत्यु इत्तफाकिया होनी पाई गई । संभवतः करीब ५० फीट ऊंची ढांग से गिरने से हुई । अतः हत्यारों को पकड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नर्सों और कम्पाउन्डरों के प्रशिक्षण केन्द्र

*१३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में नर्स तथा कम्पाउन्डर की शिक्षा देने के लिये किन-किन जिलों में सेन्टर रखे गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रदेश में नर्स तथा कम्पाउन्डर की शिक्षा देने के लिये निम्नलिखित जिलों में केन्द्र रक्खे गये हैं :--

नर्स की शिक्षा के लिये

१---लखनऊ में	..	..	..	२ केन्द्र
२---आगरा में	..	..	..	२ ,,
३---कानपुर में	..	..	..	२ ,,
४---बरेली में	..	..	..	१ ,,
५---मेरठ में	..	..	..	१ ,,
६---इलाहाबाद में	..	..	..	१ ,,
७---गोरखपुर में	..	..	..	१ ,,

कम्पाउन्डर की शिक्षा के लिये

१---लखनऊ में	..	..	..	१ केन्द्र
२---इलाहाबाद में	..	..	..	१ ,,
३---कानपुर में	..	..	..	१ ,,
४---मेरठ में	..	..	..	१ ,,
५---वाराणसी में	..	..	..	१ ,,
६---बरेली में	..	..	..	१ ,,
७---अलीगढ़ में	..	..	..	१ ,,
८---गोरखपुर में	..	..	..	१ ,,
९---आगरा में	..	..	..	१ ,,
१०---झांसी में	..	..	..	१ ,,
११---नैनीताल में	..	..	..	१ ,,
१२---सहारनपुर में	..	..	..	१ ,,

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन केन्द्रों में कुल कितने कम्पाउन्डर और नर्स शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कम्पाउन्डर्स मेल २०८ और फीमेल २४ ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कम्पाउन्डरों और नर्सों के लिये किस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां तक मुझे याद पड़ता है साइंस के साथ हाई स्कूल ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन लोगों को जो ट्रेनिंग के लिये लिये जाते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नर्सेज का चुनाव एक कमेटी के द्वारा होता है और कम्पाउन्डरों का कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन से होता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन कम्पाउन्डरों और नर्सेज को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गवर्नमेंट सर्विस में ले लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जितनी जगह खाली रहती हैं, उन पर उनको तैनात कर लिया जाता है और जैसे जैसे खाली होती रहती हैं उनको तैनात किया जाता है।

राजनीतिक पीड़ित पेंशन देने के आधार

*१४---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---राजनीतिक पीड़ित पेन्शन या राजनीतिक [illegible]तों के बच्चों को वजीफे दिये जाने के संबंध में १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजनीतिक पीड़ित पेन्शन किस आधार पर दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---राजनीतिक पीड़ित पेंशन प्रार्थियों की आयु, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति व जेल यात्रा को विचार में रख कर दी गई है।

*१५---**श्री रामशरण यादव**---१५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दी गई राजनीतिक पीड़ित पेन्शन की रकमों का रेट एक ही है या भिन्न भिन्न है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भिन्न-भिन्न है।

*१६---**श्री रामशरण यादव**---१५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वे एम० पी० व एम० एल० ए० चुने जाने के पहले से पेन्शन पा रहे थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पेंशन पाने के लिय आयु की उन्होंने कौन सी अवधि मुकर्रर की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---५० वर्ष से ऊपर।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४२ के पहले और उसके बाद जेल यात्रा की अवधि क्या रखी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कम से कम ६ माह।

*१७---१९---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

फाइलेरिया की रोक-थाम के काम

*२०---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्रों में फाइलेरिया नाम की महामारी का प्रकोप है और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में इस महामारी के उन्मूलन तथा उससे पीड़ित लोगों की चिकित्सादि के लिये क्या-क्या किया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह---

(अ) फाइलेरिया की बीमारी अधिकतर पूर्वी जिलों में तथा झांसी और इलाहाबाद डिवीजन के कुछ जिलों में पाई जाती है।

(ब) फाइलेरिया के नियंत्रण के लिये ६ संस्थायें बलिया, बाराबंकी, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर और वाराणसी में स्थापित की गई हैं।

फाइलेरिया के रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते रहे हैं :--

(१) डाइथेलकारबैमेजीन (Diethylcarbamazine) की गोलियां इस बीमारी से बचाने के लिये हर आदमी को ५ दिन तक दी जाती हैं।

(२) मच्छरों तथा उनके अंडों को मारने की व्यवस्था शहरों में और मच्छरों को मारने की व्यवस्था देहातों में की जाती है ।

(३) नियंत्रण संस्थाओं (control units) के अलावा तीन सर्वे संस्थायें (survey units) भी स्थापित की गई हैं जो कि जांच करती फिरती हैं कि किन किन जिलों में यह बीमारी कितनी मात्रा में फैली है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जब झांसी और इलाहाबाद डिवीजनों में भी इस बीमारी का जोर है तब वहां पर भी ये संस्थायें कायम क्यों नहीं की गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---फंड के हिसाब से काम किया जा रहा है, जैसे जैसे फंड दस्तयाब होगा, वैसे वैसे काम का विस्तार किया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो तीन उपाय काम में लाये जा रहे हैं यह कब से लाये जा रहे हैं, उनका परिणाम क्या हुआ, क्या उनके आंकड़ों की रिपोर्ट सरकार के पास है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह कंट्रोल यूनिट्स ५७-५८ से शुरू हुए हैं । इस वक्त उसके मुताबिक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या यह सही है कि इस बीमारी का प्रकोप गोरखपुर डिवीजन के खासतौर पर बहराइच में ज्यादा है ? यदि हां, तो इस बीमारी को दूर करने के लिये सरकार ने खासतौर पर वहां क्या इलाज किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---खासतौर पर बहराइच में ही इसका प्रकोप नहीं है बल्कि मुझे बरसात की तरफ की भी कुछ खबर मिली है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विशेषज्ञों की राय से यह बीमारी किन कारणों से होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने यह बात उनसे पूछी नहीं ।

एच० टी० सी० के चुनाव में मैनपुरी जिले के अभ्यर्थी

*२१---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले से जून, १९५८ ई० में एच० टी सी० के चुनाव के लिये डिप्टी डायरेक्टर, आगरा के पास कुल कितने लड़कों के नाम भेजे गये थे और उनमें किस-किस योग्यता के कितने-कितने लड़के थे और किस किस योग्यता के कितने-कितने लड़के लिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---१३४ अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हुए थे । इंटर २७, हाई स्कूल ६४ मिडिल या जूनियर हाई स्कूल ३९, कक्षा ८ उत्तीर्ण २, प्रथमा १ था तथा १ अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता का विवरण नहीं दिया था । इंटर १४, हाई स्कूल २२, मिडिल या जूनियर हाई स्कूल ३२, कक्षा ८ उत्तीर्ण २ चुने गये ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १३४ नाम बतलाये गये हैं उनमें हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन भी थे तब उनको क्यों छोड़ दिया गया और जूनियर हाई स्कूल थर्ड डिवीजन पास को क्यों लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जिले स्तर पर एक कमेटी हुआ करती है जो सीनियारिटी को देखती है कि कितने दिनों तक किस अभ्यर्थी ने किसी स्कूल में काम किया है, तो इसका भी लिहाज रखा जाता है । अगर हर इंटर पास को ले लिया जाया करे एच० टी० सी० के लिये तो सब से कम योग्यता जो मिडिल की उसके लिये रखी गयी है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाय ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका जो चुनाव होता है वह केवल सीनियारिटी के आधार पर होता है या उसके साथ साथ और भी कुछ योग्यता देखी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे हर कमेटी अपने-अपने नियम बनाती है और सभी कार्यों का खयाल किया जाता है। जिसने कई वर्ष तक उम्मीदवार की हैसियत से जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों में काम किया है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है और कुछ फर्स्ट क्लास अच्छे विद्यार्थी मिल जाते हैं तो उनको भी ले लिया जाता है।

चमोली तहसील में न्यायाधिकारियों की आवास तथा कार्य-व्यवस्था

*२२---**श्री घनश्याम डिमरी** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल की चमोली तहसील में सिविल व सेशन्स जज तथा मुन्सिफ के रहने व कोर्ट करने के लिये भवनों की क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सिवल एन्ड सेशन्स जज, टेहरी और मुन्सिफ, पौरी मुकदमे करने के लिये चमोली आने पर पी० डब्लू० डी० के इन्सपेक्शन हाउस में ठहरते हैं। उनके इजलास खेमे में होते हैं।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के विचाराधीन मुकदमे

*२३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के प्रति जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां सन् १९५७ व १९५८ में दायर किये गये माल संबंधी व फौजदारी संबंधी मुकदमें अब तक कितने-कितने विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५२ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ३१८ मुकदमे मैनपुरी जिले में माल और फौजदारी के ५७-५८ में दायर किये गये जो विचाराधीन हैं, वहां के अधिकारियों को यह आदेश देने की कृपा करेगी कि वहां की जनता की परेशानियों को दूर करने के लिये उनको जल्द ही तय कर दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, वह तो समय समय पर ऐसे आदेश दिये जाते रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को निगाह में रखते हुए कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालतों में मुकदमें बहुत समय से पड़े हुए हैं तो क्या वह उनसे जवाब तलब करेगी कि क्यों न उनको हटा दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनके लिये हाईकोर्ट की तरफ से स्टे आर्डर आ गया है, तो क्या उसके लिये उनको बरख्वास्त कर दिया जाय ?

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालतों में ऐसे कितने मुकदमें पड़े हुए हैं जिनके ऊपर तारीखें १० से ज्यादा बार डाली गयी हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इस समय तादाद बतलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई वजूहात होती हैं जिनकी वजह से तारीख बढ़ानी पड़ती है।

*२४---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गया]।

हरिजन कल्याण अधिकारी

*२५—**श्री मुरलीधर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने सीनियर सर्विस के हरिजन वेलफेयर आफिसर श्रेणी ३ के नगरों में नियुक्त हैं और कितने जूनियर सर्विस के हरिजन वेलफेयर अफसर "कवाल टाउन्स" में नियुक्त हैं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—इस विभाग के अन्तर्गत कोई जिला हरिजन कल्याण अधिकारी सीनियर या जूनियर सरविस के नहीं हैं। उनकी सेवायें समान वेतन-क्रम में एक ही प्रकार की हैं।

श्री मुरलीधर—क्या यह सही है कि कुछ जिला हरिजन अधिकारी जिन्होंने बाद में सर्विस ज्वाइन की कवाल टाउन्स में हैं बजाय उनके जिनकी सर्विस उनसे ज्यादा है ?

श्री इस्तफा हुसैन—हां, ऐसा है कि जो बाद में नियुक्त हुए उनमें से एक को बड़े शहर में नियुक्त किया गया। लेकिन ऐसा उसी समय किया जाता है जब कि कोई पुराना आदमी, जो १९५० में भरती हुए थे, उनमें किसी का कार्य अच्छा नहीं था।

श्री प्रताप सिंह—इस समय प्रदेश भर में कितने हरिजन वेलफेयर अफसरों में से हरिजन लोग हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—५१ और उसके अलावा १ हैडक्वार्टर पर।

श्री शिवप्रसाद नागर—५१ अफसरों में से हरिजन कितने हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो पहले रीजनल हरिजन वेलफेयर अफसर थे और आज डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर अफसर के रूप में काम कर रहे हैं और उनका स्केल भी अधिक है उन्हें कवाल टाउन्स में रखा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह जरूरी नहीं है। जहां जरूरी समझा जाता है वहीं नियुक्ति की जाती है हर अफसर की।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में हरिजन ही हरिजन वेलफेयर अफसर के लिये नियुक्त किये जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जायेंगे यह लोग और वहां जो लोग इसके योग्य पाये जायंगे वही रखे जायंगे।

झांसी जिले में हरिजनों को कुंओं व कृषि के लिये अनुदान

*२६—**श्री मुरलीधर**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि D. P. O. झांसी के परसनल लेजर में कितने लाख रुपया हरिजनों के कूपों तथा कृषि संबंधी सहायता के लिये इस समय है वह कब से खर्च नहीं किया गया है और कब तक उसे खर्च किया जायेगा ?

श्री इस्तफा हुसैन—हरिजनों के कुओं के लिये २८,४७२ रुपये तथा कृषि की सहायता के लिये १६,००० रुपये है।

कुओं का धन आवश्यकतानुसार खर्च किया जा रहा है। कृषि संबंधी सहायता का धन जो सन् १९५७-५८ में स्वीकृत हुआ था अभी खर्च नहीं हुआ है। प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये हैं और आशा की जाती है कि उक्त धनराशि भी शीघ्र खर्च हो जायगी।

श्री मुरलीधर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रकम कब से नहीं खर्च की गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह रकम कब से नहीं खर्च की गई ? वह तो हर साल जो रकम रखी जाती है उसमे रुपया व्यय होता है, जो बच जाता है वह आगे साल भी खर्च किया जाता है और यह रकमें १९५३-५४ से कुछ बचती चली आ रही हैं।

श्री मुरलीधर---क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह रकम इसलिये खर्च नहीं हुई कि इसके लिये पब्लिसिटी नहीं की गई और ऐप्लीकेशन फार्म नहीं थे आफिस में ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी बात नहीं है। पब्लिसिटी जरूर की गई, लेकिन जो शर्तें रखी गईं उनको पूरा करते हुए दरख्वास्तें नहीं होती हैं। इस वास्ते पूरा खर्च नहीं हो पाता है।

श्री रामदास आर्य---क्या यह सही है कि हरिजनों से इस संबंध में कुछ रुपया एकत्रित किया जाता है और वह बेचारे गरीबी की वजह से नहीं दे पाते इसलिये वह धन नहीं खर्च किया जा रहा है ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---जो हरिजनों के कुंओं के लिये रुपया रखा गया है कृषि कार्य के लिये उसमें से शहरी एरिया में जो किसान हैं उनके लिये भी कुछ दिया जायगा ?

श्री इस्तफा हुसैन---शहरी क्षेत्र के वास्ते यह रकमें नहीं हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार उस क्षेत्र के हरिजनों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नियम में परिवर्तन करने की कृपा करेगी ताकि रुपया खर्च किया जा सके ?

श्री इस्तफा हुसैन---परिवर्तन के वास्ते अभी तो समय नहीं है। उसको देखा जायगा। बाद में अगर रुपया खर्च नहीं हो पाएगा तो फिर कोई बात सोची जाएगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि हरिजनों के कुओं के संबंध में सरकार का नियम है कि वह कुएं को पानी निकलने तक पहले खोद लें तब सरकार से मदद मांगें, और इसी वजह से रुपया नहीं दिया जा सका है ?

श्री इस्तफा हुसैन---श्रमदान करते रहते हैं। उसका भी वैलुएशन होता है। यह श्रमदान चाहे कुंएं खोदने के सिलसिले में हो चाहे और किसी प्रकार से हो उसका वैलुएशन भी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न का जबाब नहीं हुआ। वह पूछते हैं कि क्या रुपया तब दिया जाता है जब पानी कुंएं में निकलता है और इस वजह से रुपया नहीं खर्च होता है।

श्री रामस्वरूप यादव---जब तक वह कुछ काम कर नहीं लेंगे तब तक उनको सरकार का अनुदान कैसे दिया जा सकता है। ५० परसेन्ट उनको करना होता है। उतना काम वह कर लें तभी रुपया दिया जा सकता है।

श्री बलवानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि रुपया जितना दिया जाता है तो कुछ हैसियत देख कर भी दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हैसियत देख कर रुपया नहीं दिया जाता। यह देखा जाता है कि कितने रुपये में बन जाएगा। उसका ५० प्रतिशत ही तो यहां से दिया जा सकता है।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ से अब तक हर साल जो पैसा बचा उसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वहां के जो लोग हैं वह अपना हिस्सा देने के लिये तैयार नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रमदान का जो वैलुएशन किया जाता है, इसके लिये दरख्वास्त पड़ने के कितने दिन बाद अधिकारी वैलुएशन के लिये जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला प्लानिंग के समय आमतौर से क्षेत्र के आधार पर यह अन्दाज होता है कि इस क्षेत्र में इतना रुपया खर्च हो रहा है। अगर कुएं के लिये दिया जाय तो हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर होता है तो उसके द्वारा करा लिया जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मेरा प्रश्न है कि दरख्वास्त पड़ने के कितने दिन बाद हरिजन वेलफेयर का अधिकारी जाता है ?

श्री इस्तफा हुसैन---ठीक दिन तो निश्चित नहीं है कि दरख्वास्त पड़ने के कितने दिन बाद जाय।

फीरोजाबाद से कढेरों की मांगें

*२७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (आगरा) तथा श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार के पास कढेरों (हिन्दू धुनियों) की १९ दिसम्बर, १९५८ को फीरोजाबाद (आगरा) में होने वाली मीटिंग द्वारा पास किया हुआ कोई प्रस्ताव आया है जिसमें मुस्लिम धुनियों की तरह इन धुनियों को भी बैकवर्ड क्लास में शामिल करने की प्रार्थना की गई है। अगर हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां। मामला विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार का इरादा है कि चालू वित्तीय वर्ष तक ही वह अपना निर्णय इस संबंध में कर लें ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी नहीं ?

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस पर विचार नहीं किया जा सका, इसका क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन---केन्द्रीय सरकार इस किस्म के निर्णय करती है और जब वहां से निर्णय आ जाता है तब हमारी सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश करती है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रस्ताव सरकार के पास कब आया और सरकार ने इसे केन्द्रीय सरकार के पास कब भेज दिया ?

श्री इस्तफा हुसैन---यह प्रस्ताव १९ दिसम्बर, १९५८ को आया और ऐसे प्रस्ताव के साथ-साथ अपनी राय हमारी सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार को भेजती रहती है।

अतर्रा में पुलिस थाने की मांग

*२८---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि अतर्रा (बांदा) जो उत्तर प्रदेश की अनाज की अच्छी मन्डियों में है, के व्यापारी अपनी रक्षा के लिये पुलिस चौकी की बजाय वहां थाना कायम करने के लिये कई वर्षों से निरन्तर प्रार्थना कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह कब तक वहां थाना कायम करने की कृपा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां। इस प्रस्ताव पर सरकार १९५९-६० की नई मांगों के अन्तर्गत विचार कर रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का विचार करते हुए कि वहां के व्यापारियों की यह बहुत पुरानी मांग है, सन् १९५९-६० के अनुदान के स्वीकृत होते ही वहां की चौकी को थाने में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां ।

*२९-३०---**श्री गरीब दास**---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरिजन कल्याण विभाग जालौन से कुंओं के लिये सहायता

*३१---**श्री गरीबदास**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में जिला जालौन में हरिजन सहायक विभाग द्वारा परिगणित जातीय व्यक्तियों को कितना धन कितने कुंयें निर्माण करने के लिये दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---२,५०० रु० ।

श्री गरीबदास---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने कुओं की सहायता के लिये रुपया दिया गया और कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री इस्तफा हुसैन---कितने प्रार्थना-पत्र आये थे इसकी सूचना इस वक्त नहीं है, लेकिन सहायता ४ को दी गई थी ।

श्री गरीबदास---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहायता देने के लिये प्रचार का ढंग क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन---समय-समय पर हरिजन कल्याण विभाग की ओर से और प्लानिंग विभाग की ओर से गांव सभाओं और तमाम देहाती क्षेत्रों के लोगों को अवगत कराया जाता है ।

खानाबदोशों को बसाने की व्यवस्था

*३२---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में खानाबदोश जातियों के पुनर्वास के लिये किस-किस जिले में क्या-क्या व्यवस्था की गई है तथा खानाबदोश जातियां कौन-कौन सी हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---अभी तक झांसी, बांदा तथा देहरादून में खानाबदोश जातियों के कुछ परिवार बसाये जाने के लिये सरकार द्वारा योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिनमें उन्हें रहने के लिये मकान, कृषि साधनों तथा कुटीर उद्योग आदि की व्यवस्था की गई है ।

खानाबदोश जातियों की कोई अधिकृत सूची नहीं है परन्तु ३८ जातियां जिनकी सूची संलग्न है प्रदेश में खानाबदोश समझी जाती हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५३ पर)

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार ने कई वर्ष पहले इन खानाबदोश जातियों के सुधार की योजना बनाई थी तो अभी तक इन जातियों की अधिकृत सूची क्यों प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी बातें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन रहती हैं, सूची वहीं से आती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वामी लोग भी खानाबदोश जातियों में माने जाते हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसी बात नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ३८ जातियां खानाबदोश बताई गई हैं उन्हें किस आधार पर चुना गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—कमीशन के जरिये से यह नहीं हैं बल्कि पहले से बनी हुई हैं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—श्रीमन्, मेरी शिकायत है कि संलग्न तालिका जो दी गई है वह साफ नहीं छपी है, इससे पढ़ा नहीं जा सकता कि कौन जातियां खानाबदोश हैं, अतः या तो यह सूची मेरे पास फिर से साफ भेज दी जाय या पढ़ दी जाय, जो सूची मेरे पास है उससे केवल ४ नाम मैं पढ़ सका हूं गोसाई, सिकलीगर, कनमैलिया, ब्रजवासी—तो इन को किस तरह से खानाबदोश जातियों में शुमार किया गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—जो जातियां ऐसी हैं कि जिनका ठिकाना नहीं रहता और इधर-उधर जाकर गुजर का बन्दोबस्त करती हैं उन्हीं को खानाबदोश कहते हैं।

क्षय रोग रोकने के लिये प्रार्थना

*३३—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के वित्तीय वर्षों में क्षय के रोग से पीड़ित रोगियों की प्रदेश के किस-किस जिले में जांच कराई गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार ने इस तरह की कोई जांच नहीं कराई है।

*३४—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—उपर्युक्त अवधि में इस रोग से पीड़ित कितने-कितने रोगी किस-किस जिले में पाये गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्षय का रोग प्रदेश भर में और खास कर बड़े-बड़े शहरों में भीषण रूप से फैल रहा है और यह संक्रामक रोग है तो इससे पीड़ित रोगियों की जांच न कराने का अब तक क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सवाल में इख्तलाफ राय हो सकता है। अब तक जरूरत नहीं समझी गयी, आइंदा जब समझी जायगी तो की जा सकती है।

देवरिया जिले में खुलने वाले हेल्थ यूनिट सेण्टर तथा मलेरिया विरोधी अभियान पर व्यय

*३५—**श्री उग्रसेन**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में देवरिया जिले में कौन-कौन स्थानों पर "हेल्थ यूनिट सेन्टर" खोलने की सिफारिश विभाग द्वारा की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९५७-५८ में जिलाधीश, देवरिया ने देवरिया जिले में निबुआ-नौरंगिया तथा फाजिलनगर नामक ग्रामों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सिफारिश की थी। सन् १९५८-५९ में जिलाधीश, देवरिया से अभी तक कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

*३६—**श्री उग्रसेन**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, देवरिया ने जिन स्थानों पर हेल्थ सेन्टर खोलने की संस्तुति सरकार के पास भेजा था उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---देवरिया जिले में निम्नलिखित स्थानों पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये :

१९५७-५८ में फाजिलनगर में,

१९५८-५९ में बैतालपुर में ।

*३७---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में मलेरिया विरोधी अभियान में कितना व्यय हुआ और कितने गांवों में काम हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---देवरिया जिले में मलेरिया विरोधी अभियान में ३१-१-५९ तक १,६७,२४२रु० १६ न० पै० व्यय हुये है तथा १,९११ गांवों में डी० डी० टी० का छिड़काव हुआ है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हेल्थ यूनिट सेन्टर जो निबुआ, नारंगिया तथा फाजिनलगर में खोले गये हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---काम कर रहे हैं । अच्छी प्रगति है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कितनी दाइयां हैं और कितने जच्चा-बच्चा के केन्द्र खोले गये हैं, इसका कोई विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिटेल के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर तहसील कितने-कितने गांवों में यह डी० डी० टी० का छिड़काव हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१,९११ गांव हैं कुल स्कीम के अन्दर और तहसीलवार सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अब यह काम बन्द कर दिया गया है और जिले का बहुत हिस्सा अभी वंचित है छिड़काव से ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पूरा-पूरा सब कवर कर लेना सारे जिले को जरा मुश्किल है ।

श्री बलवानसिंह---क्या मैं जान सकता हूं कि डी० डी० टी० के छिड़काव के बाद तीसरे दिन मच्छर फिर पैदा हो जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---शहर के मच्छर सख्त जान होते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मलेरिया विरोधी अभियान में लगभग १,६५,००० रुपया खर्च हुआ है यह किन-किन खास-खास मदों में खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दवाइयों के छिड़काव वगैरह में, कुछ आने जाने के सफर वगैरह में खर्च हुआ है ।

जिला हरिजन सहायक समितियों की समाप्ति तथा सामाजिक कार्यकर्ता

*३८---**श्री माता प्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १४ नवम्बर, सन् १९५८ ई० से जिला हरिजन सहायक उप समितियां समाप्त कर दी गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*३९--**श्री माताप्रसाद**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन से ऐसे जिले हैं जहां अभी तक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रखे गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--निम्नलिखित १० जिलों में अभी तक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रखे गये हैं --

१--बुलन्दशहर
२--एटा
३--बदायूं
४--शाहजहांपुर
५--कानपुर
६--फतेहपुर
७--झांसी
८--जौनपुर
९--नैनीताल
१०--टेहरी-गढ़वाल

श्री माताप्रसाद--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिससे हरिजन सहायक उप-समितियां तोड़ दी गयी हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--यह समितियां तोड़ी तो क्या गयी, ये तो अन्तरिम जिला परिषद् के बन जाने से जो जिला नियोजन समितियां समाप्त हुईं तो उनकी उप-समितियां होने के कारण ये भी समाप्त हो गयीं ।

श्री माता प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी जिला अन्तरिम परिषद् के अन्तर्गत हरिजन सहायक समितियों के पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । वह शीघ्र ही संगठित हो जायंगी ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के अन्दर अन्य जिलों में सोशल वर्कर्स रखे गये किन्तु इन १० जिलों में क्यों नहीं रखे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनको रखने के लिये भी आदेश भी जारी हो रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सोशल वर्कर्स का काम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ये हरिजनों की सहायता और कल्याण के काम करते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्या पुरस्कार मिलता है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता तो नहीं है किन्तु आपको याद हो तो बता दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--वेतन तो नहीं मिलता लेकिन उनको कुछ आनरेरियम दिया जाता है ।

श्री राजनारायण--मैंने पुरस्कार के लिये ही पूछा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह पुरस्कार कदाचित् ५० रुपये है ।

*४०--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[हटा दिया गया ।]

हेल्थ आफिसर पीलीभीत की बदली

*४१--**श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)**--क्या सकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जिनमें उसी जिला हेल्थ आफिसर को रहते हुये तीन साल से अधिक हो गए हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--एक ।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन जिला है जिसमें हेल्थ आफिसर को तीन साल से अधिक हो गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वही पीलीभीत है । मैंने उसकी तब्दीली का हुक्म दे दिया है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---क्या कारण है कि उनका तबादला किया गया और वहां के एम० पी० और कांग्रेस कमेटी के कर्मचारियों की शिकायत आयी है, वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यहां एक प्रश्न हुआ था उससे मालूम हुआ कि शिकायत है कि उनको तीन वर्ष से ज्यादा हो गया लिहाजा उनका ट्रांसफर कर दिया ।

ललितपुर सब डिवीजन के पाली ग्राम में थाना स्थापित करने की मांग

*४२---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या यह सही है कि ललितपुर सब-डिवीजन झांसी जिले में वह कितने थाने व नई पुलिस चौकियां खोलने जा रही है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५९-६० की नई मांगों के अन्तर्गत केवल ग्राम पारों में एक नई पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम पाली, तहसील ललितपुर की करीब ७ हजार आबादी है । क्या सरकार वहां पर कोई थाना खोलने का प्रबंध करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी वह सम्भव नहीं है ।

श्री गज्जूराम ---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम पाली के आसपास जंगल ज्यादा होने के नाते वहां डाकुओं का अड्डा रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वहां पर बराबर चौकियां और थाने कायम किये जा रहे हैं । कई जगह चौकियां कायम की गयी हैं जिनको अपग्रेड किया गया है थानों के हिसाब से । २ जगह नई चौकियां भी कायम कर रहे हैं । उस तरफ हमारी दृष्टि है और उसकी बराबर स्थापना होती जाती है ।

अलीगढ़ जिले में आनेरेरी मैजिस्ट्रेटों के रिक्त स्थान

*४३---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले की किन-किन तहसील में आनरेरी मजिस्ट्रेटों के बेंच के स्थान रिक्त हैं ? क्या स्थानीय सेलेक्ट कमेटी द्वारा इन स्थानों की पूर्ति के लिये सरकार के पास कोई सिफारिश आई है ? यदि हां, तो कब आई है और सरकार इसका निर्णय कब तक करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---केवल खेर तहसील की बेंच में एक स्थान रिक्त है । जिले से इस स्थान की पूर्ति के लिये सिफारिश १९ जुलाई, १९५८ को आई थी जो विचाराधीन है ।

*४४---**श्री अनन्तराम वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में कितने आनरेरी मजिस्ट्रेटों के स्थान रिक्त हैं क्या इनमें से किसी स्थान की पूर्ति के लिये स्थानीय सेलेक्ट कमेटी द्वारा सरकार के पास कोई सिफारिश आई है ? यदि हां, तो कब आई है और उसका निर्णय सरकार कब तक करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो । इनमें से एक पर एक आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट की पुनर्नियुक्ति तथा दूसरे की पूर्ति के लिये १० मई तथा २४ जून, १९५८ को सिफारिश आई थी जो विचाराधीन है । इस विषय में निर्णय करने में समय लगेगा ।

नोट---तारांकित प्रश्न ४२ के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

फीरोजाबाद में क्षय रोगियों के लिये नई इमारत

*४५—**श्री गंगाधर जाटव** (जिला आगरा)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल फीरोजाबाद में क्षय रोगियों के लिये जो ६४ शैय्याओं की इमारत नयी बनी है वह रोगियों के लिये कब तक प्रयोग में लायी जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आशा है शीघ्र ही इसका प्रयोग शुरू हो जायेगा।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर की अध्यापिकाओं के विरुद्ध शिकायत

*४६—**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी**—क्या यह सत्य है कि माह जनवरी, १९५९ में मान्डलीय निरीक्षिका तृतीय मंडल इलाहाबाद निरीक्षण के हेतु हमीरपुर गई और निरीक्षण के दौरान में हमीरपुर के अभिभावकों ने कुछ अनुशासन हीन अध्यापिकाओं (राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर) के विरुद्ध शिकायतें कीं और उनके स्थानान्तरण की मांगें कीं ? यदि हां, तो उस पर विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। यह सत्य है कि मंडलीय निरीक्षिका, तृतीय मंडल, इलाहाबाद माह जनवरी, १९५९ में हमीरपुर निरीक्षण हेतु गयी थीं। उस समय कई सज्जन उनसे मिले और उन्होंने निरीक्षिका से यह शिकायत की कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय हमीरपुर की कुछ सहायक अध्यापिकायें अपने प्रधानाचार्य की आज्ञाओं का उल्लंघन करती हैं। इस पर निरीक्षिका ने जांच की और एक अध्यापिका को दोषी पाया। उसका स्थानान्तरण कर दिया गया।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल पौड़ी गढ़वाल की इमारत

*४७—**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल पौड़ी-गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु सरकार ने मुआवजा देकर भूमि प्राप्त की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

४०० रु० देकर १९३६ में खरीदी गई थी।

*४८—**श्री चन्द्रसिंह रावत**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त भवन निर्माण का कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में संभव प्रतीत नहीं होता।

*४९—**श्री चन्द्रसिंह रावत**—[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

जिलाधीश बलिया द्वारा रसड़ा तहसील के थानों का निरीक्षण

*५०—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि जिलाधीश बलिया ने वर्तमान शरदकालीन दौरे के सिलसिले में रसड़ा तहसील (बलिया) के कुछ थानों का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिलाधीश की निरीक्षण टिप्पणियों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जिलाधीश बलिया ने रसड़ा, तहसील के अन्तर्गत अपने शरदकालीन दौरे में रसड़ा, हलधरपुर, भीमपुरा, नगरा और उभांव थानों का निरीक्षण किया है। सरकार जनहित में इन निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन के सन्मुख रखना उचित नहीं समझती है।

गाजीपुर की पुलिस चौकियों के भवन

*५१---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर में कितनी पुलिस चौकियां हैं ? उनमें से कितनी कच्चे भवनों में तथा कितनी पक्के भवनों में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गाजीपुर शहर में कुल ६ पुलिस चौकियां हैं जिनमें से ४ कच्चे भवनों में तथा २ पक्के भवनों में हैं ।

*५२---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ और कानपुर से लड़कियों का गायब होना

*५३---**श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में लखनऊ की तीन लड़कियां गायब हो गई थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं । जो सूचना प्राप्त है वह जनवरी में ८ व फरवरी में ५ लड़कियों के गायब होने की है ।

*५४---**श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को यह भी पता है कि इस मास में कुछ कुटुम्बियों की कानपुर के विभिन्न थानों में दर्ज होने वाली रिपोर्ट के अनुसार वहां से भी छः लड़कियां गायब हैं ? यदि हां, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नौ लड़कियों में से कितने का पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---फरवरी मास में ९ लड़कियों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ६ मिल गई हैं । इसके अतिरिक्त लखनऊ से जनवरी व फरवरी में गायब होने वाली लड़कियों में से क्रमशः ७ व ४ लड़कियां मिल गई हैं ।

दन्त चिकित्सकों को अवैतनिक भत्ता

*५५---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---सरकारी अस्पतालों के दन्त चिकित्सकों के संबंध में १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी अस्पतालों में अवैतनिक दन्त चिकित्सकों को कोई अवैतनिक भत्ता (honorarium) दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रदेश के १४ सरकारी अस्पतालों में अवैतनिक दन्त चिकित्सक नियुक्त हैं जिममें से ११ सरकारी अस्पतालों के दन्त किकित्सकों को अवैतनिक भत्ता निम्न दर से दिया जाता है:---

१---मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद	..	..	७५	रु० प्रति	माह
२---दून अस्पताल, देहरादून	..	..	,,		,,
३---जिला अस्पताल, इटावा	..	..	,,		,,
४---जिला अस्पताल, गोरखपुर	..	..	,,		,,
५---बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ	..	..	,,		,,
६---जिला अस्पताल, सहारनपुर	..	..	,,		,,
७---क्रास्थवेट अस्पताल, नैनीताल	..	..	,,		,,
८---जिला अस्पताल, मुरादाबाद	.		,,		,,
९---जिला अस्पताल, अलीगढ़	..	..	,,		,,
१०---जिला अस्पताल, बरेली	..	..	,,		,,
११---जिला अस्पताल, रामपुर	..	..	१००		,,

निम्न शष ३ को कोई अवैतनिक भत्ता नहीं दिया जाता है:

१--जिला अस्पताल, फैजाबाद
२--जिला अस्पताल, सीतापुर
३--सिविल डिस्पेंसरी हजरतगंज, लखनऊ

*५६-५७--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में डाक्टरों की कमी

*५८--**राजा वीरेद्रशाह** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि राजकीय अस्पताल, जिला जालौन के नदीगांव, कुदारी, भेंड, पिंडारी, डकोर, रामपुरा, में अरसे से कोई डाक्टर नहीं है और वहां का कार्य कम्पाउन्डर द्वारा हो रहा है? यदि हां, तो सरकार कब तक इन अस्पतालों में डाक्टर भेजने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, नदीगांव और पिंडारी को छोड़कर बाकी चार चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं। यहां भी डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सहारनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*५९--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले के राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को शिक्षार्थ कितनी छात्र वृत्तियां दी दी जाती हैं तथा उसकी मासिक राशि क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--छात्रवृत्तियों की संख्या तथा धनराशि जिलेवार निर्धारित नहीं है।

हाथरस जंकशन चौकी को थाने में परिणत करने की प्रार्थना

*६०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाथरस जंकशन थाने की चौकी को फुल फ्लेज्ड थाना बनाने के लिये अलीगढ़ जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने जो सिफारिश की है, सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*६१--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रसार अध्यापकों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा की अवस्थाय

*६२--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार अध्यापकों तथा उनके अन्य प्रशिक्षित अध्यापक साथियों की सेवा की अवस्थाओं (conditions of service), वेतन-क्रम तथा पदोन्नति की शर्तों में क्या फर्क है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई अन्तर नहीं है।

*६३--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५--**श्री गज्जूराम**--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

बंगाल से आये विस्थापितों का पुनर्वासन

*६६--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में १-१-५६ से ३१-१२-५८ तक कितने refugees व displaced persons पूर्वी बंगाल से आये और उनमें से कितने ३१-१-५९ तक rehabilitate किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश में प्रेषित पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए ३५५ विस्थापित परिवार (लगभग १,५१५ विस्थापित व्यक्ति) उत्तर प्रदेश में १-१-५६ से ३१-१२-५८ तक आये जिनमें से १९६ परिवार (लगभग ९८० व्यक्ति) ३१-१-५९ तक बसाये जा चुके हैं। स्वेच्छा से आये परिवारों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, न उनके पुनः स्थापन के लियें प्रदेश शासन उत्तरदायी है।

*६७-६८---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस का वितरण

*६९--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार बतायेगी कि १ मई, सन् १९५८ से लेकर १ दिसम्बर, सन् १९५८ तक जौनपुर जिले में कितने बन्दूक, पिस्तौल तथा रिवाल्वरों के लाइसेंस के लिये दरख्वास्तें पड़ी और कितनी रिवाल्वर तथा पिस्तौलों के लाइसेंस की दरख्वास्तों की कलेक्टर ने सिफारिश करके कमिश्नर के पास भेजा तथा कितने रिवाल्वर, पिस्तौल तथा बंदूकें दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१ मई, सन् १९५८ से १ दिसम्बर, १९५८ तक जिला जौनपुर में, ९३ दरख्वास्तें बन्दूक के लिये, १९ दरख्वास्तें रिवाल्वर के लिये तथा २ पिस्टल के लिये प्राप्त हुईं। उनमें से १४ दरख्वास्तें रिवाल्वर तथा पिस्टल के लाइसेंस के लिये जिलाधीश ने सिफारिश करके कमिश्नर के पास भेजीं, जिनमें १ पिस्तौल, ७ रिवाल्वर तथा ४४ बन्दूक के लाइसेंस स्वीकृत हुए।

पटपरगंज वासियों की डाकुओं से मुठभेड़

*७०--**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या जिला बदायूं के थाने सहसवान के गांव पटपरगंज के ग्राम वासियों से कोई तार द्वारा सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि उनकी मुठभेड़ २३-२४ जनवरी की रात गांव में डकैती डालती हुई एक टोली से हुई जो वास्तव में बाद में मुकामी पुलिस की टोली निकली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा कोई तार सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*७१-७२---**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा**---[मुख्य मंत्री से संबंधित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राधेलाल इण्टर कालेज, कछला के छात्र संघ का प्रस्ताव

*७३--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाद)---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ३-११-५८ को राधेलाल इंटर कालेज कछला जिला बदायूं के छात्र संघ का एक प्रस्ताव मिला था जिस में हाल में कालेज में हरिजन छात्रों के प्रवेश निषेध की शिकायत की गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनुदान न मिलना

*७४--**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने मान्यता प्राप्त हायर सेकेंड्री स्कूल ऐसे हैं जिन्हें Grant in aid अब तक नहीं मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पंद्रह।

*७५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*७६-७७--**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

लक्ष्मीगंज व रामकोला के बीच चलती ट्रेन में डकैती

*७८--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह फरवरी, १९५९ के दिनांक ६,७ फरवरी को रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीगंज-रामकोला जिला देवरिया के बीच चलती हुई गाड़ी में डाका पड़ा और उसमें मृत्यु भी हुई? यदि हां, तो कितना धन लूट में गया और उसकी घटना किस प्रकार हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। दिनांक २-२-५९ को लक्ष्मीगंज और रामकोला स्टेशनों के बीच चलती हुई गाड़ी में डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उक्त डकैती में १ लाख रुपया का धन लूटा गया।

दिनांक २-२-५९ को श्री शंकर दास खजांची, पंजाब शुगर मिल, रामकोला एक लाख रुपये के नोट लेकर गन्ना बिक्रेताओं का रुपया अदा करने के लिये २१६ डा० ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के एक डिब्बे में सशस्त्र गुरखा संतरी के साथ गोरखपुर से रामकोला जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी रामकोला स्टेशन के निकट पहुंची, ४ अज्ञात व्यक्तियों में से, जो उसी डिब्बे में बैठे थे एक व्यक्ति ने पीछे से संतरी को गोली से मार दिया और खजांची भी डाकुओं द्वारा सख्त जख्मी कर दिये गये। उनमें से एक व्यक्ति नोटों का बक्स छीन कर चलती गाड़ी से मय अपने साथियों के उतर कर भाग गया।

*७९--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त डकैती के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त घटना की सूचना मिलते ही जांच प्रारम्भ की गई। बाद में मामले की जांच सी०आई०डी० के सुपुर्द की गई जो अभी जारी है।

कम्युनिस्ट नेता श्री ठाकुरसिंह की गोरखपुर सिविल अस्पताल में मृत्यु

*८०--**श्री झारखंडेय राय**--क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि गोरखपुर जिला के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता एवं जिला किसान सभा गोरखपुर के प्रधान मंत्री श्री ठाकुरसिंह की २१ दिसम्बर, १९५८ को गोरखपुर सिविल अस्पताल में केवल १२ घंटे की बीमारी में अधिकारियों की उपेक्षा के कारण मृत्यु हो गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*८१--**श्री झारखंडे राय**--यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस विषय में उनकी ओर से क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शिकायत की छान बीन की गई जिसके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि शिकायत सही नहीं थी।

*८२--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

थानों में टेलीफोन लगाने की आवश्यकता

*८३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह अधिक से अधिक थानों को टेलीफोन व्यवस्था से सुसज्जित किये जाने के संबंध में विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

*८४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न सख्या ६२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

जालौन में चक्की चलाते समय श्रीमती राजरानी के साथ दुर्घटना

*८५--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी तथा श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा व जिला जालौन में तारीख २८-१-५६ को प्रातःकाल जब श्रीमती राजरानी नाम की स्त्री चक्की पीसने बैठी तो बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हाथ की चक्की ऊपर उड़ गई और छत में लग कर उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये तथा छत भी टूट गई और श्रीमती राजरानी के सख्त चोट आई और उनका हाथ टूट गया जिसकी रिपोर्ट थाना उरई, जिला जालौन में की गई ? यदि ऐसा हुआ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। इस सम्बन्ध में थाने पर एक लिखित रिपोर्ट हुई कि जब श्रीमती राजरानी ने चक्की घुमाई तो जोर का धमाका हुआ और चक्की उड़ कर छत पर लगी और उसके टुकड़े हो गए तथा श्रीमती राजरानी के बाल झुलस गए व हाथ में भी चोट आई। घटना की जांच हो रही है।

बरेली जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति

*८६---**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६५७ में बरेली जिले में Scheduled Castes and Backward Classes के कितने-कितने विद्यार्थियों को सरकार ने Scholarship दिये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१६५६-५७ और १६५७-५८ में निम्नलिखित छात्र-वृत्तियां दी गयी थीं :

	१६५६-५७	१६५७-५८
१---हरिजन छात्रों को	३८१	३८०
२---पिछड़े वर्ग के छात्रों को	१६३	१६१

*८७--**श्री शिवराजबहादुर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त वर्ष में उपर्युक्त वर्गों के कितने विद्यार्थियों ने सरकार से वजीफा (Scholarship) प्राप्त करने के हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

	१६५६-५७	१६५७-५८
१---हरिजनों से प्राप्त आवेदन-पत्र	१,०८६	१,०८५
२---पिछड़ी जातियों से प्राप्त आवेदन-पत्र	१,५१२	१,६६६

*८८--कुंवर श्रीपालसिंह--[न्याय मंत्री की प्रार्थना पर अगले शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मुसहर कालोनी

*८९--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका को "मुसहर कालोनी" बनाने के लिये सरकार ने अनुदान या ऋण के रूप में कोई धन स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

मैनपुरी जिले के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कम्पलेंट्स को शिकायतें

*९०--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में सन् १९५६ व १९५७ तथा जुलाई, १९५८ तक मैनपुरी जिला के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट (कम्पलेन्ट्स) के पास कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस महकमें आई हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त वर्षों में डी० एस० पी० (सी) मैनपुरी के पास आई शिकायतों का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है । इन सब शिकायतों की जांच की गई और दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंड दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५४ पर)

थानेदार, मधुबन के विरुद्ध शिकायतें

*९१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मन्त्री यह बतावेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ को १-३-५८ को थानेदार मधुबन, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध २७-२-५८ को ग्राम सिपाह के किसी घर की तलाशी और मकान मालिक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । दो शिकायती पत्र दिये गये थे ।

*९२--श्री रामस्वरूप वर्मा--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शिकायती पत्रों की जांच कराई गई । उनमें लिखित शिकायत सही नहीं पाई गई ।

जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग से सहायता

*९३--श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजन कल्याण के लिये जौनपुर जिले में कौन-कौन सी योजना चल रही है और उन्हें किस-किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग की वह समस्त योजनायें चल रही हैं और उनके अन्तर्गत वह समस्त सहायता दी जाती है जिनका विस्तार पूर्वक विवरण हरिजन कल्याण की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है और इस सम्बन्ध में साहित्य व सूचना प्रति वर्ष सदन में रखी जाती है ।

सीतापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग से सहायता

*९४--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग के द्वारा बैकवर्ड तथा अपराधशील जाति के उद्योग, कूप निर्माण, भवन-निर्माण और कृषि उन्नति के लिये सन् १९५३ से ३०-११-५८ तक कितना धन दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२७,४३५ रुपये

इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे

*६५--**श्री लक्ष्मणराव कक्कम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत मास नवम्बर में लोक सभा में सभी प्रदेशों के हाई कोर्टों के विचाराधीन मुकदमों की जो सूची पेश हुई थी उसके अनुसार अन्य हाई कोर्टों की अपेक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा अर्थात् ४१,८३४ मुकदमें सन् १६५७ में पेंडिंग होने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भारत सरकार तथा हाई कोर्ट इलाहाबाद से आवश्यक सूचना न प्राप्त होने के कारण यह तो नहीं कहा जा सकता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में १६५७ में सबसे ज्यादा मुकदमें पेंडिंग थे किन्तु यह ठीक है कि सन् १६५७ के अन्त में ४१,८३४ मुकदमें पेंडिंग थे । इसके मुख्य कारण यह हैं :---

(१) मुकदमों के दायर होने तथा फैसलों की संख्या देखते हुए जजों की संख्या कम है ।

(२) सरकार के वैधानिक कार्य क्षेत्र के बढ़ने से दायर होने वाले मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ गई है ।

(३) हाई कोर्ट को रिट सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट से अधिक अधिकार होने के कारण मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ गई है । सुप्रीम कोर्ट में रिट केवल फंडामेन्टल राइट्स (मूल अधिकार) के उल्लंघन पर ही दायर हो सकती है परन्तु हाई कोर्ट में वैधानिक राइट्स के उल्लंघन पर भी हो सकती है । अनुच्छेद २२६ में शब्द "for any other purpose" होने के कारण हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ा हुआ है जिसके कारण छोटे-छोटे मामलों पर भी रिट दाखिल हो जाती है ।

अन्तरिम जिला परिषद् के स्कूलों में विभिन्न शुल्क

*६६--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषदों की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त जितने शुल्क जैसे बाल सभा रेडियो, आर्ट इत्यादि के लिये जाते हैं वह किस नियम के आधार से लिये जाते हैं और इस मद का पैसा दूसरे मदों में खर्च हो सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अन्तरिम जिला परिषदों के स्कूलों में पाठन शुल्क के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क भी लिये जाने की आज्ञा है :---

शुल्क का प्रकार	..	.. नियम जिसके अनुसार शुल्क लिया जाता है ।
		प्राइमरी स्कूलों में
खेल का शुल्क	..	.. जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के नियम ६८ के अनुसार ।
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट शुल्क	..	उपर्युक्त नियमावली के नियम ८८ के अनुसार ।
डुप्लीकेट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट शुल्क	..	उपर्युक्त नियमावली के नियम ८८ के अनुसार ।
पुनः प्रवेश शुल्क	..	.. उपर्युक्त नियमावली के नियम ८७ के अनुसार ।

जूनियर हाई स्कूलों में उपर्युक्त शुल्कों के अतिरिक्त

अंग्रेजी कक्षा का शुल्क	.. ..	शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३९४ के अनुसार ।
आर्ट शुल्क	.. ..	राजज्ञा के अनुसार जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के नियम ४५ में निर्धारित दरों में एक आना बढ़ाकर ।
		इस मद का पैसा दूसरी मदों पर पर खर्च नहीं हो सकता ।

---

*९७---**श्री मोहनलाल वर्मा**---उपरोक्त मदों द्वारा जो आय होती है वह किस के पास रहती है और खर्च का नियन्त्रण कौन करता है और कभी इस खर्च को कोई जांच या आडिट करता है ? यदि हां, तो कौन और नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---खेल के शुल्क की आय प्रधानाध्यपक द्वारा डाकखाने के सेविंग बैंक लेखा में रखी जाती है निरीक्षण अधिकारियों की आज्ञा से व्यय की जाती है । आय-व्यय की जांच परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है ।

अन्य शुल्कों की आय जिला परिषद् के डिस्ट्रिक्ट फंड (एजूकेशन) लेखा में जमा होती है व्यय का नियन्त्रण जिला परिषद् जनरल एकाउन्ट नियमों के अनुसार होता है । व्यय की जांच और आडिट परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है ।

*९८---**श्री मोहनलाल वर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५८ तक अन्तरिम जिला परिषद् हरदोई में इस मद में कितना पैसा वसूल हुआ और वह किस-किस मद में खर्च हुआ उसका ब्योरा सदन में रखने का कष्ट करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जिले में माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण

*९९---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, शिक्षा निरीक्षक व उप निरीक्षक शिक्षा विभाग ने सन् १९५७-५८ में कितने माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया और उनमें से कितनों की आर्थिक दशा खराब पाई तथा उनका उन्होंने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री कमलापति त्रिाठी---दोनों ने कुल २० माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया । ६ की आर्थिक दशा खराब पाई जिसकी सूचना संस्थाओं के प्रबन्धकों को दे दी गई और उन्हें सलाह दी गई कि ये ग्राम सभाओं, गन्ना विकास समितियों आदि से आवश्यक धन एकत्रित करने का प्रयास करें ।

जरारी ग्रामवासी श्री इकराम हुसैन का कत्ल

*१००---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**---क्या सरकार की बताने कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद, थाना कमालगंज में २० सितम्बर, १९५८ को ग्राम जरारी में रात को कोई कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, कथित रात्रि को ग्राम जरारी में श्री इकराम हुसैन का कत्ल हुआ । इस मामले में तफतीश हो रही है ।

हरिजन कल्याण अधिकारी, जिला गाजीपुर के विरुद्ध शिकायत

*१०१---**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला गाजीपुर में, रविदास गढ़ी, गाजीपुर घाट, दिलदारनगर, सादात और दुल्लहपुर में क्रमशः २ अक्तूबर, १९५८, १९ अक्तूबर, १९५८, २६ अक्तूबर, १९५८ और २७ अक्तूबर, १९५८ को हुए हरिजन सम्मेलनों में गाजीपुर जिले के हरिजन कल्याण अधिकारी के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेजा गया है जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---केवल २ अक्तूबर, १९५८ और १९ अक्तूबर, १९५८ को रविदास गढ़ी गाजीपुर घाट और दिलदारनगर में हुए हरिजन सम्मेलनों की कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

*१०२---**श्री रघुवीरराम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सादात और दुल्लहपुर में क्रमशः २६ अक्तूबर, १९५८ और २७ अक्तूबर, १९५८ को हुए हरिजन सम्मेलनों द्वारा सरकार के पास स्मृति-पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या मांगें हैं ? और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

*१०३---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित सत्रहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कूप एवं भवन निर्माणार्थ अनुदान का व्यय

*१०४---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के क्रम में संलग्न सूची के पृष्ठ संख्या ४ में दी हुई तालिका के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ और वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कूप एवं भवन निर्माण के लिये जो अनुदान प्रदान किये गये हैं उनमें से आधी ही रकम क्यों खर्च हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रुपये का भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार ही किया जाता है। चूंकि कार्य पूरा नहीं हुआ था इसलिये पूरा धन खर्च न किया जा सका।

रानीपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर लूट

*१०५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि रानीपुर व मऊ-रानीपुर (झांसी) स्टेशन से कस्बों को जाते वक्त कई मर्तबा लोग लुट चुके हैं और गत अगस्त, १९५८ में मऊरानीपुर स्टेशन से कस्बे को जाते वक्त कई आदमी रास्ते में लूटे गये थे ? यदि हां, तो सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रानीपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर एक साल के अन्दर दो मर्तबा निःशस्त्र लूट अवश्य हुई परन्तु मऊरानीपुर स्टेशन मार्ग पर लगभग एक वर्ष से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। सुरक्षा के लिये रानीपुर पुलिस चौकी पर सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है। जो रात की गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों के कस्बे तक भेजती है और आसपास के ग्रामों में गश्त करती है।

सोशलिस्ट पार्टी बाराबंकी की मांगें

*१०६---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी में जिलाधीश के बंगले पर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने २९ नवम्बर, १९५८ को प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। प्रदर्शनकारियों की मांगें सलग्न† तालिका 'अ' में दी हुई है। इनमें से प्रथम चार मागों पर जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण सलग्न† तालिका 'ब' में दिया गया है। शेष मांगें अभी विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

१---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[३ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

मथुरा जिले से राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

४---**श्री श्यामलाल** (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले के कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सन् १९५८ में सरकार के पास आये और उनमें से कितने मंजूर हुये और कितने खारिज हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुल ६९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से २२ स्वीकृत तथा ३० अस्वीकृत किये गये हैं।

आगरा जिले में हरिजन कल्याणार्थ व्यय

५---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बतायेगी कि हरिजन कल्याण के लिये आगरा जिला और शहर की क्रमशः तहसील और वार्डवार किस-किस योजना को १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितना-कितना रुपया दिया गया ? उनमें से कितना-कितना रुपया व्यपगत हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यक सूचना सलग्न‡ सूचियां (अ) और (ब) में दी गई हैं।

६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा में कितने हरिजन छात्रावास हैं ? उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने छात्र हैं तथा प्रत्येक को सरकार कितनी-कितनी सहायता देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आगरा में केवल एक हरिजन छात्रावास (जाटव वीर हरिजन छात्रावास, जगदीश पुरा, आगरा) है इसमें कुल २० हरिजन छात्र रहते हैं। परन्तु इस विभाग से पिछले दो वर्षों से इस छात्रावास को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

इटावा जिले में मिलावट के मामले

७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा और आगरा जिले के हेल्थ विभाग द्वारा घी, आजवाइन, कड़ुवा तेल, दवाई, मिठाई, दूध आटा की मिलावट के कितने केस तहसीलवार मई, १९५७ से जून, १९५८ तक चलाये गये ? उसमें क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

---

†तालिका छापी नहीं गई।

‡सूचियां छापी नहीं गयीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मई, सन् ५७ से जून १९५८ तक इटावा जिला में घी, कड़ुवा तेल और दूध के ५२ केस चलाये गये और उनमें ३,१३० रुपया जुर्माना हुआ और इन्हीं में से दो केसों में ६ महीने और १ महीने की कड़ी सजा भी दी गई। दवाई का कोई भी केस नहीं चलाया गया। आटा व मिठाई का भी कोई केस नहीं चलाया गया। तहसीलवार सूची संलग्न है। जिला आगरे में ३५० केस कड़ुवा तेल, मिठाई, घी, दूध और आटा में मिलावट के चलाये गये, और उनमें ३९,३३२ रुपये जुर्माना हुआ और १६ केस दवाइयों में मिलावट के चलाये गये और उनमें ५९० रुपये जुर्माना हुआ। तहसीलवार सूची संलग्न है।

अजवाइन का कोई नमूना नहीं लिया गया क्योंकि इसका अभी तक स्टैन्डर्ड निर्धारित नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५५-२५६ पर।)

श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---कल जो विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये गये थे उसके बारे में मैं कल निर्णय दूंगा क्योंकि उस पर और विचार करने की आवश्यकता है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार जो विषय उठाये गये हैं उनमें श्री विश्वेश्वरानन्द वाला थोड़ा सा महत्व का और अविलम्बनीय प्रतीत होता है। वह इस प्रकार है---

"दिनाँक १२ मार्च, १९५९ को सहजनवां और गोरखपुर स्टेशनों के बीच होली के हुड़दंगियों ने ३० डाउन पैसेन्जर ट्रेन गाड़ी में पत्थर फेंक कर एक यात्री की आंख फोड़ दी। पत्थर शीशे वाली खिड़की में लगा जिससे शीशा टूट कर उसके टुकड़े मुसाफिर के मुंह में कई जगह घुस गये और उसकी आंख भी फूट गयी। हो सकता था कि पत्थर या शीशों से शरीर के किसी अन्य भाग में चोट लगकर मुसाफिर की जान भी चली जाती।

इस प्रकार की घटनायें रोजाना बढ़ती जा रही हैं जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचने के अलावा रेलगाड़ियों में सफर करने वालों की जान का खतरा भी पैदा हो गया है।

अतः आज यह सदन इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता है कि सरकार इस अत्यन्त हानिप्रद प्रवृत्ति को रोकने का अविलम्ब प्रयास करे"।

खैर, यह प्रस्ताव तो नहीं हो सकता, लेकिन इस विषय में माननीय गृह मंत्रीजी कोई वक्तव्य दें तो ठीक होगा। इसलिये मैंने इसको इस कारण और भी अविलम्बनीय समझा क्योंकि होली करीब आ रही है और कानपुर में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना हो जाती है। तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है इस सम्बन्ध में वक्तव्य माननीय सदस्य चाहते हैं कि गृह मंत्रीजी की तरफ से हो जाना चाहिये।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस विशेष घटना की तो कोई अभी सूचना मेरे पास नहीं है। इस प्रस्ताव के आते ही हमने चेष्टा इस बात की की है.....

श्री अध्यक्ष---तो आप कल दे दीजियेगा और उसके साथ-साथ अपने वक्तव्य में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में भी अपनी आम नीति बता दीजियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुत अच्छा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जब आपने कई लोगों के माने तो हमारा विषय भी ले लीजिये। आपने कहा कि यह प्रस्ताव नहीं है, हम सूचना चाहते हैं तो हमारा विषय भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---एक ही तो लिया जाता है।

श्री राजनारायण---उसकी आपने यों ही सूचना मंगवा ली ....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। वह तो महत्व का मैंने समझा इसलिये कहा। एक दिन एक ही तो विषय लिया जा सकता है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४८---लेखा शीर्षक ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

***मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या ४८-लेखा शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,४९,०५,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

मेरा निजी खयाल तो यह है कि इस अनुदान को उद्योग के अनुदान के साथ यदि लिया गया होता तो अच्छा होता दोनों अनुदानों के मिलाने से जो कुछ उद्योग के सम्बन्ध में प्रदेश में हो रहा है या हम करने का विचार रखते हैं उसकी एक अच्छी तस्वीर बन सकती है। बहरहाल, इसको अलग लिया गया है इसलिये दो एक बातें इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इस अनुदान में दो तरह की रकमें सम्मिलित हैं। कुछ तो पब्लिक सेक्टर से सम्बन्ध रखती हैं। पब्लिक सेक्टर में हमारे दो कारखाने हैं, एक तो चुर्क की सीमेंट फैक्टरी और दूसरी लखनऊ में प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी।

यहां के सभी ने तो नहीं परन्तु बहुत से माननीय सदस्यों ने चुर्क के कारखाने को देखा है। चुर्क में जो सीमेंट तैयार होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और देश में जो सीमेंट की आश्वकता है उसको देखते हुये यह उचित समझा ग । कि वहां जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसको दूना कर दिया जाय। अब तक ७०० टन दैनिक उत्पादन है। अब हम जो नई मशीनरी लगाने जा रहे हैं उसकी पहली किस्त दो महीने में आ जायगी। इसके लगाने के बाद इसकी कैपेसिटी १,४०० टन हो जायगी। इस कारखाने से हमारे प्रदेश की और देश की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है।

एक चीज शायद माननीय सदस्यों को नहीं मालूम है। मैं जिक्र कर दूं छोटी सी चीज है, लेकिन बड़ी रोचक है। यह चुर्क की सीमेंट सब लोगों के लिये सस्ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये महंगी पड़ती है। इसका अन्दाजा बहुत लोगों को नहीं होगा। जब हमने फैक्टरी खोली थी तो उस समय का जमाना माननीय सदस्यों को याद होगा कि सीमेंट की जरूरत सब जगह थी। हमने उस समय कहा था कि हम रिहन्द डैम बनाने वाले हैं इसलिये हम फैक्टरी खोलकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और जो बचेगी उसको पब्लिक को देंगे। फैक्ट्री खुली और सीमेंट तैयार हो रही है। गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने सीमेंट की कीमत बांध दी, इस बात को देखते हुये कि देश में बाहर से सीमेंट मंगाई जाती है कहीं भारतीय व्यापारियों को नुक्सान न हो, कीमत के चढ़ाव उतार में एक को फायदा और दूसरे को नुक्सान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

न हो उन्होंने कीमत बांध दी। उस कीमत पर सीमेंट बिकता है। नतीजा यह होता है कि रिहन्द के लिये हमें सीमेंट उसी दाम पर खरीदनी पड़ती हैं जिस पर कि दूसरों को खरीदनी पड़ती है। पी०डब्ल्यू०डी० की बिल्डिंग्स में तो इमारत पर खर्चा बढ़ जाता है और उधर फैक्टरी को फायदा हो जाता है तो लेखा जोखा बराबर हो जाता है। लेकिन इसमें रिहन्द का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिये हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि हम मुनाफा नहीं करना चाहते हैं। रिहन्द बांध के लिये प्रोडक्शन की कास्ट पर सीमेंट हमें मिलनी चाहिये जब कि खासतौर से कारखाना इसी के लिये खोला गया था। हमारी मांग के औचित्य को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन निश्चित रूप से अनुमति नहीं आई है। इसलिये मैंने जिक्र किया कि हमें सीमेंट महंगी पड़ रही है। मैं आशा करता हूं कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे और प्रोडक्शन के खर्चे पर हमें सीमेंट मिल सकेगी।

दूसरी चीज लखनऊ प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की है। शुरू शुरू में हमें अनुभव नहीं था इसलिये विदेशी एक्सपर्ट रखा गया जो हमें बड़ा महंगा पड़ा और शुरू में काफी घाटा रहा। लेकिन आज यह कारखाना बहुत सफलता के साथ चल रहा है। इसमें जो चीजें पैदा होती है उनकी बहुत मांग है। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों को देश में बुलाया था। वह सब जगह घूमें उन्होंने इस कारखाने को देख के कहा कि भारत में कोई भी दूसरा कारखाना नहीं है इस किस्म का जहां इतनी एफिश्येंसी के साथ काम होता हो। उनके इस कहने के आधार पर हम एक काम कर रहे हैं। इस सदन को मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया फार्मेस्युटिकल्स के चार कारखाने खोलना चाहती है। उनमें से एक कारखाना होगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। हमने अपनी और बातों के साथ-साथ उन विदेशी विशेषज्ञों को राय उद्धृत करते हुए उनसे यह कहा है कि जब इतना अच्छा काम यहां हो सकता है तो कम से कम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटस का कारखाना तो उत्तर प्रदेश को अवश्य मिलना चाहिये और लखनऊ को मिलना चाहिये क्योंकि यह बात सिद्ध है कि भारतीय सुपरवीजन में भारतीय कारीगरों के द्वारा उम्दा से उम्दा औजार बनाये जा सकते हैं। इसलिये कोई कारण नहीं है कि यह कारखाना जो बनाया जाने वाला है वह उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में स्थापित न किया जाय।

इन कारखानों के सम्बन्ध में कभी-कभी एक सवाल उठाया जाता है। सम्भव है आज भी किसी माननीय सदस्य के मन में हो। वह यह कि कई मानों में ये कारखाने वही काम कर रहे हैं जो कि एक प्राइवेट कम्पनी करती है। इनके मजदूर उसी तरह से लेबर लाज के अधिकारी हैं जैसे किसी प्राइवेट कारखाने के मजदूर अधिकारी होते हैं। व्यापार हम करते ही हैं। तो फिर इसके लिये कोई अलग कम्पनी या कारपोरेशन क्यों नहीं बनाया जाता? इस वक्त तो यह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मातहत है। किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट के मातहत होने के जो फायदे नुकसान होते हैं वह इनके साथ भी हैं। व्यापार को बात और होती है, व्यापारी संस्था को बात और होती है। किसी वक्त कच्चा माल खरीदने के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय करना होता है, किसी वक्त बेचने के सम्बन्ध में निर्णय करना होता है। सरकारी मुहकमे में उसमें कुछ न कुछ देर होती ही है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया। इन सब बातों में कुछ न कुछ देर होती ही है। यद्यपि चुर्क के सम्बन्ध में एक बोर्ड बना दिया गया है और उसको काफी अधिकार दे दिये गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ देर हो ही सकती है। इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं। लेकिन इसको एक अलग कम्पनी या कारपोरेशन जो नहीं बनाते उसका एक मुख्य कारण है और वह यह कि अगर यह एक इंडिपेंडेंट कारपोरेशन हो जाय तो इसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ जायगा। हमने और जहां तक मैं समझता हूं दूसरी प्रादेशिक सरकारों ने भी भारत सरकार से कहा था कि ऐसे जो कारखाने हों जिनमें कि सोलहों आना रुपया प्रादेशिक सरकार का लगा हो, उनसे इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिये। लेकिन अभी तक यह मंजूर नहीं हुआ है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट कम्पनी बना देते हैं तो जो मुनाफा अभी हमारे खजाने में आता है उसमें भारत सरकार

हिस्सेदार हो जायगी । इसलिये मुख्यतया इस कारण से भी हम इसको अलग कारपोरेशन या कम्पनी नहीं बनाते हैं । तो इस अनुदान का एक अंग तो यह था जिसका कि पब्लिक सेक्टर से सम्बन्ध है ।

दूसरा अंग इसका वह है जिसका कि प्राइवेट सेक्टर से सम्बन्ध है और इसीलिये मैंने दूसरे अंग को ध्यान में रखकर कहा कि कल यदि यह लिया गया होता उद्योग के अनुदान के साथ तो अच्छी तस्वीर बनती । माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें जो कुछ रुपया रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में यह किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिये नहीं रखा गया है । यद्यपि रखा जाना कोई बुरी बात नहीं है । मेरे सामने होती है इंडस्ट्री, लेकिन कुछ और सदस्यों के सामने होता है इंडस्ट्रिअलिस्ट । मेरे सामने होता है उद्योग, कुछ लोगों के सामने होता है उद्योगपति । बहरहाल, उद्योग हो या उद्योगपति, इस अनुदान में कोई खास किसी बड़े उद्योग को रुपया-पैसा देने की बात नहीं है । प्रायः सभी छोटी-छोटी चीजें हैं क्योंकि हम इस बात की कोशिश जो कुछ भी करते हैं जहां तक हमसे हो सकता है, कोशिश करते हैं छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये अगर छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि उनकी बिक्री का इन्तजाम होना चाहिये । इसीलिये हमने एक कारपोरेशन बना रखा है स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का । उसके लिये रुपया रखा गया है । जितनी हमारी इंडस्ट्रिअल कोआपरेटिव्ज हैं उन सबसे ऊपर की जो संख्या है उसको रुपया देने के लिये रखा है । जितनी भी रकम रखी गई है वह सब ऐसी है कि छोटे उद्योगों को, छोटा रोजगार चलाने वाले को, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को, कुछ कोआपरेटिव फैक्ट्रीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, ऐसी ही छोटी-छोटी चीजों के लिये रखी गई है । यह चीजें ऐसी हैं कि एक तो इनसे बहुत से लोगों को जीविका मिलती है, छोटे-छोटे उद्योगों से बहुत लोगों को जीविका मिलती है । दूसरी तरफ छोटे लोगों की आमदनी बढ़ती है और यह चीजें--मैं यह नहीं कहता कि इन से ही शुद्ध समाजवाद स्थापित हो जायगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह चीजें निश्चय ही हमको सोशलिज्म की तरफ ले जाती हैं । इसलिये जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रख कर ही हम यह करते हैं । जो गरीबी से दबे हुए हैं वह उससे कुछ उभर सकें, छोटे-छोटे रोजगार ऐसे लोग कर सकें और अपने माल को तैयार कर के बेच सकें, इसी के लिये यह है । लैंड मार्गेज बैंक इसीलिये खोले जाते हैं कि उनकी जमीन की साख हो, उनको रुपया आसानी से मिल सके और इसके अलावा जो छोटे-छोटे काम हैं उनमें हम उनकी मदद कर सकें । थोड़े में मैंने यह निवेदन किया और मैं आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास-लेखा शीर्षक ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । औद्योगिक विकास की योजनायें समाजवादी आधार पर नहीं चल रही हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर शक्तिशाली हो रहा है तथा ग्रामीण तथा छोटे उद्योग मुरझा रहे हैं । अतएव योजना में संशोधन की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, अपनी इस सरकार का यह उद्देश्य रहा है, जैसा पहले मैं कई सालों से सुन रहा हूं कि वह हर चीज को समाजवादी ढांचे पर चलायेगी । गोया मैं और हमारी पार्टी जनसंघ इस बात की कायल नहीं है कि समाजवाद से ही भारत की भलाई हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारी सरकार का यह दावा है तो मैं उन्हीं ....

श्री अध्यक्ष --मैं आपको कांग्रेचुलेट करूं या त्रिलोकी सिंह जी को कि आप जिस बात में विश्वास नहीं करते उसी बात को लेकर कटमोशन आपने रखा है । आप सोशलिस्ट हो गये हैं अथवा वकालतन इसे पेश किया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं तो उन्हीं के रा.ड से उन की सफलता मेजर कर रहा हूं, अपने से नहीं। सरकार ने जो पैमाना खुद बनाया है, अगर मान लें कि वह सही भी हो तो उसमें वह सही उतरते हैं या नहीं, यह देखने के लिये हैं। मैंने यह निवेदन किया। यह जो समाजवाद का सिद्धात है और जिसको मैं माननीय मंत्री जी की पुस्तक से सीखने की कोशिश की, जिसका मुझे अन्यत्र पता लगा है कि उनका समाजवाद उस कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। इसलिये मैं कहता हूं, और चूंकि मुझे अपनी स्थिति साफ करनी थी प्रस्ताव मेरा लिखा हुआ नहीं था, जिससे मैं अपनी पसन्द का प्रस्ताव रख पाता, इसलिये मैंने यह पहले ही अर्ज कर दिया।

तो श्रीमन्, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से योजना के नाम पर यह बार-बार कहा जाता है कि महत्व आद्यौगिक योजना को दिया गया है। अगर हम पिछले बजटों को देखें तो १९५७-५८ में ओरिजनल बजट में कमी थी ११,६७,००,००० रुपये की। वह बाद में न सिर्फ पूरी हुई बल्कि ५,५२,००,००० रुपये का मुनाफा हुआ। आखिर में सरकार ने असल बजट से १७,१९,००,०००रु० का फर्क किया। इसी तरह से १९५८-५९ के दोहराये तखमीनों को देखने से पता चलता है कि ४,५४,००,००० रुपये की सरकार कमी पूरी करेगी। तो यह घाटा और बचत महज इसलिये लिखी जाती है कि जनता को कहा जा सके हैं कि चूंकि देश का विकास करना है, बड़े और छोटे उद्योग खोलने हैं इसलिये हम ऐसा बजट तैयार करते हैं। बजट बनाते समय उद्योग के हेड में जरूर कुछ धनराशि रखी जाती है, लेकिन आप बराबर देखेंगे कि बजट में जो कमी पूरी की जाती है वह खासकर और किसी जगह से नहीं की जाती सिवाय उद्योग के आप उदाहरण के लिये देखेंगे कि एक तरफ तो कुछ टैक्स बढ़ा कर कमी पूरी की जाती है और वह देश की उन्नति और विकास के नाम पर लिया जाता है, और दूसरी तरफ १९५९-५८ में हम देखें कि ३,२८,००,००० रुपया उद्योग, श्रम, शिक्षा के कार्यों से ही पूरा किया गया। इसी तरह से १९५८-५९ में ३० लाख की यकमुश्त धनराशि उद्योग विकास में कम की गयी है। तो श्रीमन्, इस प्रकार से शुरू में तो बजट में कमी दिखायी जाती है और बाद में टैक्स लगाया जाता है इस बुनियाद पर कि हम उद्योगों में अधिक खर्च करेंगे, लेकिन जिस चीज के लिये वह टैक्स लगाया जाता है आखिर में उसी चीज में कमी कर दी जाती है।

दूसरी तरफ श्रीमन्, आप देखेंगे कि सरकार ने किया क्या है, उदाहरण के लिये चूर्क सीमेंट फैक्टरी को ही ले लीजिये। इसमें बहुत काफी खर्चा हर साल हो जाता है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि वे फैक्टरी के उत्पादन को दूना कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, उसका प्राफिट एन्ड लास का एकाउन्ट न तो बजट में मिलता है और न आडिट रिपोर्ट में ही मिलता है जिस से पता चले कि वह कैसा है हैन्डीक्राफ्ट का हिसाब दिया जाता है क्यों कि वह तो Purely Commercial Concern है। इसलिये इस बात को आंकने के लिये कि आया यह फैक्टरी फायदा उठा रही है या नहीं, हमारे पास इसके आंकड़े होने चाहिये। बजट का यह हाल है कि बड़ी मुश्किल से मालूम हो सका है कि पिछले साल से इस वर्ष ३,१६,००० रुपये की बिक्री कम होगी। और फैक्टरी के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया मांगा जाता है। तब यह समझ में नहीं आता कि इतनी बिक्री कम क्यों होगी, हो सकता है बाजार का भाव घट गया हो और सीमेंट सस्ता मिल रहा है। लेकिन श्रीमन्, बाजार के भाव को देखने से यह पता तो चलता नहीं है। तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि बड़े-बड़े उद्योगों को ही सरकार द्वारा ज्यादा मदद दी जाती है। एक करोड़ रुपया मार्टिन कम्पनी को दिया गया, जिसके खिलाफ फैक्टरी इंस्पेक्टर की गंभीर रिपोर्ट है। यही नहीं जिस काम के लिये रुपया दिया गया था वह काम भी नहीं हुआ और बार-बार उस कम्पनी का Prosecution हो रहा है। इसी प्रकार से सेंडविश फैक्टरी को भी बहुत रुपया दिया गया है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि बजाय बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अधिक मदद देने के छोटे-छोटे उद्योगों के लिये यह रुपया दिया जाना चाहिये, तभी देश की समस्या सुलझ सकती है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि हमें यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, लेकिन वे अमल में इस बात की तरफ तवज्जह नहीं देते।

कल बहुगुना जी ने पहाड़ों के बारे में फरमाया कि पहाड़ों पर वे ऊन की तरक्की कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष में ५,५० लाख पौंड ऊन का जरूरत होता है। पिछले वर्ष ११० लाख पौंड ऊन का आयात हुआ यानी सवा पांच करोड़ रुपये का ऊन आस्ट्रेलिया से मंगाया गया। अगर यह आयात बंद हो जाय तो इससे बहुत ज्यादा हमारा फारेन एक्सचेंज जो बाहर जाता है वह बच जायगा और इससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसा वक्त भी आ सकता है जबकि बाहर के लोग हमें उसे देने से इनकार कर दें या कभी लड़ाई की परिस्थिति पैदा हो जाय और हमारे देश के लिये खतरा पैदा हो जाय व बाहर से ऊन आना संभव न हो तो उसके लिये जरूरत इस बात की है कि हमारे यहां भेड़ों का उत्पादन ज्यादा हो। श्रीमन्, १९५१-५२ में जहां हमारे यहां भेड़ें पहले १६ लाख थीं वहां अब कुल १९ लाख ६ हजार ही हैं। मैं सारे आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सारे भारत में ३ करोड़ ६० लाख भेड़ें हैं। यू० पी० के उन जिलों में जैसे सहारनपुर, मिर्जापुर या पहाड़ी जिलों में जहां चरागाह ज्यादा हैं, जरूरी है कि वहां भेड़ें बढ़ायी जायं, अच्छे किस्म की भेड़ें बढ़ायी जायं। लेकिन यह कहने के लिये मुझे क्षमा किया जाय कि जितना इस दिशा में काम किया जाना चाहिये था उतना नहीं किया गया। बल्कि लीती (दानपुर), जिला अल्मोड़ा के पास एक केन्द्र पर तो मैं गया तो मालूम हुआ कि वहां केवल १२-१५ भेड़ें ही हैं और यह भी मालूम पड़ा, एक जगह तो १०-१२ भेड़ें थीं जिसमें काफी को लकड़बग्घा ही खा गया। और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सरकार इस ओर बहुत तवज्जह दे रही है और उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि ऊन पैदा करने में राजस्थान नं० १ है और हैन्डलूमों में हैदराबाद पहला है। वहां पर ऊन के १५ हजार हैन्डलूम चलते हैं। यहां यू० पी० में भी सबसे ज्यादा ऊन पैदा हो सकता है और होना चाहिये, लेकिन सरकार की तरफ से उधर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अल्मोड़ा में सन् १९५६ में जहां पहले ३७ कताई केन्द्र थे वहां अब केवल १२ ही रह गये हैं। ये आंकड़े उनकी तरफ से बांटी गयी पुस्तिका के ही हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर वे गलत हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा तो यह जाता है कि सरकार इस उद्योग की तरक्की के लिये बहुत ज्यादा रुपया खर्च कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि सरकार इस मामले में तरक्की करने के बजाय तनज्जुली की तरफ ही ले जा रही है। लोगों को थोड़ा बहुत जो रुपया मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि कई जगहों पर मार्च में रुपया दिया गया है जबकि उसको खर्च भी मार्च में ही कर देना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा या तो जल्दी में रद्दी माल खरीदा जायगा या यह कि लोग गलत सर्टिफिकेट बना कर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने पेश करेंगे। श्रीमन्, अल्मोड़े में करीब ५ व ७ हजार के रुपया राजनीतिक पीड़ित गृह उद्योग संस्था के नाम पर मिला, लेकिन उस रुपये को गल्ले की दूकान खोलने में लगा दिया गया इसकी जांच होनी चाहिये। अखबार में भी यह छपा है। उसमें कई भूतपूर्व और वर्तमान सदस्य भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। एकाध पहले यहीं बैठते थे।

इस प्रदेश में तथा सारे देश में ऊन की पैदावार बहुत कम है। एक छोटा-सा टापू न्यूजीलैन्ड है जहां पर दुनिया का ७.९ परसेंट ऊन पैदा होता है और यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में कुल विश्व उत्पादन का ४२ परसेंट ऊन पैदा होता है। और हिन्दुस्तान १.५ परसेंट। अल्मोड़ा में जहां ऊन पैदा होता है व तमामों ऊनी गृह उद्योग हैं वहां पर डिप्टी डाइरेक्टर का आफिस था वह वहां से उठा दिया गया और नैनीताल रखा गया है। तो जहां ऊन होता है वहां से दफ्तर हटाकर क्या आप ऊन की तरक्की नहीं कर सकते हैं? बोर्डर एरिया के नाम पर केन्द्रीय सरकार बहुत ज्यादा मदद देती है मगर अब ऊनी कारोबार के सहायक संचालक का दफ्तर नैनीताल लाया जा रहा है। तो बोर्डर एरिया का विकास नैनीताल में होगा? हम कहते आये हैं कि चीफ कनजरवेटर आफ फारेस्ट का दफ्तर नैनीताल में ठीक है, लेकिन ऊन का दफ्तर नैनीताल नहीं आना चाहिये।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

एक तरफ हम उद्योगधंधों का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं दूसरी तरफ उनको एक जगह इकट्ठा करने की भावना नहीं होनी चाहिये। तो मेरा निवेदन है कि अल्मोड़े से वह दफ्तर नहीं हटना चाहिये ।

इसी तरह से फल संरक्षण केन्द्र चौबटिया में ठीक खुला है। जो हमारे नये डायरेक्टर साहब गये हैं वह ठीक सोचते हैं। रामगढ़ की जो हमारी फैक्टरी है उसका ब्वायलर छोटा है और मशीन बड़ी कैपसिटी की हैं जिसका नतीजा यह होता है कि पूरा फल क्रश नहीं कर पाते हैं और ऐसी शिकायतें भी आती है कि जो फल लेने वाले अधिकारी है वह कहते हैं कि खबानी की गुठली निकाल कर लेंगे। अब अगर भाव तय नहीं हुआ तो फल बेचने वाले के तो फल गुठली पहले निकल जाने से बेकार हो गये। ऐसा नहीं होना चाहिये।

प्लानिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां स्थपित है। उसने कई छोटी-छोटी मशीन कोनिंग की बनाई हैं, ऐसा मुझे पता चला है। मैंने अर्जी दी थी, लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं मिला। मैंने कहा था कि लमगड़ा में कोनिंग सेंटर खोल दीजिये। वहां के लोगों के फल बेकार जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गयी। मंत्री जी नोट कर लें कि २ दिसम्बर, १९५६ को माननीय भूपाल सिंह खाती ने खत लिखा था, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी उस समय मंत्री थे। ११ मई, १९५७ को इसके विषय में रामगढ़ के लोगों ने जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति को भी खत लिखा था। उसके बाद इस सदन में माननीय हरिदत्त जी और के० एन० जोशी एम० एल० सी० ने खत लिखे थे उनमें बड़े भारी भीषण आरोप हैं, उनकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं, वे grievances दूर होने चाहिये। ऐसी भी शिकायत है कि लखनऊ फल संरक्षण केन्द्र के कोई अधिकारी दौलत राम ऐन्ड सन्स तथा ओबराय संस्था से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिये। यही नहीं एक उनके भाई भी उन्हीं के साथ असिस्टेन्ट रखे गये, शायद बी० एस-सी० थे पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐप्रूव भी नहीं हुये और विदेश भी उनको भेजे जाने की चर्चा थी, लेकिन विभाग के एक अधिकारी की सतर्कता से वह न जा सके। तो ऐसे आदमी विभाग में न रखे जायं जो योग्य न हों।

भेड़ों के सिलसिले में एक चीज की और जरूरत है। चारे के बारे में रिसर्च नहीं हो रहा है। इस बीच थोड़ा जापान और आस्ट्रेलिया का लिट्रेचर मुझको पढ़ने को मिला। ऊन की किस्म न सिर्फ क्लाइमेट पर डिपेंट करती है बल्कि चारे पर भी निर्भर रहती है। लेकिन चारे के बारे में यहां कोई खोज नहीं है। ऊन के बारे में जो रिसर्च सेंटर अल्मोड़े में खोलने की कोशिश की गई, उसमें यंत्र नहीं हैं। तो उन यंत्रों को दिये जाने की जरूरत है।

दूसरी बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह इस साल की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी आया है। रामपुर जब अपने हाथ में हमने लिया तो उसके assets व liabilities भी हमें मिलीं। वहां एक फैक्टरी में इस तरह से सरकारी रुपया बहाया गया कि वहां ४ लाख ३८ हजार ७६० रुपये का कर्ज था फैक्टरी पर, व २ लाख ५१ हजार ४०० रुपये के शेयर थे। इस कर्जे को शेयर कैपिटल में बदल दें यह सिफारिश इस बहाने से की गई कि ऐसा करने से कम्पनी चलने लगेगी। इस तरह हमारे ६ लाख ९० हजार १८० रुपये के शेयर हो गये। फिर कहा गया कि २ लाख कम्पनी चलाने के लिये ऋण और दो। श्रीमन्, ताज्जुब की बात है कि यह जो शेयर हैं, उनको बेचा गया और १०० रुपये का शेयर एक रुपये में बेचा गया। यह इसी १९५८ की आडिट रिपोर्ट में आया है। इस तरीके से रुपये का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। इस तरह से ६ लाख रुपये के करीब नुकसान हो गया है। अगर मैं पूरे आंकड़े बताऊं तो श्रीमन् देखेंगे कि यह नुकसान है ६ लाख ६४ हजार ६२२ रुपये का ए० जी० की रिपोर्ट में दर्ज है। इस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया बहा देना यह एक गलत चीज है।

लीसे के बारे में इसी रिपोर्ट में मंत्री जी ने गलत कहा कि उसे किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दिया गया है। श्रीमन्, ६१ हजार का लीसा, ४५ हजार के कनस्टर और २३ हजार की

रायल्टी में छूट एक व्यक्ति को अल्मोड़े में दी गई है। यह भी इसी आडिट की रिपोर्ट में आया है। उस व्यक्ति का नाम मैं जानता हूं पर यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वह मौजूद नहीं हैं।

हैन्डीक्राफ्ट्स के बारे में सन् १९५४ में ४,१८९ रुपये का नुकसान था। सन् १९५५-५६ में १ लाख २९ हजार और ५६, ५७ में १ लाख १६ हजार। इतना ज्यादा हमें हर साल नुकसान हो रहा है। करीब ५-६ लाख का वह बराबर कच्चा माल साल-ब-साल पड़ा रहा है। ऊपर से २-३ लाख का कच्चा माल और खरीद लेते हैं। जब तक पुराना कच्चा माल समाप्त न हो, नया न खरीदा जाय। वरना वहां हर साल आग लग जाती है। दो बार आग लग चुकी है और हिसाबात के कागजात जल जाते हैं। पहले हैन्डीक्राफ्ट के बारे में जो शिकायत थी, वह शिकायत मुझे डर है कि बढ़ न गई हो। इसमें ज्यादा विजीलेन्स की जरूरत है। हमें एक आदर्श बनाना है। खनिज पदार्थों के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया। अब यह कटौती के प्रस्ताव संख्या तीन और चार उपस्थिति माने जायेंगे।

[*अनुदान संख्या ४८

श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा — कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

पब्लिक सेक्टर (राजकीय क्षेत्र) में उद्योगों की वृद्धि की मांग करना।

श्री राम दास आर्य — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी सस्थाओं में पूंजी लगाने पर सुझाव देना।]

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ऐसे जिले से आता हूं कि जहां पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। बातें होती हैं, पूर्वी जिलों और गोरखपुर डिवीजन की; मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन कहता हूं। पहले गोरखपुर, देवरिया और बाद में बस्ती और तब आजमगढ़ का नाम आता है। २२ लाख की आबादी है मान्यवर, और एक भी कोई बड़ा कारखाना हमारे आजमगढ़ जिले में नहीं है। एक भी चीनी की बड़ी मिल नहीं है। हमारे जिले में सन काफी मात्रा में पैदा होता है और वहां से शिवपुर जिला बनारस जाता है, फिर कलकत्ता और बम्बई आदि भेजा जाता है और कच्चे माल की शक्ल में यह सन हमारे जिले से बाहर चला जाता है। अगर उसके लिये कोई पेपर मिल या बड़ा कारखाना खोल दिया जाय तो जिले का कल्याण हो सकता है, इस तरह से सन की उपयोगिता भी हो जायगी और जिले का भला भी हो जायगा। हमारे यहां घाघरा के दियारा इलाके में जो जिले का उत्तरी हिस्सा है वहां पर जूट बहुत अच्छा हो सकता है। सन् १९५३-५४ में तहसील सगड़ी की रौनापार

[यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये वरन् उपस्थित किये गये माने गये।]

[श्री मुकितनाथ राय]

में जूट का केन्द्र खोला गया था और कुछ काम भी हुआ था, लेकिन वह भी बाद में बन्द कर दिया गया। हमने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछे और कई बार कहा भी कि वहां चीनी उद्योग स्थापित किया जाय और कोई पेपर मिल या सन का कारखाना खोला जाय, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि घाघरा के दियारा क्षेत्र में ही काफी गन्ना होता है और जूट भी हो सकता है कि अगर वहां पर चीनी मिल और जूट या पेपर के कारखाने लगा दिये जायं तो आज बाढ़ और ओला आदि से पीड़ित जनता पर जो तकावी व लगान माफी में सरकार को व्यय करना पड़ता है वह बच जायगा और बाढ़ आदि से जो जनता की हालत खराब हो जाती है उसके होने से सरकार को भी सहायता में मदद मिल जायगी। वहां पर चीनी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय और सन व जूट की पैदावार भी वहां काफी बढ़ाई जा सकती है और जिले में इसके कारखाने चलाये जा सकते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहूंगा कि वहां पर गन्ने के लिये एक भी चीनी मिल नहीं है, घोसी में एक कोआपरेटिव बेसिस पर एक मिल चालू है। आजमगढ़ का क्षेत्र जो जौनपुर जिले से मिला हुआ है वहां के लोग शाहगंज और जिले के पूर्वी क्षेत्र के लोग भटनी और देवरिया मिलों में अपने क्षेत्र का गन्ना देते हैं, लेकिन हमारे यहां गन्ने की खपत का कोई प्रबन्ध नहीं है। एक बार प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि उस मिल से हमारे यहां के क्षेत्र को भी मिला दिया जाय, लेकिन कहा गया कि वह क्षेत्र मिल के क्षेत्र में नहीं आ सकता। अगर आजमगढ़ में सरकार अभी मिल न खोले तो कम से कम कोआपरेटिव बेसिस पर ही मिल चल सकती है।

(इस समय १२ बजकर ४२ पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए।)

इसके लिये इस तरह से अधिक अनुदान देकर जिले के लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है चीनी की मिल के द्वारा।

यदि उद्योग का अनुदान कल वाला आज भी होता तो मैं अपनी बात कह सकता था, लेकिन कुछ अब भी कहे देता हूं कि कृषि के साथ उद्योग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उससे मनुष्य की जीविका चलाने में सहारा मिल सकता है। हमारे पूर्वी जिलों में बाढ़ ओला आदि का प्रकोप हमेशा होता है। इस साल भी हमारे जिले का कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जो ओले से बरबाद हो गया। सरकार सहायता देती है, लेकिन वह नाममात्र की होती है और उस से जनता का पूरा निर्वाह नहीं होता। आज कृषि विभाग की तरह उद्योग विभाग की भी पूरी जिम्मेदारी है कि जनता को राहत दे। सगड़ी तहसील के तथा अन्य भागों में जहां पर ओला गिरा है वहां पर १६ आना फसल बरबाद हो गई है और कोई साधन वहां के लोगों के पास नहीं है इसलिये उद्योग विभाग को फौरी कार्यवाही करनी चाहिये। अम्बर चर्खे या साधारण चर्खे आदि का प्रबन्ध वहां के लिये फौरन कर दिया जाय ताकि उनकी सहायता शीघ्र से शीघ्र हो सके और लोगों को काम मिल सके। कागजात बनाना, साबुन बनाने का कार्य फौरन हो सकता है। मान्यवर, एक चीज मैं और बतला दूं। मेरे जिले में बुनकरों की संख्या बहुत काफी है। मऊ जो जिले का बिलकुल एक पूर्वी भाग है वहां पर रंगाई की और एक वीविंग मिल है, लेकिन दक्षिण, उत्तर और पश्चिमी भाग के लिये जो काफी बड़ा है उसके लिये कोई साधन नहीं है। हमारे जिले के पश्चिमी भाग में काफी बुनकरों की संख्या है जो अपनी कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा काफी कपड़ा बनाते हैं, लेकिन उनकी ओर उद्योग विभाग उदासीन रहता है। मेरे क्षेत्र में जो मऊ से ३५-४० मील पश्चिम में है वहां पर हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, टांडा के करीब तक का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर उन बुनकरों के माल की बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है। एक मिसिरपुर हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी है जिसने बिल्डिंग के लिये १०,००० रुपया खर्च किया और सरकार की तरफ से ५,००० रुपये स्वीकृत हुये थे, लेकिन वह सहायता अभी तक नहीं मिली। इसी तरह से उनको रिबेट की रकम प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं

आप के द्वारा श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि जब पिछड़ा हुआ जिला है और खासे ऐसे लोगों की तादाद है जो भूमिहीन हैं जिनको जोविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वह ऐसा तबका है कि सारे जिले पर उनको एक छाप है और अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो सारे जिले पर उसका असर पड़ता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

चूंकि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है उद्योग धंधों के सिलसिले में जिक्र करने के लिये तो उसमें तेलियों का कोल्हू भी आता है। हमारे यहां बहुत काफी संख्या तेलियों की ऐसी है जिनके पास कोई साधन नहीं है और हरिजनों के बाद वही सबसे ज्यादा गरीब तबका है। उन पर हमारे जिले में टैक्स लगा हुआ है। साथ ही फूड अडल्टरेशन ऐक्ट (Food Adulteration Act) की जद में भी ये लोग आते हैं। अगर इस उद्योग को प्रोत्साहन देना है और उनकी दशा सुधारनी है तो तेलियों के कोल्हुओं पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिये और साथ ही साथ फूड अडल्टरेशन ऐक्ट की गिरफ्त से उनको बचाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---प्रधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय गोबिन्दसिंह जी बिष्ट ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर हम बजट की मदों को देखें तो हमें विदित होगा कि १९५७-५८ में वास्तविक आंकड़े १,३४,८२,००० रुपये के लगभग थे और १९५८-५९ का तखमीना २,५५,००,००० रुपये का था। और जब इसको दोहराया गया तो यह २,२५,००,००० रुपये का किया गया और इस प्रकार सन् १९५९-५९ में ३०,००,००० रुपये को कटौती की गयी। इस वर्ष १,४९,००,०००रुपये का तखमीना प्रस्तुत किया गया है और मेरा यह विश्वास है कि वर्ष के अन्त तक इसमें किसी न किसी रूप में कटौती अवश्य की जायगी और यह जो १,४९,००,००० रुपये का तखमीना प्रस्तुत किया गया है यह पिछले साल से लगभग ७५,००,००० रुपये कम है। यह कटौती अगर इसी तरह से औद्योगिक विकास की मदों में होती तो मेरा निश्चित मत है कि औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, इस तरह की कटौतियां क्यों की जाती हैं? इस तरह की कटौतियां करने का कारण विशेष रूप से यह है कि सरकार पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देती है और औद्योगिक विकास के संबंध में जो रुपया स्वीकार किया जाता है उससे कटौती करके प्राइवेट सेक्टर में उस रुपये को कर्ज के रूप में दिया जाता है, उससे भी औद्योगिक विकास हो सकता है, लेकिन मेरी शिकायत है कि जो रुपया दिया जाता है उस पर किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती कि कितने समय के अन्दर उस रुपये को औद्योगिक विकास के अन्दर इनवेस्ट हो जाना चाहिये। न उसमें इसी बात की जांच पड़ताल रहती है कि किसी उद्योगपति को जो रुपया उधार दिया जाता है उसको कितना रुपया वास्तविक रूप से इनवेस्ट करना चाहिये।

आज नियोजन का समय है। जब गांव के लोगों को अनुदान या किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो वहां पर भी यह बात कम्पलसरी होती है कि उसका किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूशन अवश्य होना चाहिये। तो जब हम उद्योगपतियों को कर्ज देते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिये कि सबसे पहले कोई न कोई इनवेस्टमेंट होना चाहिये। जिस उद्योग के संचालन के लिये वह सरकार से सहायता या कर्ज लेता है उसमें उसका कोई न कोई अंश अवश्य इनवेस्टेड होना चाहिये।

मान्यवर, यह जो औद्योगिक विकास की मद है इसमें कैपिटल एक्सपेंडीचर, पूंजी की लागत लगाई जाती है। पूंजी की लागत लगाने के संबंध में मुख्य रूप से चार बातों पर

[श्री भगवती सिंह विशारद]

ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो जो हम पूंजी औद्योगिक विकास के संबंध में इनवेस्ट करने जा रहे हैं वह सुरक्षित रहे। उसके बाद दूसरा दृष्टिकोण रहता है कि उस पूंजी से हमें चाहे और किसी तरह का लाभ न हो, लेकिन उस रुपये से इंटेरेस्ट प्राप्त हो सकता है कम से कम उतना तो अवश्य हमें प्राप्त होना चाहिये। तीसरी बात होती है जो इनवेस्टमेंट किया जाय उससे उत्पादन बढ़े और उसके साथ-साथ उसकी लागत कम हो और मुनाफा बढ़ता रहे और साथ ही साथ जो वस्तुयें उत्पादित हों वह सस्ते दामों पर उनको मिलें। इसके साथ ही यह भी होना चाहिये कि औद्योगिक विकास से अन एम्प्लायमेंट का वैकुअम घटे। अगर औद्योगिक विकास होता रहा, लेकिन उससे लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिला तो इस तरह से औद्योगिक विकास से भी कोई लाभ नहीं हो सकता है।

हमारे पास इस समय तक कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे हम यह जान सकें कि सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान में अब तक हमारा कितना रुपया लगाया गया है। हम यह भी नहीं जान सके हैं कि जितना रुपया लगाया गया है उससे किस प्रतिशत में लाभ हो रहा है। हम यह भी नहीं जान सके हैं कि जो हमने रुपया लगाया है वह अब तक कितना सुरक्षित है। उसमें किसी तरह का डेप्रीसियेशन हो रहा है या उसमें किसी तरह का ऐप्रीसियेशन हो रहा है।

मान्यवर, ऐसी जब कोई पूंजी लगायी जाय तो उसके लिये आवश्यक है कि उसका बैलेंस शीट एक निश्चित तिथि पर सरकार की ओर से प्रकाशित होना चाहिये जिससे प्रदेश के लोगों और हम सब लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि जिन उद्योग धंधों में सरकार ने अपना हाथ लगाया है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आज जितने निजी उद्योग धंधे हैं, जो उद्योगपतियों द्वारा संचालित होते हैं उनमें चाहे किसी को भी लें, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंसर्न्स हों या प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न हों, लेकिन उन सबकी एक निश्चित तिथि पर बैलेंस शीट निकलती है और उससे जो वास्तविक स्थिति होती है उस कारखाने की वह सब के सामने आ जाती है। इस बात की लगातार मांग की गयी और कोशिश की गई कि सरकार ऐसे उद्योगधंधों को जिनको सरकार स्वयं संचालित करती है उनकी बैलेंसशीट बनावे और उसको सदन के सामने और आम जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित करवावे तो उससे हमको सही जानकारी हो सके कि हमारे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनकी क्या स्थिति है और उनका सही-सही विवरण हमको प्राप्त हो जाय, किन्तु मुझे दुख है कि अब तक ऐसा नहीं हो सका।

मुख्य मंत्री जी ने अभी अपना अनुदान प्रस्तुत करते हुये एक रोचक बात बतायी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट इनको मंहगा मिलता है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इससे भी रोचक बात यह है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। अगर उनको सीमेंट मंहगी मिलती है तो दूसरी तरफ चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है और जो बिक्री कीमत दिखायी जाती है वह भी तो बढ़ा कर दिखायी जाती है यहां पर। इसलिये उनको कोई घाटा नहीं होता महंगी सीमेंट मिलने में। इसके अलावा हमारे इन कन्सर्न्स को बिल्कुल मैनेजीरियल कन्सर्न्स बना दिया गया है। जिस समय सरकार की तरफ से ये संचालित किये गये तो यह आशा थी कि इनका एक तरह से समाजीकरण होगा जिनकी व्यवस्था में सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, मजदूरों के प्रतिनिधि रहेंगे, विधान सभा के सदस्य या और दूसरे लोग जो उस उद्योग में कोई विशेष दिलचस्पी रखते हों उनकी सेवायें और सहायता प्राप्त करने के लिये उनकी देखरेख में ये कारखाने चलाये जायेंगे। लेकिन मुझे दुख है जिस तरह से दूसरे उद्योगपति मजदूरों को केवल उपार्जन का साधन मात्र मानते हैं और उनको उस स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते जहां पर उनको प्रतिष्ठित करना चाहिये उसी प्रकार से सरकार भी कर रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार द्वारा संचालित कन्सर्नों में मजदूरों को व्यवस्था में स्थान दिया जाना चाहिये।

अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आज सरकारी जहनियत और एक पूंजीपति की जहनियत में कोई फर्क नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकारी कन्सर्न्स की बैलसशीट बनायी जाय और व्यवस्थापक मंडल कायम किया जाय जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, विधान सभा के सदस्य और मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल किये जायं।

मान्यवर, लघु उद्योगों की बात कही गयी। अगर लघु उद्योग धंधे प्रदेश में अच्छी तरह विकसित नहीं होंगे तो हमारे प्रदेश की बेकारी दूर नहीं हो सकती। लेकिन यह भी कहने में मुझे संकोच नहीं है कि सरकार की ओर से कुटीर उद्योग-धंधों और लघु उद्योग धंधों को प्रसारित करने के लिये कोई चेष्टा नहीं हो रही है। जहां पर ये छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं केवल वहीं पर प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जो बैकवर्ड इलाका है, जहां पर कोई इस तरह के उद्योग धंधे चल नहीं रहे हैं और वहां पर चलने की संभावना हो सकती है वहां पर भी इस तरह के कुटीर उद्योग चलाने चाहिये। इसके लिये पहाड़ी इलाका हो सकता है, पूर्वी इलाके की बात हो सकती है और इसी सन्दर्भ में मैं कानपुर और लखनऊ के बीच में दबे हुए उन्नाव जिले की बात कह सकता हूं कि वहां पर भी इस तरह के उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

लघु उद्योग धंधों में हैन्डलूम का काफी प्रमुख स्थान है, लेकिन वह ठीक से नहीं चल रहा है। उसका कारण यह है कि सूत पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। जिस तरह से कपड़े का सेल्स टैक्स एक्साइज में जोड़ा गया है उसी तरह से सूत का भी सेल्स टैक्स एक्साइज में जोड़ा जाय। ऐसा करने से जो छोटे छोटे बुनकर सेल्स टैक्स की बीमारी से परेशान रहते हैं वे परेशान नहीं होंगे।

इसके अलावा इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को सहायता के रूप में सबसिडी दी जाती है। लेकिन यह भी देखना चाहिये कि क्या यह सबसिडी उचित स्थान पर और उचित कन्सर्नों को प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सबसिडी देने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिये। आपको स्मरण होगा कि इसी सदन में आजमगढ़ के कुछ स्थानों का जिक्र करते हुये इस बात को स्वीकार किया गया था कि लगभग ७ लाख रुपये की सबसिडी में गोलमाल हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये जो मूलभूत कमियां हैं उनको वे दूर करें और उत्साह के साथ एक नीति अपनायी जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, किसी देश की औद्योगिक नीति का उसकी आर्थिक नीति से घनिष्ट संबंध है और उसकी आर्थिक नीति के आधार पर ही उसका बजट बन सकता है और उसका संचालन होगा। हमारे केंद्रीय सरकार की नीति प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों को चलाने की है। इसी पृष्ठभूमि में देखा जाय तो जो हमारे प्रदेश का अनुदान है उससे इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। श्रीमन्, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने छोटे उद्योगों की चर्चा की है। हालांकि इसमें यह आता नहीं है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस अनुदान को पेश करते समय कहा था कि दोनों मिल कर चलेंगे। इसलिये कहा गया। मैं विशेष रूप से अपने को सभी अनुदान के अन्तर्गत सीमित रखूंगा।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अधिकतर यानी ६७ फीसदी लोग खेती करते हैं और पूर्वी जिलों में विशेषकर देवरिया में ८७.४ फीसदी लोग खेतिहर हैं और यह मानी हुई बात है कि खेतिहर देश का आर्थिक स्तर नीचा होता है। स्तर ऊंचा उठाने की बात को हमें सोचनी है। हमने जो नीति अपनाई है उसके अन्तर्गत अपने आर्थिक ढांचें को ऊपर उठाने के लिये हम प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर दोनों को सहायता कर रहे हैं। हमारे यहां चीनी मिलें हैं उनका बड़ा भारी उद्योग है। इधर ज्यादातर पूर्वी जिलों में चीनी की काफी मिलें हैं। गन्ने और चीनी का संबंध ऐसा है कि बिना गन्ने के चीनी नहीं बन सकती है और मैं इसके संबंध में

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

कुछ चर्चा करूंगा। ऐसा न हो कि कहा जाय कि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं। मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

श्रीमन्, हमारे यहां चीनी के उद्योग में काफी रुपया लगा हुआ है। अभी हमने एक बाजपुर नैनीताल में चीनी मिल लगाई है उसमें करीब १.५ करोड़ रुपया लगा है। पहले जमाने में १०-२० लाख रुपया एक चीनी की मिल पर लगता था। ऐसी दशा में जो मूल्य बढ़ा है उस दृष्टि से हमें इसको देखना होगा। इस प्रदेश में १९३० में केवल ५-७ मिलें थीं और केंद्रीय सरकार ने लोगों को काफी प्रोत्साहन दिया और तब चीनी की मिलें बढ़कर ५७ हो गईं। आजकल तो हमारे यहां चीनी मिलें ६८ हैं जिनमें से ६७ चलती हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल ये उद्योग एक क्राइसिस के स्टेज में है। गन्ना वाले कहते हैं कि हमें चीनी उत्पादकों से गन्ने का दाम अधिक मिलना चाहिये और उत्पादक कहते हैं कि कम दाम दिये जायं। वह कहते हैं कि ३० वर्ष से मशीनरी लगी हुई है और आजकल ५००-६०० फी सदी से भी ज्यादा दाम बढ़ गये हैं। इसलिये वह मिलों को दक्षिण में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गन्ना उत्पादकों को उचित दाम मिलें और कारखाने वालों को भी सुविधा मिले। इसके लिये मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। बाहर के देशों में जो चीनी भेजते हैं उसके मूल्य के लिये तथा चीनी की क्या कीमत हो इसका मामला टैरिफ बोर्ड में गया है। कभी कभी राजनीतिक दल इससे फायदा उठाया करते हैं इससे उद्योग को बड़ी हानि हो रही है। अभी हाल में श्रीमन्, उधर के जिलों में काफी आन्दोलन चलाये गये कुछ दलों की तरफ से। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री इस मसले पर भलीभांति जांच करवायें और यह देखें कि क्या उचित मूल्य इसका है और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या किसान को दे सकते हैं। उत्पादक को उत्साह रहेगा तो इस उद्योग का कल्याण होगा। साथ ही साथ अगर हम चीनी का उद्योग वहां नहीं रखते हैं तो हमारी समस्यायें कई तरह से और बढ़ जायंगी। जो हमारे प्रदेश को आज आसानी से कर मिलता है उन जिलों में उसकी वसूली करना संभव नहीं होगा गरीबी के कारण। इसके अलावा चीनी का उद्योग तब चलता है जबकि रबी और खरीफ के बीच कोई काम नहीं होता। उस बीच में वह चीनी के लिये गन्ना देता है। तो एक तो पंद्रह-सोलह लाख आदमी उसमें लगे हुये हैं, उसकी १२३ यूनियन्स हैं ३६ हजार गांवों में। इसलिये इस चीनी के उद्योग को ऐसे आधार पर रखा जाय कि वह ठीक से चल सके और किसान और चीनी मिल वालों दोनों के बीच सामाञ्जस्य स्थापित हो सके।

एक निवेदन मैं और करना चहता हूं। मेरा विश्वास है कि जो अविकसित क्षेत्र हैं उनमें ही पहले इन उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये चाहे बड़े उद्योग हों, चाहे छोटे उद्योग हों। आप देखें कि पांच इन्डस्ट्रिअल एस्टेट्स इस प्रदेश को केंद्र ने दिये। तो ८७.४ परसेंट आदमी जहां इस प्रदेश के रहते हैं वहां पर इनकी स्थापना होनी चाहिये थी, इसलिये कि छोटे छोटे खेत हैं, १ वर्गमील पर १ हजार आदमी रहते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिये जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जबकि गोरखपुर या बनारस डिवीजन में इनमें से कम से कम दो इंडस्ट्रिअल एस्टेट्स स्थापित किये जायं। प्रकृति का भी वहां पर कुछ प्रकोप रहता है, हर साल बाढ़ आया करती है। बाढ़ के एरिया में जूट उत्पादन का कार्य हो सकता है। साथ ही जंगल का एरिया भी बहुत है, जैसे गोरखपुर में महाराज गंज तहसील में पेपर का कारखाना दे सकते हैं या जूट का कारखाना खोल सकते हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था आजमगढ़ में भी ऐसा क्षेत्र है। तो उन सबको जंचवा कर के यह देखा जाय कि कौन सा उद्योग वहां चलाया जा सकता है।

एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। जो टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी है.....

श्री अधिष्ठाता---उसका इस अनुदान से ताल्लुक नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---इंडस्ट्रिअल एजूकेशन है ।

श्री अधिष्ठाता---इंडस्ट्रिअल एजूकेशन की ग्रांट नम्बर २९ है । आप इसी ग्रांट के विषय पर बोलें । ज्यादातर आपकी स्पीच का ताल्लुक इससे नहीं रहा है । आप इसी ग्रांट पर बोलिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---तो उसके बारे में मैं यह निवेदन कर रहा था कि टेक्निकल एजूकेशन जैसे टेकनालाजी वगैरह है वह ऐसी होनी चाहिये रूस या चीन की तरह जैसे कि वहां ४ महीने आर्ट स वालों को और ३ महीने साइंस वालों को प्रैक्टिकल काम देते हैं । तो इसी तरह से हमारे यहां भी इंस्टीट्यूशन्स में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाय तो उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं प्रस्तावित कटौती के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । आपके द्वारा मैं कुछ ऐसे तत्वों को रखूंगा जिससे ज्ञात होगा कि सरकार ने इस उद्योग सम्बन्धी अनुदान में ढील की है या उनमानी की है जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि इस उद्योग के अनुदान में हम क्रमशः पीछे हटते जा रहे हैं, जितना व्यय पहले करते रहे उसका अब हम ४० प्रतिशत ही का व्यय करना चाहते हैं, जहां पहले ११६ लाख खर्च करना चाहते थे ऋण देने में वहां हम सिर्फ ४० लाख ही दे रहे हैं, लेकिन मैं यह भी आपके सामने रखूं कि यह ऋण जो है इसका वितरण किस प्रकार से होता है । इसके वितरण में चाहे कुछ उनमानी की जाती हो या उद्योगधन्धों में लोगों का आकर्षण न पैदा किया जाता हो, इसके कई कारण हो सकते हैं और होंगे, लेकिन हमारे सामने जो आंकड़े हैं उन से पता लगता है कि इस वर्ष जो ३० लाख का ऋण दिया जाने को था उसमें से केवल १६ लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान देने पर विचार किया गया और इसमें से केवल ७,००,००० रुपये लोगों को ऋण के रूप में दिये गये । तो ३०,००,००० की योजना कार्यान्वित होते-होते केवल ७,००,००० की रह गयी । कुछ और अनुदानों के बारे में भी सरकार आंकड़े मुकर्रर कर लेती है । ५७,००० रुपये की आशा थी यद्यपि उसमें कुछ और प्रयोग किये गये, कुछ केन्द्रीय कमेटी ने अपनी सिफारिश भी की लेकिन उस के बाद कुल ८,००० रुपया ही दिया गया । तो सरकार की आवश्यक विषयों में आखिर तक कितनी ढील हो जाती है इसको हम लोगों को देखना है । भारत सरकार द्वारा भी छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण मिलता है और उसमें ६५,००,००० रुपया हमको मिला लेकिन हमारे स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन की तरफ से जिसके सुपुर्द इसका वितरण था केवल ५३,००,००० रुपया देना स्वीकार किया गया और इसमें से लोगों को कुल २८,००,००० रुपया ही मिल पाया । यह २० जनवरी, १९५९ तक के आंकड़े हैं । इन बातों से पता चलता है कि वह ऋण की बात हो अथवा अनुदान की, जिनके आधार पर छोटे उद्योग पनप सकते हैं उन कामों में कितनी ढील है और यह कार्य कितना नगण्य है । ३० लाख में ७ लाख, ६५ लाख में कुल २८ लाख बंट पाये, यह हमारा कार्य करने का तरीका है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में खास तौर से चुर्क फैक्ट्री तथा प्रीसीजन फैक्ट्री का जिक्र किया । इनके सम्बन्ध में जो साहित्य हम लोगों को उपलब्ध है उसमें साहित्य के स्थान पर तस्वीरें ही अधिक हैं जो बच्चों के लिये बड़ी आकर्षक हैं । इन का लोभ बच्चों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को ज्यादा होगा, लेकिन इस तस्वीरमय साहित्य से हम माननीय सदस्यों का कितना लाभ होता होगा, यह सोचने की और आश्चर्य की चीज है। फिर भी मनोरंजन के रूप में मैंने इसे देखने की कोशिश की तो पता चला कि चुर्क फैक्ट्री, जिस के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी को बड़ी आशाएं हैं और उन्होंने जिसके लिये कहा कि हम इस साल इसके प्रोडक्शन को दुगना कर देंगे, ७०० टन के बजाय १,४०० टन कर देंगे, उस के लिये ७५,००,००० रुपये इस साल अनुदान में रखे गये हैं। मैं कोई शंका नहीं करना चाहता, लेकिन इसके खर्च में २०,००,००० रुपया मशीनों पर खर्च करने के लिये रखा गया है और साढ़े १९,००,००० रुपया केवल इमारतों पर खर्च होगा। यह है चुर्क फैक्ट्री जिसके लिये गोविन्द सिंह जी ने कहा कि बड़ी आवश्यकता है। इस के सम्बन्ध में केसा आदि की तरह से कोई लेखा हमारे सामने नहीं आता कि हम साल के अन्त में जान सकें कि क्या हिसाब कहां का है। वह नहीं है, लेकिन ७५ लाख रुपये की मांग है और उसका एक तिहाई हिस्सा इमारत पर खर्च होगा। मैं यह इसलिये रख रहा हूं कि आज कल जो फैक्टरियां कायम होती हैं उनके लिये कुछ संस्तुतियां होती हैं बाहर के लोगों की और कुछ प्रमाणपत्र हासिल कर लिये जाते हैं। इन प्रमाण-पत्रों की प्रतियां इसमें छपी हुई हैं। वह अमरीकन व्यापारी मंडल की हैं या रूस, कैनाडा या यू० के० के लोगों की हैं। उनकी कलमों से ये प्रशंसापत्र प्राप्त होने पर हमारे मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री तक यह समझ लेते हैं कि हमारे कारखानों का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन हम को तो ऐसा लगता है कि पहले उन लोगों को इमारतें दिखाई जाती हैं और इसलिये १९ लाख रुपये इसके लिये रखा है। मैंने बड़े गौर से प्रीसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के बारे में भी देखने की कोशिश की। उसकी इंटरनल वर्किंग में मुझे यही दिखाई पड़ा कि कुछ २, ४ थोड़े से ही औजार वह बना पाई है। इस फैक्ट्री के बारे में हम आशा कर सकते हैं कि यह हमारे लिये लाभजनक होगी। लेकिन मैं देखता हूं कि उसके लिये केवल ६०,००० रुपये की मांग रखी गयी है और इसमें से श्रमिकों के ४ क्वार्टरों पर २५,००० रुपये खर्च होने वाला है। मशीनरी के लिये कुछ थोड़े से ही हजार हैं। इससे जाहिर है कि सरकार की नीति बाहरी आडम्बर को यानी इमारतों को बनवाकर दिखलाने की हुआ करती है और भीतर की क्वालिटी कुछ अधिक नहीं होती है।

मैंने बहुगुणा जी के कथन को कल सुना और कुछ टोकना चाहा था, लेकिन वह मेरी बात क्यों सुनें? वह उच्च आदर्श पर चल रहे हैं और मैं उनके तौर तरीके से ऐसा समझता हूं कि वह जवाहरलालजी के नुमाइंदे हैं क्योंकि गुलाब का फूल भी लगा होता है। लेकिन मैं कभी उनसे मिलकर उनके सामने यह रखना चाहूंगा कि कानपुर में जो इंडस्ट्रियल कमेटी है, मैं भी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसका सदस्य हूं, उसकी २ साल की कहानी है कि केवल एक मीटिंग १५ महीने में हुई। कारण इंडस्ट्रियल अफसर साहब ने कह दिया कि श्रीमन्, जिलाधीश साहब बीमार थे, उनके पैर में चोट लगी थी जबकि वह किसी शादी में गये थे। होना यह चाहिये था कि मीटिंग ३ महीने में अवश्य बुलाई जानी चाहिये थी। जिस प्रकार से उस कमेटी ने रुपया लोगों को ऋण दिया उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस किसी की एक सज्जन से जो भूत पूर्व मंत्री रह चुके हैं और असर रखते हैं उनसे पर्सनल दोस्ती है उनको ऋण जरूर दिया गया, या कुछ पोलिटिकल खयाल भी रखा गया। मैंने देखा कि वह भूतपूर्व मंत्री साहब अपने पेट लोगों को ऋण दिलाने में ज्यादा सफल रहे और हमारी नवकारखाने में तूती की आवाज कौन सुने? मैं तो वहां एक विदेशी सा बैठा था। अगर बहुगुणा जी हमारा सहयोग चाहते हैं तो मैं उनको बताऊं कि इन जिलों की समितियों में बड़ा पोलखाता है जो हमारी न्यूक्लियस हैं। वहां ऋण वास्तविक लोगों को नहीं मिल पाते हैं बल्कि उन लोगों को मिलते हैं जिनसे उद्योग का या प्रदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब कभी सरकार अपना अनुदान इस उद्योग के सम्बन्ध में पेश करे तो कुछ थोड़ा इसका मैटर व फैक्ट्स और फीगर्स हमारे सामने रखे। मेरी इच्छा है कि इस अनुदान में वृद्धि होती, लेकिन कटौती इसलिये है कि सरकार की आंखें खुलें और वह सुधार करे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती का विरोध करता हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और खेती अधिकतर गांवों में ही होती है । हमारी खेती आज बढ़ती हुई जनता की आवश्यकताओं को नहीं सम्हाल पा रही है । हमारी योजनाओं में उद्योगों पर भी अधिक जोर दिया गया । आज देश में हमारी आवश्यकता है लघु उद्योगों की और बड़े उद्योगों की । इसलिये आवश्यकता है कि विदेशों से चीजें मंगाने में भारी खर्च न हो । बड़े उद्योगों की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि उनसे लघु उद्योगों की मशीनरी बन सके । हमारी सीमेंट फैक्टरी बनी और उससे यह लाभ हुआ कि सीमेंट की कमी दूर हुई, जो सीमेंट पहले बाहर से मंगाना पड़ता था वह बन्द हुआ तथा भाव भी गिरे । इसी तरह कारखाने कायम किये जावें । जैसे कृषि के सम्बन्ध में औजारों के कारखाने, बड़ी छोटी मशीनें जो खेती में काम आती हैं वे भी बनें । हमारे लोग कारखानों में काम करके रोजगार से लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और हमारी बनाई हुई चीजें बाहर भी जावेंगी । यह नहीं हो कि कारखानों का खर्चा बार बन जाय । ऐसा होना चाहिये कि बड़े कारखानों से छोटे कारखानों को कोई हानि न पहुंचे और छोटे कारखाने भी हमारे लिये सहायक हों । उनकी व्यवस्था सरकार करे, जनता निजी तौर से करे और सहकारी तौर सें भी करे क्योंकि देश में पैसे की भारी कमी है । उद्योगों में पैसा लगता है और सरकार के पास पैसा कम है । जनता के कुछ लोगों के हाथ में कुछ पैसा है तो वह सहकारी तौर से मदद करें, लेकिन वह छोटे उद्योग-धंधों को न भूल जायं । पहले कुटीर उद्योगों की जरूरत है जिनकी देहाती क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है वहां वे खोले जाने चाहिये । मुझे खुशी है कि सरकार ने इस बात की रिसर्च करायी है कि हर जिले में कौन-कौन से उद्योग खोले जायं, कौन से उद्योग कहां पनप सकते हैं । चूंकि सरकार के पास पैसा कम है इसलिये सरकार को उन उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये जो पिछड़े हुए इलाके में हैं, जहां रोजगार की कमी है और जहां की जन संख्या अधिक है । ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिये जो अनभिज्ञता होने के कारण अपने उद्योगों को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं । मिसाल के तौर पर चमड़े का काम हमारे प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसमें जो लोग घरों पर काम करते हैं उनको ठीक प्रकार की ट्रेनिंग न होने के कारण सफलता नहीं मिलती और मशीनों पर काम करने वाले बाजी ले जाते हैं । इस व्यवसाय को ज्यादातर हरिजन लोग करते हैं जो गरीब हैं और अक्सर गांवों में यह सुनाई पड़ता है कि मशीन से रंगे हुए चमड़े के कारण उनके रोजगार को क्षति पहुंच रही है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस तरफ भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि कारखानों के कारण छोटी इंडस्ट्री को हानि न हो ।

मुजफ्फरनगर में जलालाबाद, गफूरगढ़ चमड़े की मंडी है और जयभगवानपुर काघले में भी चमड़े का कार्य होता है । सरकार ने शामली में कुछ कार्य शुरू किया है । जानसठ तहसील में चमड़ा बहुत ज्यादा होता है । इसके अतिरिक्त वहां पर हड्डी की खाद भी बनाई जा सकती है क्योंकि वहां के जंगल में बहुत से मवेशी पाये जाते हैं । मीरपुरा में कंबल का कारखाना लगाया जा सकता है । वहां ऊन का कार्य होता है । लोगों को उससे बहुत रोजगार मिल सकता है । कैराने में रंगाई-छपाई का काम बढ़ाया जा सकता है । पीतल का काम शाहपुर और शामली में तथा सहारनपुर में लकड़ी और रस्सी बटने का काम होता है । उन लोगों को सरकार की तरफ से काफी मदद दी जाय । इसी प्रकार से किरोशिया और चरखे का काम औरतें करती हैं । थोड़ा सा रुपया लगाकर कोई आदमी इस काम को कर सकता है और उसको रोजगार मिल सकता है । इस प्रकार छोटे-छोटे उद्योगों से देश के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । बहुत से लोग सहकारी समितियां केवल इसलिये बना लेते हैं कि सरकार से रुपया लिया जाय और कोई बड़े कारखाने

[श्री रामदास आर्य]

की स्थापना कर दी जाय चाहे वह उद्योग चले या न चले । अगर हमारी यही नीति रही और पैसा ही हमारा उद्देश्य रहा तो कोई कार्य सफल होने वाला नहीं है । हमारी भावना तो यह होनी चाहिये कि हम सरकार का सहारा मात्र लेकर स्वावलंबी बनें ।

इसके अतिरिक्त जो छोटे और बड़े उद्योगों से हमारे यहां पैदा की जाने वाली चीजें हैं, उनकी बिक्री का इन्तजाम माननीय मंत्री जी करें और कोशिश इस बात की करें कि लोग उन चीजों का उपयोग हमारे देश और प्रदेश में करें । मैं माननीय मंत्री जी और एम० एल० एज० से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का प्रचार करें कि लोग अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें । हो सकता है कि पहले उनकी कीमत कुछ ज्यादा हो, लेकिन जब तक वे इसका प्रयोग न करेंगे तब तक इसकी खपत कैसे होगी और कार्य करने वालों को उत्साह कैसे मिलेगा कि वे उन चीजों को तैयार करें । इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि तब तक के लिये उन चीजों को टैक्स से मुक्त कर दिया जाय जब तक कि उनका उत्पादन बढ़ न जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबिले में उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । हमारे प्रदेश की ८ परसेंट आबादी प्रोडक्शन कार्य में लगी हुई है जिसके कारण जमीन पर आबादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, अनइम्प्यामेंट बढ़ता जा रहा है । हमें देखना यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या बुनियादी कमी है । इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये सबसे आवश्यक चीज जो मैं समझता हूं वह है पावर । हमारे प्रदेश में पावर बावजूद इसके कि सरकार ने एलेक्ट्रिसिटी पर २० परसेंट ड्यूटी घटा दी है, दूसरी जगहों के मुकाबिले में बहुत महंगी है । अगर हम अपने प्रदेश के रेट को अहमदाबाद से मिलावें तो वह करीब सेंट परसेंट ज्यादा है बावजूद इसके कि हमारे यहां २० परसेंट ड्यूटी घटा दी गयी है । अगर हम कोयले के रेट को अहमदाबाद में देखें तो उसके मुकाबिले में कानपुर में कोयला सस्ता पड़ता है फिर भी कानपुर में बिजली का रेट ज्यादा होने का कोई कारण मालूम नहीं होता । मैं जिस जिले से आता हूं वहां बिजली का रेट ज्यादा होने का और कारण तो रहा ही होगा, लेकिन एक कारण लाइसेंसी की व्यवस्था भी है । शहरों के लोगों को बिजली और ज्यादा रेट पर मिलती है । उसका कारण यह है कि इंटरमीडरी जो होते हैं वे सरकार द्वारा मुकर्रर मुनाफे से भी ५, ७ परसेंट ज्यादा चार्ज करते हैं खर्च ज्यादा दिखाकर । जब सरकार जमींदारी एबालिशन कर सकती है, जब और प्रथा को तोड़ सकती है तो इस किस्म की प्रथा को भी जिसे टेकेदारी प्रथा ही समझता हूं, कोई काम लाइसेंसी नहीं करते हैं सिवा इसके कि किसी जगह पर उन्होंने अपने कुछ थोड़े से पोल्स वगैरह लगवा दिये, कुछ इक्विपमेंट्स आदि पर खर्च कर दिये हैं । तो माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें कि इस लाइसेंसी प्रथा को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें । हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट बिजली की तरफ से है । देहात और शहर के अन्दर बिजली देने में भी अन्तर है । अगर गांव के अन्दर पहले कोई आदमी बिजली ले जाना चाहता है तो उसी आदमी को उस लाइन का पूरा खर्चा देना पड़ता है और उसका शायद कुछ किराया भी देना पड़ता है । गांव के अन्दर बिजली ले जाने में लोग खासतौर से इसीलिये हिचकिचाते हैं कि जो आदमी पहली लाइन ले जाता है उसी को उसका पूरा किराया देना पड़ता है । अगर ऐसा हो जाय कि १०, १५ आदमी जो इस लाइन से बिजली लें उन सब में बराबर-बराबर किराया बंट जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग बिजली लेना शुरू कर देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि यह कम से कम इतना जरूर कर दें कि जितने आदमी उस लाइन से बिजली लें उन सबको उसका किराया बराबर बराबर देना पड़े ।

एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही जाती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की पालिसी खांडसारी के बारे में जैसी है वह बिल्कुल इससे उल्टी है । बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को

प्रोटेक्शन दिया जाय, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खांडसारी पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के पहले सरकार यह तय कर लेती कि वह शुगर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन करेगी तब तो उसका वह कदम ठीक था कि खांडसारी पर ड्यूटी लगाती। खांडसारी इंडस्ट्रीज में भी हजारों-लाखों आदमी लगे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि शुगर इंडस्ट्रीज से कम लोग इसमें नहीं लगे हुए हैं, वह सब बेकार हो जायेंगे। आप देखें कि १०० मन गन्ना खंडसारी वाले लेते थे जिसका दाम डेढ़ रुपये से लेकर २ रुपये तक देते हैं। अगर डेढ़ रुपया भी लगाया जाय तो १०० मन गन्ने की कीमत १५० रुपये हुई और ५० रुपये क्रशिंग और डेप्रीशियेशन चार्जेज होते हैं। इस प्रकार से २०० रुपये में करीब साढ़े ६ मन चीनी बनती है जो २०० रुपये की होती है और ३५ रुपये एक्साइज ड्यूटी अब देनी पड़ेगी तो यह इंडस्ट्री किस प्रकार से सरवाइव कर सकती है ?

काटेज इंडस्ट्री के बारे में जो कर्जे सरकार की ओर से दिये जाते हैं वह रुपया फरवरी या मार्च में भेजा जाना बिल्कुल गलत है क्योंकि समय कम रहने के कारण किसी प्रकार की कोई छान-बीन नहीं होती है और इंडस्ट्रीज अफसर जल्द से जल्द ३१ मार्च के पहले वह रुपया लोगों को कर्जे के रूप में दे देते हैं। इसकी जांच होनी चाहिये कि वह रुपया काटेज इंडस्ट्रीज के लिये काम में लाया गया या नहीं। मेरे जिले में जो अभी हाल में १६,००० रुपये गया वह जल्दी-जल्दी बांटा गया और यह भी नहीं देखा गया कि वहां किस इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की जरूरत है और किसको नहीं। हुआ यह कि किसी के यहां २ कोल्हू लगे हैं उसने कहा कि १,००० रुपये और दे दिया जाय, किसी ने मूंगफली छीलने के लिये लिया, इस किस्म से रुपया दिया जाता है। तो जिसको रुपया दिया जाय कम से कम इतना दिया जाय कि वह अपने इंडस्ट्री को ठीक से चला पाये। इस तरह से रुपया दे देना कि किसी ने ५,००० रुपये मांगा और २० दरखास्तें आ गईं तो सब को ५००-५०० रुपये दे दिया यह ठीक नहीं है।

एक गवर्नमेंट की यह भी पालिसी है कि जो डिस्ट्रिक्ट में छोटी या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी इमारतों के लिये लोहा, सीमेंट या और कन्ट्रोल्ड चीजों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडस्ट्रीज अफसर उनको कन्ट्रोल्ड रेट पर दिलाये जिससे मैटीरियल ठीक भाव पर मिल सके। मैं अपने जिले के तजुर्बे से बता सकता हूं कि जितने लोगों ने दरखास्तें दीं टिन शीट्स, आयरन बार्स या गर्डर्स की तो मेरा ख्याल है आज तक किसी को परमिट नहीं मिला और वे लोग मजबूर होते हैं ब्लैक मार्केट से चीजें खरीदने के लिये।

हमारे जिले में कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड स्टेज पर है। पोटेटो काफी होता है, कई कोल्ड स्टोरेज हैं लेकिन उनके ट्रांस्पोर्टेशन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुगर के लिये सरकार रेलवे से प्रोग्राम बनवा सकती है, लेकिन उन चीजों के लिये जो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं कोई रेफ्रीजरेशन की ट्रांसपोर्ट में सुविधा हो, वह भी नहीं है। लोगों को वक्त पर वैगन्स नहीं मिलते। लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि पैरिशेबिल चीजों को ऐसे रास्ते से भेजा जाय जिसमें ट्रांसशिपमेंट होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले को सेन्ट्रल गवर्नमेंट या रेलवे विभाग से टेक-अप करें और जिन दिनों कोल्ड स्टोरेज का प्रोग्राम हो उन दिनों में जहां-जहां माल भेजना हो तो कुछ इस किस्म का इंतजाम रहे कि वे वैगन्स ठीक समय से और डायरेक्ट रूट से मिल जांय।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान प्रस्तुत है इसका नाम है 'उद्योग विकास पर पूंजी का व्यय' और एक यह पुस्तक मिली है इसका भी नाम है 'उद्योगों का विकास'। पर श्रीमन्, विकास कैसा हुआ है, यह उसी पुस्तिका में से थोड़े उदाहरण देकर निवेदन कर देना चाहता हूं। इस पुस्तिका में श्रीमन् सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो आंकड़े दिये हुए हैं उनको देखने से यह मालूम पड़ता है कि सन् १९५६ से सन् १९५८ के आंकड़े आधे हैं। सन् १९५६ में ३६ करोड़ ३७ लाख ६८ हजार गज कपड़ा तैयार हुआ। सन् १९५८ में १८ करोड़ ४२ लाख ३८ हजार गज। सूत जो पौंडों में तैयार हुआ,

[कुंवर श्रीपालसिंह]

वह सन् १९५६ में ११ करोड़ ७८ लाख २८ हजार और सन् १९५८ में ५ करोड़ ८३ लाख ४४ हजार। ऊनी चीजें सन् १९५६ में २० लाख ५२ हजार और १९५८ में १४ लाख १६ हजार। जिस भी उद्योग को देखा जाय सब घटता चला जा रहा है। सन् १९५६ को अगर हम अपना नमूना मान लें तो उसको देखते हुए कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है अपने प्रदेश का जो गिरा न हो। नाम है उद्योग विकास मगर हो रहा है उद्योग का हनन। कारण क्या है ? कोई न कोई कारण इसमें होना चाहिये जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमारी नीति ही कुछ ऐसी है कि उसका अर्थ होता है दूसरा और उसका फल मिलता है दूसरा। इसका कारण जो मेरी समझ में आया वह यह है कि हमारी सरकार और हम लोग यहां बैठकर रोजाना जो समाजवाद और कम्यूनिज्म की बातें करते हैं इससे प्राइवेट सेक्टर के लोग डर जाते हैं और वह डर कर उद्योगों का विकास नहीं करते बल्कि उसमें से रुपया निकालने का प्रयत्न करने लगते हैं, और रुपया निकाल कर दूसरे देशों को भेजने लग जाते हैं। हममें न तो इतनी ताकत है, न इतना पैसा है कि हम इकट्ठा सब का राष्ट्रीयकरण करके सरकार के जरिये से चलावें। पर वक्त बे वक्त राष्ट्रीयकरण का नारा अवश्य लगा देते हैं। मेरी समझ में तो इस नीति के कारण ही हमारा उद्योग गिरता चला जा रहा है।

श्रीमन्, इसी पुस्तिका में आगे चलकर जो दिया हुआ है, उसको देखते हुए अगर भारतवर्ष में उद्योगों के आधार पर प्रान्तों का जातीकरण किया जाय, समस्त प्रान्तों को अलग-अलग जातियों में उनके उद्योगों के आधार पर बांटा जाय तो हमारा प्रदेश दो जातियों का हो सकता है। एक तो कलवार और दूसरा मोची। क्योंकि इन्हीं के कामों में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हम हैं। इसी पुस्तिका में लिखा है कि अलकोहल का उद्योग हमारा पूरे भारतवर्ष के मुकाबले में ८१ प्रतिशत है। बाकी में १९ प्रतिशत है। ऐसे ही चमड़े में-फाइन चमड़े में नहीं बल्कि जूते के तल्ले वाले में-६६·९ प्रतिशत अपने प्रदेश में है और ३३.९ प्रतिशत बकिया भारत में। इसके अतिरिक्त और जितने भी उद्योग है उनमें किसी में हम ११ प्रतिशत हैं, किसी में १४ प्रतिशत और किसी में २० प्रतिशत। जिन दो चीजों में सब से ऊंचे थे उनमें भी अब गिरते जा रहे हैं। उन पर हमारी सरकार की दृष्टि नहीं पड़ती, या सरकार कुछ कर नहीं पाती है, या हम जो एक स्वर से समाजवाद, या समष्टिवाद का नारा लगाते हैं उसको सुनकर लोग घबड़ा जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या बात है। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी करना हो उसको बगैर कहे कर डालें। कहकर करना, किसी की हिम्मत को पस्त करना, और उस हिम्मत के पस्त होने से प्रदेश का नुकसान होना, यह अच्छी बात नहीं लगती। यह तो वैसे ही हुआ जैसे एक बार बीरबल अकबर के दरबार से भाग गये तो उन का पता लगाने के लिये तरकीब सोची गई कि सब को बकरे बांटें जांय और एक माह के बाद फिर सब के बकरे मंगा कर उनका वजन लिया जाय, जिसके बकरे का वजन न घटेगा और न बढ़ेगा उस को इनाम दिया जाय। बकरे बांटे गये। जहां पर बीरबल टिके हुये थे उन्होंने उस घर के मालिक को तरकीब बता दी कि तुम अपने बकरे को खाना तो खूब खिलाओ लेकिन शाम को रोज तुम अपने बकरे को भेड़िया दिखा दिया करो, तो नतीजा यह होगा कि वह दिन भर में जो कुछ खायेगा भेड़िये की शकल देखकर सब वजन बराबर हो जाया करेगा, यानी बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से हमारे यहां जो लोग उद्योग में लगे हैं उनको भेड़िये की तरह राष्ट्रीयकरण दिखाया जाता है। नतीजा यह होता है कि उद्योग आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला जाता है और प्रदेश की हानि होती है।

इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मेगनेसाइट है, वह सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पट्टी खरई और सोमेश्वर में बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है लेकिन उस को निकालने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल सर्वे कर के छोड़ दिया गया है। इसी तरह से तांबा और सीसा खरई में काफी है, सेलखरी भी बहुत उत्तम क्वालिटी की वहां मिलती है जो बिजली के काम में और बढ़िया पाउडर बनाने के काम में आ सकती है, परन्तु कोई प्रयत्न उन को

निकालने का नहीं हो रहा है । तांबा मंगाने के लिये हमारे यहां से करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में चले जाते हैं वह भी गढ़वाल में अधिक है, परन्तु कोई कोशिश उस को निकालने के लिये नहीं की जाती है । शायद मंत्री का जन्मस्थान भी वहीं है । सीमेंट बनाने के लिये जिस मिट्टी की आवश्यकता होती है वह भी हमारे यहां उन्नाव, बाराबंकी, बरेली आदि जिलों में काफी मिकदार में मौजूद है लेकिन इस के होते हुये भी सीमेंट के उद्योग को स्थापित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है । पिछले साल माननीय गोविन्द सिंह जी ने कुछ नमूने भी अपने यहां से लाकर दिखाये थे कि लोहा वहां होता है, उस की जांच भी हुई और वह बात सही पाई गई, जांच तो सब की हो गई, कागजात भी दुरुस्त हो गये, लेकिन कोई चीज अभी कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई है । क्या हो रहा है, यह कुछ पता नहीं चलता, यह तो सरकार या भगवान् ही जान सकते हैं ।

माननीय त्रिपाठी जी ने जैसा अभी बताया कि देवरिया में लोग खेती में ज्यादा लगे हैं और इसी कारण वहां गरीबी है । वहां पर ८७.४८ प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है इसी कारण वहां गरीबी है और हर साल भुखमरी आती है जबकि मेरठ का भी कृषि योग्य क्षेत्रफल इतना ही है पर वहां की जनता ४३.२६ प्रतिशत ही खेती पर आधारित है । इसी से वह जिला सरप्लस जिला है यानी अन्न खाकर बच भी जाता है और वहां के लोग गरीब भी नहीं हैं । इस तरह से प्रदेश के जिन जिलों के लोग केवल खेती पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं वहां पर कुटीर उद्योगों का विकास बहुत आवश्यक है, बगैर उस के केवल खेती पर ही बोझ लादते जाना बहुत खतरनाक है । यह खतरा बढ़ता जाता है और इस से बंगाल के से अकाल की भी सम्भावना हो सकती है ।

थोड़ा सा निवेदन मैं कत्था फैक्टरी के बारे में भी करूंगा, मेशीनरी से जो कत्था बनाता है, इंडियन वुड प्रोडक्ट्स बरेली का जो है वह १०,००० मन तैयार होता है और ४०० आदमी उसमें काम करते हैं, जबकि छोटे-छोटे हाथ से बनाने वाले कत्थे के जो हैं वहां २७,००० मन बनाने में करीब २०,००० आदमी लगते हैं । तो कुटीर उद्योगों को मेकैनाइज्ड न करके ऐसे ढंग से चलावें जिससे अधिक से अधिक आदमियों की खपत हो सके और कम से कम उत्पादन के साथ अधिक से अधिक आदमियों को रोजगार मिल सके । इस आधार पर चलेंगे तभी उन्नति हो सकती है ।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अपने इटावा जिले की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर कोई अभी मिल नहीं है और जो कोआपरेटिव हैण्डलूम वीवर्स सोसाइटियां १७ बनायी गयी थीं वह और छोटी-छोटी कर दी गयी हैं और ४० के करीब हो गयी हैं । १० रुपये के हिसाब से करीब ५०,००० रुपया उनसे आता है जो सेंट्रल वीवर्स स्टोर में जमा कर दिया गया है । १० साल हो गये हैं । अब जितनी सोसाइटियां बनी हैं उन सब का माल उस सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर ने नही खरीदा है और वह पहले की भांति ही काम करती चली आ रही हैं । जो बुनकर को रिबेट दिया जाता था वह आज वहां पर किसी बुनकर की सोसाइटी को नहीं दिया गया । जो कर्घे दिये जाते हैं वह क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं और जो रिबेट का पैसा है उसको जो पूंजीपति डायरेक्टर वगैरह हैं वह अपने काम में खर्च कर लेते हैं और सोसाइटी के नाम से कि फलां चीज खरीदी गयी, खर्च लिया जाता है और १० साल हो गये हैं । स्टोर ५०,००० रुपये से अपना माल खरीद कर अपने बुनकरों से २ आने, ३ आने गज के हिसाब से शहर में काम करवाते हैं और देते हैं और उन सोसाइटियों को कोई लाभ नहीं हुआ है ।

[श्री सुखलाल]

अब वहां पर बिजली की बात कही गयी है कि बुनकरों को बिजली दी जाय, लेकिन बुनकरों को बिजली की आवश्यकता नहीं है। वह तो अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो उन्हीं के घरों में लगेगी जो पूंजीपति काम करते हैं और बुनकरों के नाम से प्रस्ताव पास होगा। श्रीमान् जी, जो १० वर्ष से पैसा जमा है उसको हर सोसाइटी को दिया जाय जितना कि रिबेट का पैसा है तो उससे हर एक सोसाइटी अपना काम करने लगेगी।

दूसरी बात अम्बर चर्खे की है। हमने बड़े-बड़े शहरों में देखा है कि बड़े-बड़े आदमी और उनकी मां--बहिनें काम करती हैं और गरीब हरिजनों में से या छोटे आदमियों से कोई ऐसा नहीं है जो उसमें काम करता हो। उसमें १० रुपये का मेम्बर बनना पड़ता है, २ महीने काम करना पड़ता है। तो उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है जो उनके खाने के लिये १० रुपये वहां-पर दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गरीब आदमियों को १० रुपया हरिजन कल्याण से दिया जाय और खाने-पीने की सुविधा दी जाय तो अम्बर चर्खा चला सकता है। अगर ऐसी सुविधा नही मिलेगी तो गरीबों के लिये कोई रोजगार नहीं मिल सकता है। बुनकरों के लिये जो फायदा हुआ है वह यह कि जो उनकी सोसाइटियां बन गयी हैं उनसे गांव पंचायत में पंचायत टैक्स दिया जाता है। उनसे १६ रुपया टैक्स लिया जाता है। किसानों से जो टैक्स लिया जाता है वह ५० रुपये पर ५० आना, यानी ३ रुपया और जो किसानों के लिये कपड़ा बुनते हैं उनसे १५ रुपया १६ रुपया तक टैक्स लिया जाता है यह उचित नहीं है। यही नहीं, तीन-तीन वर्ष उनसे जो रुपया वसूल नहीं हुआ वह एकदम ४५--५० रुपये वसूल कर लिये जाते हैं और जब नहीं दे सकते हैं तो जो बंटाई पर भैंस लेते हैं उनको ले लिया जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि टैक्स उनसे उनकी कमाई से न वसूल किया जाय।

इसके साथ ही मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि जितने उद्योग धंधे खोले जायं तो उसमें बड़े उद्योगपतियों को न रख करके गरीबों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जांय और बुनकरों को उसमें लगाया जाय। उनकी जानकारी के अनुसार उसमें उनसे काम लिया जाय। उनसे पूछा जाय कि एक लूम में कितने तार आते हैं। अगर बता सकते है तो उनको काम दिया जाय और जो सच्चे बुनकर हैं उनको इसमें प्रोत्साहित किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मुल्ला प्रसाद हंस (जिला उन्नाव)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री गोविन्द सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सीमेंट कारखाने को विकसित करने की जो योजना है वह पहले ही आ सकती थी। उसमें जो वहां के क्वार्टर्स हैं उनमें लागत ४७ हजार तक आयी है। इतना रुपया तो खर्च कर दिया गया लेकिन मजदूरों के रहने के लिये क्वार्टर्स नहीं हैं। व्यवसाय में मजदूरों का कोई हाथ नहीं है। इसके साथ ही जो वहां के अधिकारियों को एलाउंस दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है?

प्रसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की तरह एक फैक्टरी और खुलनी चाहिये। पुरानी फैक्टरी की भी क्षमता बढ़ानी चाहिये। छोटे-छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो पुश्तैनी काम करने वाले उस काम के हैं उनको सहायता मिले। प्रयत्न इस बात का होना चाहिये कि सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हीं को प्रोत्साहन मिले।

देखा यह गया है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटियों के लिये और उद्योगों को विकसित करने के लिये अनुदान दिये जाते हैं उनको अधिकारी ठीक तरह से खर्च नहीं करते हैं। मैंने अपने जिले के बारे में पिछली ३ तारीख को बतलाया था कि वहां भी नये-नये उद्योग किस प्रकार के खुल सकते हैं। मैंने बताया था कि ७२ मील की लम्बाई और १० मील की चौड़ाई में जहां जनता कृषि पर जिन्दा रहती है वहां पर छोटे-छोटे उद्योग भी हो सकते हैं। हमारा जिला १७३७ वर्ग मील में बसा हुआ है जिसमें करीब १,८०० गांव हैं और १२ लाख की आबादी है।

वहां की सफीपुर तहसील में एक गांव सकहन राजपूताना है । उस गांव में १७६० एकड़ भूमि परती है । उसमें तिन पैदा होता है । अगर वहां पर दफ्ती बनाने का उद्योग शुरू किया जाय तो वह सारे का सारा तिन काम आ में सकता है, जो आज बेकार जाता है और इसके अलावा वहां के काफी लोगों को काम मिल सकता है जिससे वे अपनी जीविका चला सकते हैं । सन् १९४७ से उस इलाके में बाढ़ आती है और वहां कोई कारखाना या उद्योग न होने के कारण लोगों को कोई काम नहीं मिल पाता है । आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

इसी प्रकार एक दूसरा गांव है जहां पर बांस के थनिया बहुत हैं। वे भी सार्वजनिक हैं, वन विभाग में हैं, लेकिन उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इन बांसों के उपयोग के लिये कुर्सी में कोई उद्योग खोला जा सकता है ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मियांगंज में जो बुनकर हैं उनके पास कोई साधन नहीं हैं। अगर उनको सहायता दी जाय तो काफी काम चल सकता है और उनकी भी हालत सुधर सकती है । रसूलाबाद, हैदराबाद और बांगरमऊ में बहुत काफी बुनकर हैं जिनको सहायता देने से उस उद्योग में काफी उन्नति हो सकती है, लेकिन जो सहायता यहां से दी जाय उसमें यह देखा जाय कि वह उन तक पहुंची भी, क्योंकि मैंने देखा कि सरकार द्वारा तो सहायता के लिये रुपया रखा गया था, लेकिन हसनगंज या सफीपुर में कोई ऐसा बुनकर नहीं मिलेगा जो यह कह सके कि उसे रुपया मिला । इसलिये इस ओर भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।

इसी तरह से जो बाढ़ के इलाके में बांध, पुल आदि की जो योजनायें सरकार की हैं उनको अगर कार्यान्वित किया जाय तो काफी सहायता मिल सकती है । सरकार को ग्रामीण उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमारे जिले की सफीपुर तहसील में पिछले दिनों ५०० हथकरघे मंजूर हुये थे, लेकिन उनमें से दो-चार व्यक्तिगत रूप से भले ही चल रहे हों। सरकार की ओर से कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है और न योजना को पूरा किया जाता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कागज पर लिखने से कुछ नहीं हो सकता है । अमल में लाने से काम हो सकता है । कागज पर लिख दें कि हम फलां फलां उद्योग खोलने जा रहे हैं इसलिये सब खुश हों। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजाय कागज पर लिखने के आप काम करने के आदेश दें तो हमारे यहां की समस्या हल हो सकती है और बेकारी दूर हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । वृहत् उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की ओर सरकार ने अच्छी प्रगति की है । बहुत सी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां, स्टील प्लान्ट और रिहन्द डैम आदि खोले गये और इनके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है । अभी-अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने चुर्क सीमेंट फैक्टरी का जिक्र किया कि इससे बहुत अच्छी सीमेंट हमारे देश को मिलेगी जिसकी बहुत मांग है । दूसरी चीज बताई कि हम अपने यहां डाक्टरी औजारों का कारखाना खोलने जा रहे हैं। मैं समझती हूं कि वृहत् उद्योगों में से हमारे देश की शिक्षित तथा अशिक्षित जनता को काम मिलता है और लाभ भी होता है । लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि क्या इनसे हमारे गांवों की आर्थिक समस्या हल हो सकती है या नहीं ?

कुटीर उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों की तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान है। यह नहीं है कि उधर से लापरवाही हो, लेकिन फिर भी वह नहीं के बराबर है और बहुत कम है । हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि पर ही अपना जीवन यापन करती है और श्रीमन्, मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि साल भर में ५-६ महीने हमारे गांव के भाई जो कृषि करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। उस समय उनके पास कोई काम ऐसा नहीं होता जिसको करके वह पैसा

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

पैदा कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इस ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले भी हमारे गांवों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया था कि गांवों में उद्योगों को लेकर जातियां बनाई गईं। अधिकतर आदमी कृषि करते थे और इसके साथ ही साथ सभी के पास उद्योग थे जैसे बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि और हर एक का अलग-अलग पेशा और उद्योग था। इससे खेती के साथ-साथ उनको आर्थिक सहायता भी मिलती थी। उनके घरों के बच्चे, स्त्रियां बड़े-बूढ़े सब उसी काम में लगे रहते थे और गांव में काम अधिक था। जितनी गांव की आवश्यकतायें होती थीं वह गांव में ही पूरी हो जाती थीं, जैसे बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाता था, लोहार भी बनाता था, चमार ने जूता बनाया, इस तरह से जितनी आवश्यकता की चीजें होती थीं गांवों में, वह सब वहीं बन जाती थीं। इधर कुछ दिनों से ग्रामीण उद्योगों में बड़ा फीकापन आ गया है। कुछ उसके एक दो कारण हो सकते हैं।

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

एक कारण तो यह भी है इसका कि हमारे गांव कदाचित् शहरों के अधिक करीब आ गये हैं और शहर की चीजें चूंकि अच्छी बनी हुई होती हैं इसलिये उन्हें ही वह ज्यादा पसन्द करने लगे हैं। दूसरी चीज यह कि आज मशीन का युग है मशीन की बनी हुई चीज लोग ज्यादा पसन्द करते हैं। मशीन की बनी हुई चीज में चिकनाई, सफाई और खूबसूरती अधिक होती है, हाथ की बनी चीज में यह कम होती है, इसलिये गांव के लोग भी अब गांव की चीज पसन्द न करके शहर की चीजों को ही ज्यादा पसन्द करते हैं। जैसे चमरौंधे जूते अब वह पसन्द नहीं करते। वह भी बूट पहनना पसन्द करते हैं जिसको कि पालिश वालिश करके चमकदार बना लिया जाता है। तेली से तेल नहीं पेराते क्योंकि एक तो उसमें कुछ देर लगती है और फिर खली में कुछ तेल भी रह जाता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके सारे ग्रामीण उद्योग हमारे अनजाने में ही समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिये इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगी। इस तरह अगर सारे उद्योग समाप्त हो गये तो केवल खेती पर निर्भर रहने से गांव वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसलिये हमें ग्रामीण उद्योगों को उत्साहित करना पड़ेगा।

आजकल बहुत से उद्योग, जैसे लकड़ी का काम है, चमड़े का काम है, लोहे का काम है, यह सब शहरों में सिखाया जाता है, लेकिन होता यह है कि गांवों के लड़के शहरों में पढ़ने आते हैं और यहां आके फिर यहीं बस जाते हैं। बढ़ई का लड़का शहर में बढ़ईगीरी सीखकर गांव में नहीं जायगा। तो इस ओर ध्यान देना चाहिये और इसके लिये गांवों के अन्दर ही स्कूल खोले जाने चाहिये जिससे कि ग्रामोद्योग ग्रामों में ही सिखाये जायं, जैसे लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, चमड़े वगैरह का काम है, यह सब गांवों में ही सिखाया जाय, ताकि गांव वाले सीखें और फिर अपना काम करें। चौथे पांचवें तक के बच्चे स्कूल में शिक्षा पायें और उसके बाद गांव में ही ऐसे सेंटर्स हों जहां कि वह यह सब रोजगार सीखें और चलायें। उसमें जो पैदा होगा—गवर्नमेन्ट शिक्षा देगी तो अच्छी चीजें वह पैदा कर सकेंगे, तो उसके आस-पास के गांव वालों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान तो दे रहे हैं, कई सेंटर्स खोले गये हैं, ताले बनाने के, पेंच बनाने के, साबुन बनाने के, इस तरह की बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन उन सबको शहरों में ही सिखाया जाता है। गांवों में कोई ऐसी टेक्निकल शिक्षा नहीं दी जाती है जिससे कि गांवों के बच्चे गांवों में ही रहकर उनको सीखें और वहीं उपयोग में लायें। तो मेरी यही प्रार्थना है कि गांवों में ही छोटे-छोटे सेंटर्स खोलने की चेष्टा करें।

दूसरी बात उसके साथ यह है कि हमारी आबादी की आधी तादाद हमारी बहनों की है। लगभग आधे हम लोग हैं। तो अब आप समझिये कि क्या गांवों में और क्या शहरों में करीब करीब सब जगह हम लोगों का सब काम खत्म हो चुका है। गांवों में औरतें पहले चक्की पीसती

थीं, धान कूटती थीं, मैंने देखा है कि बुढ़िया जो होती थीं वह कपास वगैरह ओटा करती थीं बैठकर और पुरानी रुई ले कर काता करती थीं, पहले कोई खाली नहीं बैठता था। अब गांव में बहनें न तो आटा पीसती हैं और न चावल कूटती हैं, क्योंकि आटा भी कम पैसे में पिस जाता है और चावल भी मशीन से कुटा हुआ मिल जाता है। इस तरह से मशीन के इस युग ने हमारे हाथ का काम बन्द कर दिया है। आदमी बेकार हो गये हैं। हाथ का काम नहीं है। चरखा कातने के लिये कपास भी नहीं है। मैं कई गांवों में गयी और बहनों ने यही शिकायत की कि कातने के लिये कपास ही नहीं मिलती। तो कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये हमें प्रयत्नशील होना चाहिये ताकि हम अपने प्रदेश की आवश्यकता को तो पूरा कर सकें। आजकल सारे काम मशीन के जरिये से होते हैं। सिवाय खाना बनाने और बातें करने के हम बहनों को और कोई काम नहीं रहता। इसलिये मैं चाहती हूं कि चर्खे की ट्रेनिंग हर गांव में दी जाय और उसके लिये कपास की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय ताकि गांव की समस्या हल हो सके।

इसके बाद मैं अपने जिले की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हरदोई जिले में सिर्फ एक शक्कर की फैक्टरी है। आबादी बहुत बड़ी है और उसके लिये कोई दूसरी फैक्टरी या कारखाने जिले में नहीं हैं। हर जगह फैक्टरियां खुलती जा रही हैं, लेकिन हरदोई एक ऐसा जिला है कि उसके लिये क्या कहा जाय, समझ में नहीं आता। पिछली बार भी उद्योग के अनुदान पर बोलते समय मैंने कहा था कि हमारे यहां सनई और मूंगफली बहुत पैदा होती है। अगर मूंगफली को कश कर तेल निकालने के लिये मशीनें लगा दी जायं और सनई का टाट आदि बुनने के लिये कुछ मशीनें लगायी जायं तो वहां के लोगों को काफी काम मिल सकता है।

दूसरे पिहानी और शाहाबाद में जुलाहों की बहुत बड़ी आबादी है और उनके अलावा बुनकर भी बहुत हैं लेकिन उन लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस ओर हमारे माननीय मंत्री जी ध्यान दें। उधर कुछ हैन्डलूम और खादी का काम चलायें तो बहुत से आदमियों को कारोबार मिल सकता है। छोटे-छोटे कारखाने जैसे साबुन बनाने या तेल निकालने के कारखाने हैं, वह अगर वहां फैलाये जायं तो काम चल सकता है। हरदोई में बड़े उद्योग न देकर यदि कुटीर उद्योग ही दिये जायं तो भी काफी लाभ हो सकता है।

अब फैशन की चीजें इतर आदि जो पहले इस्तेमाल होते थे उनका स्थान लवेंडर आदि ने ले लिया है। कन्नौज में इतर के बड़े कारखाने थे और बहुत से देशों में उस काम को फैला कर वहां के लोगों को काम दिलाया जा सकता था। जो हमारी निजी संपत्ति है उसके कारोबार को बढ़ावा देना चाहिये। जैसे चिकन का काम है या दूसरे काम हैं। कहा जाता है कि हमारे यहां मलमल का थान एक अंगूठी में रख कर किसी को प्रेजेन्ट किया गया था। जब अंग्रेज आये तो उन्होंने अंगूठे काट-काट कर इस चीज को समाप्त कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हाथ के काम को ज्यादा मदद दी जाय और उसको इंकरेज करना चाहिये। अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री छेदी लाल (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत लोगों की सिफारिश से और २ रोज तक उठने बैठने के बाद आपने इस वक्त मुझे मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष---यह धन्यवाद का तरीका उचित नहीं है। मैं तो अपना कर्त्तव्य पालन करता हूं लेकिन अगर आप धन्यवाद दें तो इस प्रकार कह कर दें, यह मुनासिब नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री छेदी लाल--यह जो हमें उद्योग की किताब मिली उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा। जो रुपया मंत्री जी उद्योग के विकास के लिये खर्च कर रहे हैं, उसको पढ़ कर मुझे खुशी हुई। लेकिन इसमें छोटे-छोटे उद्योगों के लिये विशेष धन नहीं दिया गया है।

हमारे जिले खीरी में जंगल और नदियों की वजह से लाखों जानवर पाये जाते हैं। वहां पर काफी चमड़ा मिल सकता है। वहां पर चमड़ा रंगने आदि के लिये इंतजाम किया जाय। पुराने जमाने से लोग वहां चमड़े का काम करते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से कच्चे चमड़े को वे कानपुर आदि ले जाते हैं जिसमें उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वहां सोसाइटी खोलने के लिये अनुदान दिया जाय तो वहीं काफी चमड़ा तैयार हो सकता है।

कत्था और बबूल भी हमारे यहां बहुत पाया जाता है। जिसका उपयोग बड़े-बड़े व्यापारी ही करते हैं। अगर सरकार उसको छोटे-छोटे लोगों को दे दे तो काफी कत्था थोड़ी कीमत में तैयार हो सकता है और उनको काफी मुनाफा भी मिल सकता है। कैराला और सरजू नदियों के बीच में बहुत-सा बेंत पैदा होता है। थोड़ा बहुत बेंत कट कर दूसरे जिलों को चला जाता है। वहां पर एक जाति थारू रहती है, अगर उसको बेंत का काम सिखा दिया जाय तो बहुत काफी सरकार का नफा हो सकता है और थारू लोगों का भी उत्थान हो सकता है।

बांस भी हमारे यहां बहुत पाया जाता है। छोटे-छोटे बुनकरों को सहायता देकर सरकार काफी काम करा सकती है और छोटे-छोटे बांस का काम करने वाले मजदूरों को भी बहुत काम मिल सकता है और उनकी आमदनी बढ़ सकती है।

झाऊ भी हमारे जिले लखीमपुर में बहुत होता है। उसकी छोटी-छोटी कंडिया इत्यादि गरीब लोगों से बनवाई जा सकती है। इससे हरिजनों को रोजी मिल सकती है। बान, सोंटा और हड्डी का काम भी हमारे यहां बहुत हो सकता है। हमारे जिले में चमड़े का बहुत बड़ा काम होता है जिससे वहां हड्डियां काफी तादाद में निकला करती हैं और हड्डी का काम न तो कोई व्यापारी ही करते हैं और न छोटे-छोटे रोजगारी ही करते हैं इसलिये सरकार का ध्यान उस तरफ जाना चाहिये। जब सरकार का काफी पैसा खाद बनाने में लगता है तो उसको चाहिये कि वह उन हड्डियों को इकट्ठा करवाये और फिर उनसे खाद तैयार करवाये जिससे हमारे जिले में जो छोटे-छोटे हरिजन हैं, जिनके पास न तो भूमि है और न कोई मजदूरी ही है, और जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, उन गरीब बेचारों को सरकार मदद के रूप में कुछ रुपया दे जिससे वे हड्डी के काम को बढ़ा सकें। मैं समझता हूं कि इससे सरकार का बहुत काफी लाभ हो सकता है।

श्रीमन्, हमारे जिला खीरी में बबूल बहुत ज्यादा पैदा होता है और उसके नीचे की जमीन जो होती है वह ज्यादातर ऊसर हो जाया करती है। हमारे जिले में पहले लोग छोटी-छोटी भट्ठियां बनाया करते थे और उनसे सोडा तैयार करते थे जिससे हमारे जिले से हजारों मन सोडा दूसरे जिलों में जाया करता था। लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया। मैं समझता हूं कि सोडा का काम खाली है और वहां सोडा तैयार किया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे जिले में कुछ लोगों को पैसे द्वारा सहायता दें और छोटी-छोटी समितियां कायम करें जिससे वहां काफी सोडा तैयार किया जा सके।

जूट हमारे जिले में बहुत काफी तादाद में पैदा किया जाता है और लाखों मन जूट दूसरे जिलों की जूट मिलों को भेजा जाता है। जिस तरीके से जूट पैदा किया जाता है और जिस तरह से ज्यादा तरक्की हो सकती है, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती। हमारे जिले में अधिक तादाद में जूट पैदा करने के लिये सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है। जो गरीब काश्तकार जूट पैदा करते हैं वे उसको बेंचने के लिये लखीमपुर बाजार में अढ़तियों के पास ले जाते हैं और इस तरह से टैक्स और चुंगी आदि में ही उनका आधा पैसा खतम हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में या तो वे एक जूट मिल खोलें, या मिल न खोल सकें तो ऐसी सोसाइटीज खोलें जिससे उनका जूट कायदे से बिक सके।

दूसरे वहां जूट के बीज के लिये कोई अच्छा इन्तजाम नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ खासतौर से ध्यान दे कि हमारे यहां जूट की काश्त ज्यादा हो सके।

सरकार का ध्यान बीड़ी की तरफ भी बहुत ज्यादा है, यह मुझे इस किताब को पढ़ने से मालूम हुआ है। हमारे यहां तेंदू के पेड़ बहुत से हैं जिनकी पत्तियों से बीड़ी बनायी जाती है। हमारे जिले में तम्बाकू की खेती भी अच्छी होती है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ भी कुछ पैसा खर्च करे जिससे वहां इसकी पैदावार अधिक बढ़ जाय।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान थारू, बोगसा जाति की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनकी हालत बहुत खराब है। सरकार को चाहिये कि उनकी दशा सुधारने की तरफ भी वह ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस तरफ दिला दूं कि कल ग्रांट संख्या २९ थी और आज जो ग्रान्ट है उस पर भी कल की ही बहस हो रही है। उन्हीं बातों का समावेश आज भी किया जा रहा है। मैंने दो, तीन भाषणों को सुना तो मालूम हुआ कि वे ही चीजें दोहरायी जा रही हैं। तो आगे मैं ऐसे भाषण की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहन सिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो औद्योगिक विकास का यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं इससे पहले कि समर्थन करूं मंत्री जी को अपने पर्वतीय इलाकों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दे देना मुनासिब समझता हूं। हमारे प्रान्त के पर्वतीय इलाके में यह मानी हुई बात है कि वहां एक मात्र कृषि से ही लोगों की जीविका नहीं चल सकती। मान्यवर, इसके साथ ही हमारे पास कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं हैं जिससे अपनी जीविका चलाने में समर्थ हों। बेरोजगारी हमारे यहां इतनी अधिक है कि सरकार द्वारा जो सस्ते गल्ले की दुकानें खुलीं उनसे हम अन्न क्रय नहीं कर सकते। इसलिये यह जरूरी हो गया है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि वहां औद्योगिक विकास हो।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षेप में ही २,४ बातें कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और उस क्षेत्र का कुछ उपकार करने की कृपा करेंगे। हमारे यहां लकड़ी, घास से लेकर के तमाम कीमती खनिज पदार्थ तथा और चीजें मौजूद हैं परन्तु हम अपनी निर्धनता के कारण उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक हम सहकारी नीति से ही अपनी सरकार से मदद नहीं पाते उन चीजों में सफल नहीं हो सकते और आर्थिक दशा नहीं सुधार सकते हैं। हमने बहुत पहले यह प्रयत्न किया था अपनी विकास कमेटियों के द्वारा विकास अधिकारियों को, यहां तक मंत्रिमंडल तक यह आवाज पहुंचायी थी कि हमारे यहां चीड़ के पेड़ हैं और बाबड़, घास फूस है कागज बनाने के काम में आ सकती हैं। परन्तु इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें और पर्वतीय इलाकों के क्षेत्रों में हल्द्वानी, ऋषिकेश, टनकपुर, काठगोदाम, जहां भी सम्भव हो कागज के कारखाने खोलने की कृपा की जाय जिससे हम अपना कच्चा माल खपा सकें और बेरोजगार जनता को रोजगार मिलेगा और थोड़े से अंश में आत्मनिर्भर बना सकेंगे।

दूसरा सुझाव मंत्री जी की सेवा में यह है कि टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल में जड़ी बूटियां अधिक मात्रा में पायी जाती हैं और सरकार की अन्वेषणशाला जो रानीखेत में है, उनके अन्वेषण के बाद मालूम हुआ है कि वे बहुत अच्छा असर रखने वाली हैं जो हिमालय की तलहटियों में पायी जाती हैं। इसके लिये मैं कहूंगा कि पर्वतीय प्रान्त में इन जड़ी बूटियों के उपयोग के लिये फैक्टरियां खोली जायं, चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में हों या भारी उद्योग

[श्री मोहन सिंह मेहता]

के रूप में हों, जिस तरह हो सके ऐसा प्रयत्न किया जाय और पर्वतीय प्रदेश की आर्थिक दशा सुधारने में सहायता की जाय ।

प्लानिंग रिसर्च और ऐक्शन इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि सिर्फ अल्मोड़ा जिले में ही सालाना २,००,००० रुपये की कीमत का चमड़ा जो वहां के मरे हुए डंगरों का बेकार जाता है, उसका इस वक्त तक कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है । इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी इस निधि को बरबाद न किया जाय, इस चमड़े की एक खाल २४ रुपये से ३२ रुपये तक बिकती है । अगर सावर करा दिया जाय तो १२० रुपये की खाल की कीमत होती है । हम लोग इतने समर्थ नहीं है । हम लोगों की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बिना सरकार की सहायता के इन उद्योगों को हाथ में ले सकें । मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्रीमन्, लीसे के विषय में एक सुझाव पेश कर देना चाहता हूं । हमारे यहां करीब ५ लाख मन लीसा पेड़ों से निकाला जाता है, जिसमें से ढाई लाख मन बरेली की टरपेन्टाइन फैक्टरी में खपता है । उसके बाद ढाई लाख मन रह जाता है जिसको विभाग वाले नीलाम से बेचते हैं । मेरा सुझाव है कि यह लीसा उपयोग में लाया जाय । इसको निकालने में, ढुलाई में, चीज तैयार करने में, जो मजदूरी हो, वहां के लोगों को मिलेगी । मैं नहीं कहता कि बरेली की टरपेन्टाइन फैक्टरी को बन्द किया जाय और दूसरी फैक्टरी चालू कर दी जाय । लेकिन ढाई लाख मन लीसा जो रह गया उसके लिये हमारे यहां आयात-निर्यात के साधन कुछ पहले से ज्यादा बढ़ गये हैं--उसी बरेली टरपेन्टाइन फैक्टरी से यह करा दिया जाय कि वह अपने अधीन ही कुछ ऐसे कारखाने कुमायूं में खोले जिससे कि वहां की माली हालत सुधरे । इसलिये श्रीमन् मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बरेली की जो फैक्टरी है वह उपयुक्त केन्द्रों पर ऐसा प्रबन्ध करे और हमारे चारों जिलों में यह देखा जाय कि कहां-कहां कारखाने खुल सकते हैं । आधा हिस्सा सहकारी संघों को दिया जाय और आधा सरकार का हो । इस तरह से ५०/५० के अनुपात में कर लें । उससे सुविधा होगी और सहकारी ढांचा भी बनेगा ।

मेरा एक और निवेदन है कि चीड़, ताड़ का काम भी यह कम्पनी अपने हाथ में ले ले । बाहर के देशों से यह बस्तु स्टाकहौम तार के नाम से आयात होती है । अगर बरेली की फैक्टरी इसे अपने हाथ में ले ले और कुमायूं में स्थान-स्थान पर प्रबन्ध कर दें तो यह भी चीज फायदे की होगी । जनता को रोजगार मिलेगा और विदेशी मुद्रा में भी उस हद तक बचत होगी ।

खनिज पदार्थों के लिये भी कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किये जायेंगे तो हमारे पर्वतीय प्रदेश का बहुत हित होगा । सस्ते गल्ले की दुकान और हवाई जहाज से अन्न गिराकर कब तक हमारी परवरिश सरकार करेगी । हम सरकार के ऊपर भारस्वरूप बन कर नहीं रहना चाहते । हम तो चाहते हैं कि विशेषज्ञों की राय से थोड़ा बहुत आर्थिक अनुदान और ऋण के जरिये से, हमारी सहायता की जाय और जो सहकरिता आंदोलन चला है, उसको प्रोत्साहन मिले और कुछ छोटे--बड़े उद्योग वहां सहकारी आधार पर चालू कर दिये जांय जिससे हम सरकार के ऊपर भार स्वरूप न रह कर स्वावलम्बी बन सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोविन्द सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने लगभग १ करोड़ ४९ लाख के अनुदान की मांग आज सदन के सामने पेश की है । यह मांग औद्योगिक विकास के नाम पर की गयी है । हमारे सूबे में पिछले सालों में भी ऐसे अनुदानों के सम्बन्ध में करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर चुकी है । उससे क्या तरक्की हुई है, इस सम्बन्ध में मैं पहले यह कहूंगा कि सरकार ने जितने भी विकास के कारखाने खोले हैं उनका हिसाब-किताब आज तक जनताके या माननीय सदस्यों के सामने पेश नहीं किया । कोई भी सदन का सदस्य इस

बात को अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, चाहे वह चुर्क सीमेंट फैक्टरी हो, हैंडलूम का हिसाब हो, टरपेन्टाइन फैक्टरी, बरेली हो या कोई और सरकार का उद्योग हो, किसी को उनके नफे नुकसान का पता नहीं है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से जो फैक्टरी खोली जाती हैं उनमें आप हजारों रुपया मासिक वेतन के रूप में देकर अफसरों और योग्य व्यक्तियों को रखते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार जनता के सामने उनका हिसाब-किताब नहीं रख सकती तो किस तरह से इन उद्योगों का विकास हो सकता है । हम नहीं समझते कि इस तरह से आज की सरकार किस तरह उद्योगों का विकास कर सकती है । भले ही जनता से करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में वसूल कर के उसको गुमराह किया जाय और चन्द पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दी जांय और सारे के सारे पैसे का घोटमघुटाला किया जाय । हमको मालूम है कि किच्छा में गन्ना मिल का लाइसेन्स नहीं मिला लेकिन फिर भी श्री दान सिंह बिष्ट की ४०,००,००० रुपया (चालीस लाख) सन् ५६ में दिया गया । दूसरी तरफ मेरठ में सहकारी फैक्टरी के लिये दस लाख रुपया जमा करा लिया गया, लेकिन फिर भी फैक्टरी चलाने की इजाजत नहीं दी गयी और न कर्जा दिया गया ।

इस के अलावा जितने भी ऋण सरकार ने दिये हैं वे हैसियत पर दिये हैं, जिनके पास हैसियत थी उन्हीं को ऋण दिये गये हैं, लोगों ने अपनी हैसियत दिखाकर उद्योग के विकास के नाम पर सरकार से कर्ज लिया है और उस को आज तक उद्योग में नहीं लगाया है और जो वाकई जरूरत-मन्द थे और उद्योग का विकास कर सकते थे उनको कर्जा नहीं दिया गया । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि उद्योग विकास के लिये ऋण हैसियत देखकर न दिया जाय बल्कि जरूरत के हिसाब से दिया जाय । सरकार का फर्ज था कि वह कोई ऐसी फैक्टरी खोलती जिससे ४००-५०० रुपया की लागत की मशीनें तैयार होतीं और वह देहातों के बेरोजगार लोगों को दी जातीं ताकि उनसे उन के परिवारों को काम मिलता और उनका भरणपोषण हो जाता, उत्पादन भी बढ़ता और बेकारी दूर होती । परन्तु हमें खेद है कि सरकार ने इस तरह का कोई काम नहीं किया हमारे गांवों में आज केवल एक ही खेती का काम है और जो ४-६ आदमियों का परिवार है वह सब एक ही काम में लगा रहता है । अगर सरकार कोई ऐसा बन्दोबस्त करती कि खेती के अलावा खाली वक्त के लिये उन लोगों को कोई रोजगार, छोटी-छोटी मशीनें देकर कराती तो उनकी गुजर भी हो जाती । अगर उन की बनाई हुई चीजों को मारकेट भी मिल सकता और कारखानों की चीजो के मुकाबले में उनका माल ठहर पाता तो वाकई बहुत कुछ बेकारी और गरीबी देहात की दूर हो सकती ।

हमें उस वक्त यह भी देखना होगा कि जो माल हमारे देहात के लोग अपने उद्योग से बनायें, उस की खपत भी मारकेट में है या नहीं । परन्तु खेद है कि आज तो सरकार विकास के नाम पर, योजना के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपया टैक्स के रूप में गरीबों से वसूल करती है और वह सारी की सारी आमदनी सरकार की विकास के नाम पर बड़े-बड़े लोगों को कर्जा देने में व्यय होती है और गरीब मारे जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात तो कई बार कह चुके, कोई नयी बात कहें ।

श्री रूमसिंह---जैसे हमारे शाहजहांपुर जिले में खेड़ा बघेड़ा में दरिया रामगंगर है । उसके किनारे सैकड़ों गांवों में बहुत जबरदस्त पैदावार है झाऊ की, उससे टोकरी और कंडियां और बहुत-सी चीजें तैयार हो सकती हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि आज तक सरकार ने इस बात की तरफ कतई तवज्जह नहीं दी कि किसी व्यक्ति को दरिया के किनारे भेजती और पता लगाती कि कितना झाऊ मुफ्त सरकार और गांव वालों के लिये उपलब्ध है और उससे उद्योग-धंधे सरकार बढ़ाती ।

[श्री रूम सिंह]

हमारे उस क्षेत्र में हजारों की तादाद में कोरी और जुलाहे बेकार रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि सूत बाजार से खरीद कर गाढा तैयार कर लें। जो सहकारी समितियां बनी हैं वह भी तवज्जह नहीं करती हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं वही फायदा उठाते हैं या उनके दोस्त-अहबाब हैं या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लोग जो जहां काम करते हैं उन्हीं को कर्जा मिलता है, गरीबों को कर्जा नहीं मिलता।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---कांग्रेस के लोग फायदा उठाते हैं यह वह सिद्ध करने की कृपा करें नहीं तो इन शब्दों को वापस लें।

श्री रूम सिंह---वापस लेने का सवाल नहीं है। यह सही है, आप मेरे साथ चलिये।

श्री उपाध्यक्ष---असल में उन्होंने किसी खास व्यक्ति को कहा नहीं, सोशलिस्ट पार्टी को आप भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि कल मंत्री जी ने कहा था अगर माननीय सदस्य जनरल रिमार्क करने के बजाय किसी स्पेसिफिक केस का हवाला दें, खास खास बातों का हवाला दें तो उससे दोनों को फायदा हो सकता है। हवा में बात उड़ाने से कोई फायदा किसी को नहीं होता।

श्री रूमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि सोसाइटियों का चुनाव होता है तो चुनाव कहां होता है? वह तो फर्जी बैठ कर लिख लेते हैं, मुश्तहरी भी नहीं होती और चुनाव कर लिया जाता है और सब अपने शासक पार्टी के आदमियों के हाथ में चला जाता है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि जितनी भी सरकारी सहकारी समितियां या फैक्टरियां हैं कम से कम उनका हिसाब सरकारी गजट में आये ताकि माननीय सदस्य और जनता इस बात को अच्छे तरीके से जाने और समझे कि सरकारी फैक्टरियां, चाहे चुर्क की हो या रेजिन टरपेंटाइन फैक्टरी हो, इनमें कितना मुनाफा सरकार को होता है या नहीं। सरकारी मिलों के सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ है कि शाहजहांपुर में भी एक सहकारी मिल खोलने की योजना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आजतक सहकारी मिल शाहजहांपुर में क्यों नही खुल पायी है, जबकि शाहजहांपुर में मैं दावे से कहता हूं कि गन्ने की पैदावार बहुत बड़ी है और जरूरत है कि उसका विकास करने के लिये किसी मिल की स्थापना की जाय। लेकिन पता नहीं किस खयाल से उनके दिमाग में यह चीज नहीं आती। चूंकि कांग्रेस वहां चारों खाने चित्त गयी है, इसीलिये शाहजहांपुर को नजरअन्दाज कर देते हैं। दूसरी जगह खुल जाय गन्ने का सहकारी मिल, लेकिन शाहजहांपुर की तरफ तवज्जह नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शाहजहांपुर में गन्ने की पैदावार बहुत बड़ी है इसलिये जल्द से जल्द, जहांतक हो सके, वहां एक सहकारी मिल खुलवाने की कृपा करें।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कानपुर की जो सरकारी बिजली कम्पनी है.....

श्रम उपमंत्री (श्री हेमावतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, उसका इस अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये आप इस पर कुछ नहीं कह सकते।

श्री रूमसिंह---इस उद्योग का विकास हो सके इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि इस कम्पनी में मजदूरों को कोई लाभांश नहीं दिया जा रहा है इसलिये उसमें तरक्की नहीं हो रही है। सरकार को चाहिये कि जितनी भी बिजली की प्राइवेट कम्पनियां हैं उनको अपने हाथ

में लेकर उनका राष्ट्रीयकरण करे। इससे प्रदेश का उत्पादन भी बढ़ सकता है और साथ ही उस गरीब जनता का भी इससे भला हो सकता है जिनसे यह सरकार टैक्स वसूल करती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री रामेश्वर प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, आपकी निगाह पीछे और कम बोलनेवालों का तरफ जाया करती है इसलिये आपसे प्रार्थना है कि हमारी तरफ भी आपकी नजर पड़ जाय।

श्री उपाध्यक्ष––आप पर नजर है लेकिन जरा देर में पड़ेगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि त न दिन की मुतवातिर उठक-बैठक के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने अभी कुछ समय पूर्व कहा था कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करता हूं। लेकिन इस तरह से "उठक-बैठक" कहने से तानाजनी हो जाती है। अगर एक साथ ही बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो जांय तो किस को मैं अवसर दूं यह तय करने में मुझको काफी दिक्कत होती है। लेकिन वह मेरा कर्त्तव्य है. मैं उसका पालन करता हूं। इस तानाजनी के साथ धन्यवाद देना आप बन्द कर दें।

श्री रामेश्वर प्रसाद––मैंने उपाध्यक्ष महोदय आपका आभार ही प्रकट किया था और करता हूं। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन इसलिये करता हूं कि उद्योग के बारे में सरकार की जो नीति है वह बहुत ही स्पष्ट है और उस नीति के द्वारा यह प्रयास वह कर रही है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टरों के जरिये जल्द से जल्द अपनी धरती पर जो बोझ मनुष्यों का है उसको कम करे और प्रदेश की समाजवादी व्यवस्था का नक्शा जल्द से जल्द पूरा हो जिससे प्रत्येक गरीब की माली हालत सुधरे और लोगों को राहत मिले।

कल भी उद्योगों के बारे में बहस हो चुकी है परन्तु मेरा दुर्भाग्य था कि मैं कल उसमें हिस्सा नहीं ले सका। आज एक सीमित मद पर मुझे बोलने का मौका मिला। जब मैं इसकी समीक्षा करता हूं तो ज्ञात होता है कि सरकार ने जो उद्योगों की तरफ प्रयास किये हैं उनमें प्रदेश की महानता निहित है।

मैं इस सदन के सामने केवल एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूं। सरकार ने पिछले ४ सालों के अन्दर २०५ कारखानों को लाइसेंस प्रदान किये हैं। जब यह कारखाने प्रदेश के विभिन्न इलाकों में चलने लगेंगे तब इस प्रदेश की माली हालत कितनी ऊंची होगी, यह गौर करने की बात है।

उधर के लोगों ने बहुत आलोचना की है और कुछ लोगों ने चुर्क सीमेंट फैक्टरी का कुछ छिद्रान्वेषण किया है। मैं समझता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी अपने प्रदेश के लिये गौरव की वस्तु है। यह फैक्टरी इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता की मुसीबतों को तो दूर करती ही है साथ ही साथ हमें यह कहते हुए गर्व है कि उस फैक्टरी ने दूसरे प्रदेशों की योजनाओं को भी पूरा किया है। उदाहरण के लिये उड़ीसा का हीराकुड बांध जोकि आज भारतवर्ष की प्रमुख योजनाओं में है उसके पूरा करने में हमारी चुर्क सीमेंट फैक्टरी का काफी हाथ रहा है और अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि उस योजना की पूर्ति ही करीब-करीब इस फैक्टरी द्वारा हुई है। इसके अलावा जो आज अपने प्रदेश में बड़ी बड़ी विकास की योजनायें चल रही है, यदि हमारी सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से इस फैक्टरी को पहले कायम न किया होता तो उस विकास के काम में बड़ी बाधा पड़ती और वह बहुत कुछ ठप्प हो सकता था। इसलिये यह फैक्टरी वास्तव में हमारे

[श्री रामेश्वर प्रसाद]
लिये एक गर्व की वस्तु है और जब मैं इसके भविष्य को देखता हूं जिसमें इसकी कैपैसिटी को दूना करने की बात कही गयी है, तो मुझे अन्यन्त हर्ष होता है ।

माननीय अवस्थी जी ने कहा कि लखनऊ की प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी चन्द औजार ही बनाती है । ऐसी बात नहीं है । यह फैक्टरी छोटे छोटे ऐसे बेशकीमती औजार बनाती हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में इस प्रदेश की काफी फारेन एक्सचेन्ज इक्ट्ठा करने में मदद मिलेगी। डाक्टरी से सम्बन्धित बहुत से आले जिनके नाम इस किताब में दिये हुए हैं, इसमें बनते हैं । अगर अवस्थीजी ने उसको पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि यह इस बात का द्योतक है कि थोड़े दिनों में इंटरनेशनल जगत में हम इस फैक्टरी के द्वारा ख्याति प्राप्त कर सकेंगे । इस फैक्टरी को मैं एक राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में देखता हूं ।

आज हमारे यहां उद्योग धन्धों का काम बचपन की अवस्था में है, लेकिन यह गर्व की बात है कि हमारे यहां की बनी हुई साइकिलें और उनके पुज बाहर के देशों में जैसे मलाया, लंका, ब्रह्मा, सऊदी अरब, कुवैत, टंगानिका, अफगानिस्तान, इन्डोनेशिया, फिलीपाइन आदि में जाते हैं । श्री उग्रसेन, अवस्थीजी या दूसरे उधर बैठे हुए साथी भले ही इसको ओवरलुक करें लेकिन यह प्रदेश के हर रहने वाले के लिये एक गर्व की बात है ।

अभी यहां पर कुंवर श्रीपालजी ने यह सवाल उठाया कि सूती वस्त्र उद्योग क्षीणता की ओर जा रहा है और इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये । मैं कहना चाहता हूं कि आज यह प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सामने एक समस्या है कि जापानी कपड़ा इतनी सस्ती कीमत पर संसार के देशों में जा रहा है कि उसका, हमारे देश का कपड़ा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसके लिये हमारे देश की सरकार चिंतित है और मैं समझता हूं कि इसके विषय में कोई न कोई निश्चित धारणा बनानी पड़ेगी । सरकार प्रदेश में ८० प्रकार के लघु उद्योगों को मदद कर रही है । ऐसी दशा में हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार गरीबों की मदद नहीं करती है या उद्योगों के साथ एक तमाशा करना चाहती है । हमें मानना पड़ेगा कि सरकार का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है जिससे हम कहें कि सरकार ने कोई कमी की है । नैनी में जो इंडस्ट्रियल कालोनी बनेगी उसमें २४ तरह के उद्योग खुलेंगे । आप जानते हैं कि नैनी से लेकर मुगलसराय तक एक कालोनी बस जायगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं और भगवान वह दिन जल्दी से जल्दी लाये जब हमारी सरकार अपने प्रयास में समर्थ हो और मुख्य मंत्री जी की छत्रछाया में उत्तर प्रदेश उद्योगों के मामले में अच्छा स्थान ग्रहण करे और जनता के लिये एक अच्छा रास्ता खुले जिससे हमारे प्रदेश की जनता समृद्धिशाली हो ।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमारे यहां प्रदेश में दो वस्तुएं बहुत होती हैं । एक तो महुआ का सीड बहुत होता है जिसका एक्सपोर्ट बाहर के प्रदेशों में होता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक सर्वे कराये और आयल आदि के रूप में यदि कोई चीज तैयार हो सकती हो तो वह तैयार करायी जाय । क्योंकि उससे बड़ा लाभ हो सकता है । दूसरा सुअर का बाल होता है । यह इसी हालत में इंगलैण्ड आदि जगह भेजा जाता है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पैदावार की जगह से १० रुपये सेर में खरीदा जा रहा है और १५०–२०० रुपये सेर में बेचा जाता है और इतना बड़ा लाभ बीचवाला खा जाता है । सरकार का ध्यान इस ओर भी आना चाहिये । हमारा जिला रायबरेली बहुत गरीब है और सरकार प्रयास कर रही है कि वहां की हालत सुधरे । वहां कोई इन्डस्ट्री नहीं है । हम चाहते हैं कि वहां पर कोई शुगर मिल स्थापित कर दी जाय । इसके अलावा हमारे यहां मूंज और चमड़ा बहुत होता है । इसकी सर्वे करायी जाय और यदि इस इन्डस्ट्री के लिये प्रोत्साहन दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को काफी राहत हो सकती है । अंत में मैं धन्यवाद देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि उत्तर प्रदेश में जब तक उद्योग धंधो का विकास तेजी के साथ नही होगा तब तक आम जनता को रोजी और रोटी मिलने वाली नहीं है । अपने प्रदेश में दो ही साधन हैं जिससे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं । खेती प्रधान देश में खेती के ऊपर जो कार्य होना चाहिये वह आज सरकार से नहीं हो पा रहा है । उद्योग अपने प्रदेश में दो तरह के चलते हैं । एक बड़े उद्योग, जो पूंजीपतियो द्वारा चलाये जा सकते हैं और सरकार द्वारा भी सहकारिता के आधार पर बड़े उद्योग चलाये जा सकते हैं । गांव मे बसने वाली आम जनता के बूते के बाहर है कि लाखों और करोड़ों रुपये की पूंजी इकट्ठा करके कोई बड़ा उद्योगधंधा खोले और हजारो की तादाद में बेकार लोगों को रोजी रोटी का इन्तजाम करे । वह तो इस प्रदेश और देश के रहने वाले बड़े-बड़े सरमायेदार जो अरबपति और करोड़पति हैं वे चाहें तो बेकारी की समस्या हल करते हुए, जिन चीजों की आवश्यकता देश की जनता को है उसकी पूर्ति सस्ते में कर सकते हैं । लेकिन बदकिस्मती अपने प्रदेश एवं इस देश की है, दूसरे देश के रहने वाले पूंजीपति इंगलैंड वगैरह के अगर कोई कारोबार खोलते हैं तो वह इस नीयत से खोलते है कि देश के रहने वालो को सामान सस्ता मिले और सबको मिले, लेकिन अपने देश का पूंजीपति इसलिये रोजगार नही खोलता है कि सामान सस्ता होगा, मंहगा नहीं बिकेगा और बदकिस्मती हमारी यह है कि इस प्रदेश की सरकार भी ऐसे ही पूंजीपतियों को मदद देती है । सहकारिता के आधार पर मदद देने को उत्सुक नहीं है । उसके लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाती है जिससे लाखों लोगों को रोजी रोटी मिले ।

कल ही अभी माननीय ब्रजनारायण जी के एक सवाल के उत्तर में बताया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश की सरकार ने बड़े-बड़े आदमियों को ४,११,७७,५०० रुपये का कर्जा दिया है । मैं जानना चाहूंगा कि यह कर्ज देने के बाद उन पूंजीपतियों ने कितने आदमियों की रोजी रोटी का इन्तजाम किया। यह भी मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने उन पूंजीपतियों को क्या काम करने के लिये मजबूर किया, अपने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये, बेकारों की फौज को कम करने के लिये उसने क्या किया । मेरा विश्वास श्रीमन्, यह है कि सरकार जिन पूंजीपतियों को इस तरह का कर्ज देती है वे पूंजीपति लोगों की रोजी रोटी का प्रबन्ध करना तो दूर रहा और अपनी मिलें बन्द करते हैं । मिलों को बन्द करके हजारों परिवारों को मजबूर करते हैं भूख से मरने के लिये । हजारों परिवारों को नंगा रखना उनको स्वीकार होता है । लेकिन यह सरकार नहीं सोच सकती कि जब हम करोड़ों रुपया किसी उद्योगपति को औद्योगिक विकास के लिये देते हैं और वह इस काम को नहीं करते है तो वह राष्ट्र-द्रोह का काम करते हैं । मैं साफ कहना चाहता हूं कि दूसरे देश की सरकार होती तो ऐसे मिल मालिक के खिलाफ राष्ट्र-द्रोह का मुकदमा चलाती । यह क्या इन्सानियत की बात है कि एक तरफ तो करोड़ों की तादाद में कर्जा दिया जाय और दूसरी तरफ ....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह भाषण कल के अनुदान पर ज्यादा शोभा देता । थोड़ा बहुत आपने इशारा कर दिया वह काफी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, इसमें मदद देने की बात है औद्योगिक विकास के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं है । आप ग्रान्ट पढ़ लें, उसमें किसी पूंजीपति को कर्जा देने की बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--सहकारी समितियों को देने की बात है और उद्योग धंधों के विकास के लिये है ....

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं । मैं यह दलील मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अब आप इस पर बोलें । वह काफी हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, जहां तक और उद्योग धंधों को विकसित करने का सवाल है इस प्रदेश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर उद्योग धंधों का विकास नहीं हो रहा है । आप खयाल करें तो अपने प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिले, बुन्देलखंड और पहाड़ी जिले ऐसे हैं जहां पर कि आबादी बहुत ज्यादा है, श्रम-शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ-साथ उनके पास पूंजी नहीं है जिससे कि वह अपनी श्रम-शक्ति का उपयोग कर सकें । ऐसी अवस्था में सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि जहां श्रम-शक्ति सस्ती हो वहां वह पूंजी दे कर, उसको इकट्ठा कर के उसका विकास करने के लिये उसे आगे बढ़ाने में सहायक हो और मेरा विश्वास है कि जब तक बुन्देलखंड के इलाके में, पहाड़ी जिलों में और पूर्वी इलाकों में ऐसे उद्योग धंधे तब नहीं खोले जायेंगे कि जो छोटी पूंजी के हों और जो हजारों आदमियों को रोजगार दे सकें तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है । आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर का बहुत-सा हिस्सा ऐसा है कि जो ऊसर है । आजमगढ़ की ६ में से ५ तहसीलें ऐसी हैं कि जो ऊसर तथा नदी जलाशयों की तहसील हैं । कुछ दिन पहले सरकार ने एक जांच कमीशन बैठाया था यह देखने के लिये कि ऊसर क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग खोले जा सकते हैं ताकि उस जमीन का भी उपयोग हो सके । जहां रेह मुफ्त मिलती है उसका भी उपयोग किया जा सकता है । ग्लास फैक्टरी वगैरह खोल कर हजारों आदमियों को काम दिया जा सकता है और अन्त में शीशे आदि की पूर्ति की जा सकती है । लेकिन सरकार की ओर से फैजाबाद, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर आदि में ऊसर जमीन पर काम करने के लिये एक कदम भी नहीं उठाया गया है । साथ ही हमारी बदकिस्मती यह है कि इन जिलों की आबादी बहुत अधिक है । श्रम-शक्ति है किन्तु साधन शक्ति नहीं है और यहां की जनता की मांग है कि यहां विकास के लिये कुछ ठोस काम किया जाय । जो सहायता दी जाती है वह बेकार है । वहां के पुराने उद्योग धंधे कम होते जा रहे हैं ।

आजमगढ़ के मट्टी के बरतन तथा हथकरघे का धंधा उजड़ता जा रहा है, निजामाबाद की मंडी उजड़ती जा रही है । आजमगढ़ में जल्दी और सस्ता सूत देने के लिये एक मिल खुलने वाली थी लेकिन वह खबर अखबार में ही रह गयी । उस तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ा । आजमगढ़ में विकास के नाम पर अब तक दो ही काम हुए हैं और वह भी मऊ नगर में । एक तो ब्लीचिंग की मशीन लगी है और दूसरा एक बीविंग का स्कूल खोला गया है । इसके अलावा सरकार की ओर से कोई विकास का काम नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा कि इन पूर्वी जिलों के लोग जहां साधनहीन हैं और श्रम-शक्ति सम्पन्न हैं उनको उद्योग के लिये सहायता प्रदान की जाय । सरकार सहकारिता के आधार पर कुछ कर्जा भी देती है । कल एक लिस्ट बंटी थी, उसमें मैंने देखा कि कर्जा उन्हीं जिलों को दिया जाता है जहां पहले से कुछ विकास हुआ हो उद्योग का । बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों की लिस्ट थी उसमें जिन जिलों को दिया गया वह हमारे इन जिलों के मुकाबिले में ज्यादा था, कर्जे की शक्ल में या अनुदान की शक्ल में । अगर आप गन्ने के सिलसिले में कोई उद्योग धंधे खोलना चाहते हैं तो बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर में लाखों की आबादी किसानों की है जो गन्ने पर ही जिन्दगी बसर करते हैं । वहां खेती बारी की उन्नति के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है ? बीसों बार गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया से मांग की गयी कि इन्दारा में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिये और हजारों आदमियों को काम देने के लिये सरकार वहां एक मिल खोले, लेकिन सरकार वहां नहीं खोलना चाहती है और वहां खोलना चाहती है जहां पहले से मिल मौजूद है । मैं चाहूंगा कि ऐसे काम के लिये भी सहकारिता के आधार पर कर्जा दिया जाय ताकि लोग गन्ने के काम को अच्छी तरह से चला सकें । जो सहायतायें उद्योगों के विकास के लिये दी जाती हैं सरकार उनकी जरा जांच पड़ताल भी करे । इसके बाद सरकार इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि ५० फीसदी पैसा खराब रास्ते पर जाता है और केवल ५० फीसदी ही इस काम में लगता है ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिलों में, बुन्देलखंड में और पहाड़ी जिलों में उद्योग-धंधों के लिये वहां की जनता को सहकारिता के आधार पर सहायता दे ताकि वहां के लोगों को राजी मिले। पुराने उद्योगों को भी बढ़ाने के लिये काफी पैसे दिये जावें और उसकी जांच भी हो।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की प्रसिद्ध चुर्क सीमेंट फैक्टरी का जिक्र किया कि वे उसे दुगुना करने जा रहे हैं। अक्सर होता यह है कि छोटी-छोटी फैक्टरी बनाने के लिये सीमेंट की कमी हो जाती है। इस फैक्टरी की क्षमता दुगुनी होकर सचमुच छोटे धंधों को सहायता मिलेगी। लखनऊ की इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी का मंत्री जी ने जिक्र किया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस समय जब माननीय मोती लाल जी ने कहा कि वहां केवल २,३ छोटी-मोटी चीजें ही बनती हैं। यदि सचमुच वहां रिस्ट वाच भी बनने लगे तो वह उसे भी नगण्य चीज ही मानेंगे क्योंकि वह बहुत छोटी चीज होती है। उनको मालूम होना चाहिये कि पानी के मीटर वहां बनते हैं जिसके लिये हमको लाखों रुपया हर वर्ष बाहर भेजना पड़ता था। हम आशा करते हैं कि हमारी जरूरत को यह फैक्टरी पूरा कर सकेगी। इससे मैं समझता हूं कि हमारी फारेन एक्सचेंज की जरूरत भी कम होगी।

बड़ी-बड़ी चीजों के साथ साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछ छोटी बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे विकास क्षेत्रों में एक अंग छोटे-छोटे उद्योगों का है। हमारे अमरौधा और घाटमपुर विकास खंडों में पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमने सोचा कि खाद्यान्न तो किसी तरह से पूरा होने लगा है इसलिये हम छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ ध्यान दें। अमरौधा विकास खंड में रेशम का काम हम लोगों ने शुरू किया। उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में अंडी पैदा होती है जिसके पत्ते खा कर रेशम के कीड़े जिन्दा रह सकते हैं, और अच्छा रेशम उन्होंने दिया। लेकिन चूंकि लोगों को पैसा नहीं मिल सका इसलिये वह काम रुक गया। रेंडी का तेल बहुत बड़ी मात्रा में वहां बनाया जा सकता है बशर्ते कि लोगों को उसके लिये सहायता मिल सके। वहां ऐसे कारखाने हैं जिनकी इमारतें खड़ी हुई हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वे चालू नहीं हो सके। इत्र का उद्योग हमारे विकास खंड में ऊसानगर ग्राम में होता है लेकिन पैसा न होने से वह भी जैसा चलना चाहिये, चल नहीं पा रहा है। लोगों के पास छोटी पूंजी होती है और जितना इत्र निकालना चाहिये उतना नहीं निकाल पाते हैं। हमारे जिले के उद्योग अधिकारियों का भी ध्यान उधर नहीं जाता है क्योंकि शायद वे उसे उद्योग ही नहीं मानते हैं। तिलहन की पिछली फसल एक बहुत बड़ी फसल निकल गयी जब हमारे क्षेत्र में हजारों नहीं लाखों बीघे में सरसों फूली हुई थी। एक विशाल क्षेत्र में सरसों होती है। इससे हमने ५५-५६ में अच्छी मात्रा में शहद लिया था। लेकिन लोगों को पैसा न मिलने से मक्खी पालन के बक्से भी वे नहीं खरीद सके। इधर भी ध्यान दिया जाय तो कई महीने तक बहुत बड़ी मात्रा में शहद मिल सकता है। हमारे क्षेत्र में एक दियासलाई का कारखाना पुखराया में खोलने की बात आयी, लेकिन आज तक वहां दिया सलाई नहीं बन पाई। इसी तरह से कागज के काम को भी सहायता नहीं मिलती है। अभी हाल ही में आल इंडिया खादी बोर्ड के माननीय श्री भट्ट जी अमरौधा पधारे थे और उन्हों ने कोआपरेटिव से बने छोटे-से कारखाने का अमरौधा में उद्घाटन किया है और यह आशा की जाती है कि वह कागज का काम आगे बढ़ेगा। उससे ४०, ५० लोगों को काम केवल कच्चा माल तैयार करने में ही मिल सकेगा और दूसरे सैकड़ों लोगों को भी कागज बनाने का काम मिलेगा। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में सन पैदा होता है वह सारा का सारा कानपुर में चला आता है। उससे टाट पट्टियां और रस्सी बन सकती हैं। हमारे क्षेत्र में ऊन का उत्पादन होता है जो खासी मात्रा में वहां होती है। वह कत कर मिर्जापुर और बनारस को जाती है।

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

हमारे यहां अगर थोड़ी सी टेक्नीक लोगों को सिखा दी जाय तो बड़े अच्छे कम्बल वहीं बन सकते हैं। हमारे क्षेत्र में मूसानगर ग्राम में बहुत अरसे से लोहे की कढ़ाइयां बनती हैं। एक कोआपरेटिव सोसाइटी ने अलमारियां और लोहे के बाक्स भी बनाने शुरू किये, लेकिन चरण सेफ वर्क्स या भाटिया सेफ वर्क्स जो कानपुर के हैं उनकी तरह से वे अच्छी फिनिश नहीं दे सके और वह उद्योग नहीं चल सका। अब मूसानगर में बिजली पहुंच गयी है मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही वहां के कारीगरों और कोआपरेटिव सोसाइटीज को आर्थिक सहायता और बिजली देगी ताकि उनकी निर्मित वस्तुओं की फिनिश अच्छी हो सके। वहां की कढ़ाई भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज को सस्ती बिजली दी गयी तो वहां बहुत से लोगों को रोजी मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन चन्द सुझावों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविंदसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू में दो कारखानों का जिक्र किया---एक तो चुर्क फैक्ट्री का और दूसरे लखनऊ की प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी का। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा चुर्क फैक्टरी हमारे प्रदेश ही नहीं देश के लिये बड़े गौरव की चीज है, लेकिन वहां पर मजदूरों के लिये उतना अच्छा प्रबंध नहीं है जितना कि बड़े-बड़े आफिसरों के लिये। जिनको २५ प्रतिशत एलाउन्स वहां जाने के लिये तनख्वाह और भत्ते के अलावा दिया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट में भी मजदूरों के प्रतिनिधि लिये जाने चाहिये। लखनऊ के कारखाने के उत्पादन के बारे में मैंने पूछा था, लेकिन बताया नहीं गया। जहां तक मैंने पता लगाया है कि उत्पादन ४५ प्रतिशत है (एक आवाज---१०३ प्रतिशत) हो सकता है इतना हो। जिस प्रकार कि चुर्क फैक्टरी है उसी प्रकार से हमारा अधिकतर धन पब्लिक सेक्टर में ही खर्च होना चाहिये तभी हम ज्यादा से ज्यादा प्रदेश का विकास कर सकते हैं। इससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर के लिये २६ करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन उसमें से १३ करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया और पब्लिक सेक्टर की ओर से हमारा ध्यान बिलकुल हट गया है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ हमारा ध्यान अधिक जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मान्यवर, उद्योगों के संबंध में दो एक बातें और कहना चाहता हूं। हमारे बनारस में कालीनों का बहुत बड़ा उद्योग है। ६५ हजार लोग इस काम में लगे हुये हैं जिसकी खपत विदेश में भी होती है। वहां कुछ इजारेदार पैदा हो रहे हैं। छोटे-छोटे उद्योग वालों को बहुत कम मिल पाता है और मजदूरों को भी कम मजदूरी मिलती है। सरकार छोटे-छोटे उद्योग वालों की कोआपरेटिव सोसाइटीज संगठित करे और उनको मदद दे। विदेशों में कालीन भेजने के लिये सरकार कोई केंद्रीय संगठन बनाये ताकि विदेशों में जाकर उनसे मुनाफा कमाया जा सके।

इसी प्रकार से बनारस में बर्तन उद्योग भी बहुत पुराना है, लेकिन आज उन बर्तन बनाने वालों की हालत यह है कि उनको उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही है। माननीय मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि वहां के बर्तनों की खपत पूरे हिन्दोस्तान में होती है, लेकिन यह उद्योग चौपट होता जा रहा है। बनारस की साड़ियां सारी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आज इस उद्योग की हालत बहुत खराब है। जहां तक हो सके इसकी तरक्की के लिये छोटे-छोटे उद्योगपतियों को संगठित करने की जरूरत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बनारसी साड़ी के छोटे-छोटे उद्योग करने वालों को भी कोआपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर संगठित करें क्योंकि मैंने देखा है कि जब वे साड़ी बुनकर लाते हैं तो उनको कीमत या मजदूरी उस समय नहीं मिलती है बल्कि चार-चार महीने तक उधार पड़ी रहती है।

इसलिये उनका कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि उनको उनकी कीमत तथा मजदूरी जो उचित हो वह तुरन्त मिल जाया करे।

एक बात मुझे कत्था उद्योग के संबंध में भी कहनी है। हमारा ऐसा खयाल है कि १५,२० हजार आदमी इस उद्योग में लगे हुये हैं। उनको बढ़ावा देने के संबंध में एक दिन मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से जो कि वन मंत्री भी हैं, कहा था तो उन्होंने बतलाया था कि कत्था उद्योग करने वाले छोटे-छोटे लोगों की जो भट्ठियां हैं उनसे वे कुछ नहीं निकाल पाते, लेकिन इस पुस्तिका को पढ़ने से मालूम हुआ कि ऐसी बात नहीं है, वे कुछ भी निकाल सकते हैं और निकालते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कत्थे का पेड़ न देकर इस उद्योग को छोटे-छोटे लोगों के हाथ में दे जो कोआपरेटिव बेसिस पर इस काम को कर सके। वे कत्था भी तैयार करेंगे और कुछ भी निकाल सकेंगे।

एक बात इस सिलसिले में और कहनी है जिसके संबंध में आडिटर ने अपनी ५८ की आडिट रिपोर्ट में भी कहा है। श्रीमन्, हल्द्वानी, बरेली और एक जगह और जो कत्था फैक्ट्री है उसमें सरकार का करीब साढ़े ३० लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस संबंध में ए० जी० ने भी सरकार का ध्यान दिलाया है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया।

प्राइवेट सेक्टर के संबंध में भी मुझे कुछ कहना है। एक स्टेट जो सन् ४९ में इस राज्य में विलीन हो गयी, वहां एक कम्पनी थी जिसके ऊपर सरकार का बहुत काफी रुपया बाकी था, लेकिन उसके बावजूद भी दो लाख रुपया ५ फी सदी ब्याज पर सरकार ने उसको दे दिया और वह रुपया आज तक वसूल नहीं हो पाया है। इस तरह से करीब ६-७ लाख रुपये का नुक्सान सरकार को रहा। ए० जी० ने भी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया है, इसलिये मैं भी चाहता हूं कि सरकार का ध्यान प्राइवेट सेक्टर की तरफ न जाकर पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना चाहिये। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि जो रुपया किसी को दिया जाय उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये ही यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन उद्योगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन उद्योगों का निर्माण इस प्रदेश में आज हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर अमीर अमीर ही बनता जाय और गरीबों की गरीबी बढ़ती जाय तो ऐसे उद्योगों से देश को त्राण नहीं मिल सकता है, मैं जिस जिले से आ रहा हूं वह बहुत ही गरीब जिला है। खासकर इस जिले के लोग फौज और पुलिस के लिये ही रिजर्व रहते थे। बंगाल, बिहार, मद्रास और राजस्थान की फौज तथा पुलिस के लिये अधिकतर यहीं से लोग लिये जाते थे। उसके लिये ही यहां के लोग अधिकतर फौज और पुलिस में लिये जाते थे वही उनकी जीविका का साधन था। लेकिन आज संविधान के अनुसार दूसरे जिलों में उन कौमों को बराबरी का अधिकार देने के कारण वह बात नहीं रह गई और सभी लोगों को फौज में समान अधिकार मिल गये हैं। यह मानी हुई बात है कि साल भर कठिन परिश्रम करने के बाद पहाड़ों पर ३ महीने का भी खाना नहीं होता है और कोई उद्योग-धंधे भी वहां नहीं हैं जिससे वहां के लोग जीविका कमा सकें। ऐसी स्थिति में बेकारी की समस्या बढ़ती ही नजर आती है। आबादी भी बढ़ रही है, वन विभाग का आतंक भी ऐसा छाया हुआ है कि वनों की गोद में पैदा होने पर भी वन उपज से भी हम लोग बिल्कुल अलग रखे गये हैं। पूर्वी और पश्चिमी जिलों का बहुमत होने से उन्हीं की सदन में बड़ी चर्चा रहती है पहाड़ों के लोग अल्प संख्या में होने के कारण अपने पूर्ण विचारों को यहां पर भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं।

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

इन तमाम कठिनाइयों को देखते हुए मैं यह सौभाग्य समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने अपने विचार रख रहा हूं। ऐसी बात भी नहीं है कि पहाड़ों को कोई त्राण नहीं मिल सकता। वहां प्राकृतिक सम्पदा बहुत भारी मात्रा में है, वहां खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जैसा कि सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट से मालूम होता है। अगर उन पदार्थों की खोज की जाय, इंडिया गजेटियर में उसके आंकड़े मिलते हैं जिनको मंत्री जी अपने विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा भी मालूम करा सकते हैं। इस सदन में किसी सदस्य ने लालढांग, जिला गढ़वाल में पत्थर के कोयले के संबंध में अपने विचार भी व्यक्त किये थे। उसी तरह से दूधातोली पर्वत पर चांदी, सोना और अबरक है तथा वहां रिंगाव और लीसा का भी भण्डार अतुल है जिनसे बड़े-बड़े उद्योग वहां कायम किये जायं जिससे काफी राहत मिल सकती है। नागपुर में इंजीनियरिंग कांफ्रेस हुई थी जिसमें ग्रिड स्टार फार्मूला तय हुआ था कि १४१३ मील सड़कें पहाड़ों पर बनेंगी, लेकिन जिला गढ़वाल में ५०, ६० मील सड़क ही बन पायी है। यातायात के समुचित साधन न होने से पहाड़ों पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर नहीं आ सकतीं जिससे वहां के लोगों की गरीबी बनी हुई है।

भूमि की कमी है ही, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं। हमको चंडीघाट, हरद्वार से लेकर टनकपुर तक ४ मील चौड़ी पट्टी दे दी जाय जिस तरह से रुद्रपुर में और गंगा खादर, मेरठ में कालोनाइजेशन स्कीम के आधार पर लोग बसाये गये हैं उसी प्रकार हमको भी बसाया जाय और बाद को हमसे भी मकान वगैरह की कीमत वसूल कर ली जाय जैसे वहां की गई है। अगर इस तरह का कोई रास्ता सरकार हमारे लिये सोचे तो मैं समझता हूं उससे भी हमें बड़ी राहत मिल सकती है।

ऊन का व्यवसाय हमारे यहां बहुत ज्यादा होता था पहले से और बहुत सी ऊन तिब्बत से आती थी और लोग भेड़ें पालते थे। लेकिन ऊन के कारबार को उठा करके उद्योग विभाग के अन्तर्गत नजीबाबाद, में रख दिया, जो कुछ ऊनी सेन्टर पहले देहातों में थे उनको समेट लिया गया और आज वह ऊनी कारोबार एक प्रकार से नाम मात्र के लिये पौड़ी में और चमोली में रह गया। पहाड़ों में जो खनिज पदार्थ दबे हुए हैं, अगर उनकी ओर सरकार भू-गर्भवेत्ताओं का ध्यान दिलाये तो वहां लोहा, तांबा, अबरक आदि चीजें मिल सकती हैं और वहां की गरीबी समाप्त हो सकती है।

बागबानी का उद्योग भी पहाड़ों में हो सकता है। यहां पर कई स्थान ऐसे हैं जो वन विभाग के अन्तर्गत हैं और जहां पर फलों की उपज बड़ी अच्छी हो सकती है। भड़सार एक जगह है। उसके पास गबनी का डांडा है। वहां पर चार-पांच पांच सौ पेड़ सेब के किसी चीनी व्यक्ति के थे। वह छोड़ कर चला गया। आज भी उस स्थान पर ६,००० फीट की ऊंचाई पर जगह-जगह पानी है और बागवानी हो सकती है। सरकार वहां साढ़े तीन हजार फीट से ऊपर पर बागबानी कर ले और हम लोगों को तराई में चंडीघाट से लेकर भावर में खेती करने के स्थान दे दे तो हम लोग उसको छोड़ने के लिये तैयार हैं। हमें दुख है कि पहाड़ों का जो आंगन तराई भावर था उसको हमसे छीन लिया गया है। वहां पर बाहर से आये लोगों को तो जगह मिलती है, लेकिन हमको नहीं मिल पाती जिससे हम दो चार गांव बसा सकें। जो बाहर के जरायम पेशा लोगों को वहां पर बसा करके, हम अपनी बहू बेटियों और पशुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि पर्वतीय जिलों की गरीबी और भुखमरी की ओर आप जरूर ध्यान दें। कुछ छोटे-बड़े उद्योग चालू करें जिससे हम लोगों को रोजी और रोटी की राहत मिल सके। इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय बंशीधर शुक्ल, आप ५-६ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ५-६ मिनट में हम क्या कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—कवि लोग तो एक वाक्य में बहुत कुछ कह देते हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल—हमारा कहना यह है कि यदि सरकार उद्योगों के ऊपर से अपना नियंत्रण हटा ले और अपने जो नौकरों का बंधन है उसको न रक्खे तो उद्योग ज्यादा बढ़ सकते हैं। उद्योग क्यों नहीं बढ़ते हैं ? साधन नहीं, पैसा नहीं अतः जो कर्जा दिया जाय, एक ही मुहकमा के द्वारा दिया जाय । हजारों जगह से कर्ज देना, यह सब बेकार की चीज है । हमारे जिले में भंग की चद्दर बनती है और बड़ी ही सुन्दर और ठंडी होती है ।

श्री उपाध्यक्ष—ओढ़ने वाली चद्दर ।

श्री बंशीधर शुक्ल—ओढ़ने वाली और बिछाने वाली भी । उसका भी अगर विकास किया जाय तो बहुत अच्छा है । वहां जंगल में एक सन होता है उसे बेंडू कहते हैं, जंगल वाले काटने नहीं देते । उसकी तरफ यदि ध्यान दिया जाय तो ठीक होगा . . . .

एक सदस्य—चद्दर ओढ़कर नींद बड़ी अच्छी आती होगी ।

श्री बंशीधर शुक्ल—नींद ऐसी कि यदि ओढ़ कर सो जायं तो फिर जगे ही नहीं । मेरा कहना है कि हमारे जिले में बहुत से उद्योगों के लिये स्थान है और जमीन तो हर जगह उद्योगशील है, लेकिन अगर ऊसर से भी आप काम लेना चाहें तो उस में ईंट के भट्ठे लगा सकते हैं या रेह से सोडा बना सकते हैं जो हमारे जिले में बनता था, वहां जंगल भी लगाये जा सकते हैं । जहां कंकड़ पैदा होता है उसे निकलवाकर चूना बनाया जा सकता है और वह मकान बनाने के काम में आ सकता है । इसी तरह से हमारे जिले में ३ लाख मन जूट होता है । उसका एक मिल बनाना चाहिये । कपास यहां उत्तर भारत में होती नहीं, वह दक्षिण में ही ठीक होती है, यहां ओस बहुत पड़ती है इसलिये वह उसको हानि पहुंचाती है । ढेड़ काने हो जाते हैं अतः नहीं हो पाती । हमारे यहां खस भी निकाला जा सकता है । जो इतर तथा टट्टियां बनाने के काम में आ सकता है । तम्बाकू भी हमारे यहां पनगी बिसवां की मशहूर है और सारे भारत में हमारे ही यहां से तम्बाकू जाती है । उसका भी उद्योग तरक्की कर सकता है । इसी तरह से झाऊ गिरिगिट्टी की टोकरियां बनाई जा सकती हैं । और जो गन्ने के मिलों की खोई है वह कागज बनाने के काम में आ सकती है । ब्रह्मा का जो झाखर होता है उसकी टोकरियां बन सकती हैं जो फीरोजाबाद में चूड़ियों के बांधने में काम आ सकती हैं । गन्ने की फैक्टरी के संबंध में हमारे जिले में १८ लाख रुपया जमा किया गया, लेकिन बजाय फैक्टरी चीनी की खुलने के वह रुपया किसानों को वापस कर दिया गया और पलिया का अभी दिया भी नहीं गया और न उस पर सूद ही दिया गया । जो वादा किया गया था वह भी पूरा नहीं किया गया । हमारे जिले में एक चीनी मिल की बहुत जरूरत है । जिस तरह से रस पेरने के क्रशर हैं, कोल्हू हैं इसी तरह से कोई छोटी सी रस औटाने की भी कोई वैज्ञानिक मशीन होनी चाहिये । हमारे यहां चाय की खेती भी हो सकती है । मगर हो कैसे ? लूट होती है । म्युनिसिपैलिटी में कोई कुछ बेचने जाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है । उसके एवज में कूड़ा खाद ही किसानों को मुफ्त दे दी जाया करे तो कुछ सन्तोष हो । किसानों से गन्ना मिल में लिया जाता है उनको पैसा भी कम दिया जाता है, मिल वालों से जो मिलों की खाद होती है गन्ने की वही किसानों को फ्री दी जाया करे तो किसानों को कुछ संतोष हो जाया करे ।

इसके अलावा हमारे यहां शारदा नदी की बालू इस प्रकार की होती है कि उससे कांच बन सकती है । उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । हमारे जंगल से लोग साखू के पत्तों से पत्तलें बनाकर बेचते थे, यह उनका व्यापार था, अब उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाता

[श्री बंशीधर शुक्ल]

इससे भी जो गरीबों को रोजी का सहारा था वह खत्म हो गया है। हमारे जिले में बड़ी तादाद में मिर्च और आम पैदा होता है। मिर्च का हाल यह है कि फसल पर वह ४–५ रुपया मन हमारे यहां बिकती है और वही मिर्च जब बनियों के घर में चली जाती है तो ३०–४० रुपया मन बिकती है। यदि उसका आचार बनाने का उद्योग लगाया जाय और उसके लिये बर्तन भी ऐसे तैयार कराये जायं जिन में अचार रुक सके तो ग्राम उद्योग बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आम भी हमारे उत्तर भारत के थोड़े ही जिलों में पैदा होता है। जो फसल पर बहुत कुछ फेंक दिया जाता है वह सब जगह नहीं होता उसका भी आचार बनाया जा सकता है, मामूली मिट्टी के घड़ों में तो वह सूख जायगा इसलिये उसके लिये ऐसे बर्तन या अमृतबान बनाये जायं कि जिन में वह ठहर सकें, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। यह रोजगार भी काफी चलाया जा सकता है। अदरख भी पैदा की जा सकती है, वह साये में ही होती है। इसी तरह से अनन्नास भी हो सकता है जो शरबत के काम में आ सकता है। आम की साया में होता है। पीलीभीत की तरफ बहुत होता है और सब जगह हो सकता है। सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। बेंत की टोकरियां हमारे यहां बन सकती हैं और नरकुल की चटाइयां भी बनाई जा सकती हैं। इन उद्योगों के लिये यदि कुछ सहायता दी जाय तो हमारे यहां छोटे उद्योग चलाये जा सकते हैं परन्तु सरकार की सहायता बड़े विकट ढंग की है, सहायता केवल पिछलगुओं को ही मिल जाती है औरों को नहीं। यह कोई नहीं देखता कि सहायता जो दी जाती है उसके अनुसार काम भी होता है या नहीं, गरीबों को कभी सहायता नहीं मिलती। सालों लिखा-पढ़ी में लग जाता है और जांचने में ही वर्षों लग जाते है, काम हो कैसे? तो इसलिये हमारा कहना है इस सरकार आलिया से कि इस तरह ग्राम के उद्योग अगर सरकार बढ़ाये तब तो कोई काम हो सकता है अन्यथा सरकार को हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आज की दशा देख कर हम यही कहेंगे कि—

फलक के आंसू अंगार बन कर जमीं के जख्मों को धो रहे हैं,
हमारे नौकर, हमारे रहबर, हमारे बेड़े डुबो रहे हैं।

कहना पड़ता है—

यह खबर मुतलक न थी कैदे कफस से छूट कर,
तिनके हम चुनते फिरेंगे आशियाने के लिये।

तो यह सब बातें दुःख के साथ कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं बढ़ रहा है और कोई उद्योग तरक्की नहीं कर रहा है। आज जो यहां पर योजना बनायी जाती है, कहा जाता है कि यह योजना है, हम तो उसको नागिन समझते हैं। आज जो यह बजट की पांच कापियां पेश की गयीं यह चन्द्रकांता नाविल से कम नहीं है, उसमें १,१०० सफे हैं, हर सफे में ६० सतरें हैं कुल ६६,००० सतरें हैं। अगर कोई आदमी पढ़ना चाहे और एक घंटे में ५०० सतरें पढ़े तो १३२ घंटे उसको लगेंगे और १२ घंटे रोज लगातार पढ़े तो ११ दिन लगेंगे। छपाई ही ४० हजार होगी। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, जिस तरह सरकार चला रही है। कहना पड़ता है—

यह सरकार तो—
योजना में नाविल, सफलता में नाविल,
सहायता के नाविल में बिल ही चुकाती है।
रेल, तार, डाक, पुल, नहर सड़कों की,
नाविलें बना के जन जागृति जलाती है।
चकबन्दी ट्यूबवेल ब्लाक पंचवर्षिन की
नाविलें बनाकर न्याय सत्यता मिटाती है,
चाची तुगलक की ना काबिल हुकुमत ये,
रोज कौंसिलों में नयी नाविलें बनाती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा अनुगृहीत हूं सभी सदस्यों का जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर वाद विवाद किया और तरह-तरह के सुझाव दिये। मान्यवर, आपने यह देखा होगा कि चाहे वह कांग्रेस के सदस्य हों या विरोधी दल के बात दोतरफा एक ही रही। सब ने जोर दिया कि गृह उद्योगों की ओर कम ध्यान जा रहा है। लेकिन जितना हुआ है उसके लिये हमें सरकार को और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिये। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करे तब भी हम उसे गाली दें और जब बुरा करें तब तो देते ही हैं तो उससे अधिकारियों का उत्साह घटेगा, जैसे चूर्क सीमेंट फैक्टरी और यहां प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में काम हुआ है। यह दूसरी बात है कि भयंकर भूलें भी हुई हैं, जैसे यहां पर कई जर्मन ५-६ एक्सपर्ट बुलवा लिये जोकि बुखार और मलेरिया के डाक्टर निकले जिनको स्विट्जरलैंड से लाये आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिये और हमसे बताया गया गलती हमसे नहीं भारत सरकार की थी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अगर सफल हो गये तो बड़ी खुशी की बात है, इसके लिये हमें दिल खोल कर धन्यवाद देना चाहिये।

जब इधर से सरकार की कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाया जाता है तो बुरा लगता होगा, लेकिन हमें उन बातों का पता मंत्रिमंडल से अलग हुए लोगों से लगता है कि क्या स्थिति है और हमारे लिये वही एक नजीर बन जाती है। खैर, उस बात पर हम ज्यादा जोर नहीं देना चाहते हैं। इस समय माननीय मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी कांग्रेस के सौभाग्य से हैं मैं उनसे कहूंगा कि कल बहुगुणा जी ने कहा कि कच्चा माल जहां पर हो वहीं फैक्टरी नहीं लगायी जाय, यह क्या बात है? मैं और बहुगुणा जी ने एक साथ साइंस पढ़ी थी जहां अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया गया था शायद इसी की वजह से ऐसी बात कही जाती है। लेकिन उनके भाषण के बाद मैं इकानामिक्स की किताबें देख आया उनमें लिखा था कि कच्चे माल के पास ही फैक्टरी लगे। गरज यह कि हमारी उस समय स्टैटिस्टिक्स और डिनैमिक्स काम नहीं आती। शायद इसी से फर्क पड़ गया हो। कच्चा माल जहां होगा उसका चौथाई या १० वां हिस्सा पक्का माल निकलता है तो ९ भाग ढोकर कहीं और ले जायं, जहां उसे पक्का किया जाय। यह गलत है। सहारनपुर में कागज की फैक्टरी है उनके पास लकड़ी गोलने की मशीन नहीं है। वह आगरे में लकड़ी बेच खाते हैं और उनको दो आने मन के हिसाब से आदरणीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि लकड़ी दी जाती है। और सवा रुपये मन के हिसाब से वे बेचते हैं। रानीखेत में एक आरा मशीन है। वहां उसको लकड़ी महंगी दी जाती है। इसलिये मैं कहता हूं कि उसको बिलकुल स्टार पेपर जैसी फैक्टरीज को सस्ता लकड़ी का दिया जाना stop कर देना चाहिये।

इंडियन वुड वर्क्स है बरेली में उसको कत्थे के पेड़ दिये जाते हैं। उसके अलावा जहां कत्था गृह उद्योग के रूप में बनाया जाता है वहां तराई भावर में २० हजार आदमी इसमें काम करते हैं। मगर फैक्टरी में बहुत कम आदमी काम पर हैं। अगर फैक्टरियों के एवज में पेड़ जनता को गृह उद्योग के लिये दिए जायं तो इसमें और ज्यादा आदमियों की खपत हो सकती है। इसकी तरफ भी हमारी तवज्जह होनी चाहिये।

माननीय प्रताप सिंह जी से हमें मालूम हुआ कि सीमावर्ती इलाकों में बहुत से उद्योगों के व्यवसाय में कमी हुई। ऐसा माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है। भोटिया लोगों का काम ऊन का होता है और बहुत से किस्म के काम करते हैं, जो अब कम होते जा रहे हैं। उन सीमावर्ती लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। और सीमावर्ती इलाकों के उद्योग के सह संचालक का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा वापस आना चाहिये।

इसके सिवा भारत में १ अरब ४९ करोड़ के करीब मेटल्स फारेन कंट्रीज से आते हैं। हमारे ओर्स हैं मैग्नेजाइट, तांबा वगैरह अल्मोड़ा, गढ़वाल, मिर्जापुर इलाके में जहां-जहां ये निकलते हैं उनके संबंध में कुछ काम होना चाहिये। यह देखा गया है कि हर साल उसका पसटेज निकलता है, लेकिन अब इसके प्रोसेसिंस का इंतजाम होना चाहिये। और अगर

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

वह नहीं किया गया तो हमारे कदम ऐसे ही उठे रह जायेंगे। हमारे यहां ५० लाख टन मैग्नेजाइट मौजूद है। हमें उसको जल्दी से काम में लाना चाहिये।

इसके अलावा, हमें जापान से उदाहरण लेना पड़ेगा। वहां २३ पर्सेंट आदमी कुल खेती पर मुनहसिर करते हैं और बाकी वाणिज्य तथा उद्योगों में हैं। जापान के पास वही समस्यायें थीं जो आज हमारे लिये हैं। हम बड़े मिल मालिकों को मदद देते हैं। हम काफी पैसा खर्च करके भी जापान के कम्पटीशन में नहीं आ पाते। इसका क्या कारण है? जापान का एक मिल मालिक चार रुपये रोज खुद लेता है और ४, ४ रुपये अपने परिवार के दो पार्टनर्स के अर्थात कुल १२ रुपये लेकर बाकी प्रयास और धन उद्योग में लगाता है। ऐसा उदाहरण चम्मन लाल जो को मिला। यह दीवान चमन लाल जो कई बार जापान गये हैं उनकी पुस्तक में देखें। उसमें स्पष्ट लिखा है उसे पढ़ें। मजदूरों की हालत जो अपने यहां है बहुत खराब है उसमें सुधार होना चाहिये। कानपुर कॉटन मिल्स इतने दिनों से बन्द पड़ी है और इतने मजदूर हमारे बेकार बैठे हैं और सरकार उसमें परमुखापेक्षी की तरह बैठी हुई है। उस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। कहा गया है कि उद्योग का प्रसार नैनीताल से लेकर वाराणसी तक होगा। बड़ी खुशी की बात है मगर बाकी सारे प्रान्त की अवहेलना करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जापान से हमको सबक लेना चाहिये। जापान में हर बच्चा कहता है कि "my house is my factory"। इसी तरह से हमें भी करना चाहिये। मेरी मांग है दुनिया भर में से मशीनों के नमूने खरीदवाइये और उसको देखिये।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जापान ने जिस तरह से किया है उसी तरह से हम भी प्रयोग करें। बड़े-बड़े ट्रेन्ड लोग बाहर ट्रेनिंग के लिये जाते हैं, लेकिन वे व्हाइट कलर्ड लोग जब वापस आते हैं तो वे मैनुअल लेबर नहीं कर पाते। उन लोगों से काम न लेकर सचमुच जिनसे काम निकल सकता है उनको प्रोत्साहित कीजिये।

दूसरी बात यह है कि पहाड़ी नदियों से सस्ती पन-बिजली निकल सकती है। जापान में जहां ३० में १६ बिलियन किलोवाट बिजली बनती थी वहां अब ४५ बिलियन किलोवाट बिजली के करीब उत्पादन हो गया है। वहां ७४ पर्सेंट इस बिजली में से पन बिजली निकलती है। उद्योगों में ८० पर्सेंट पन बिजली ही काम में आती है। ८० प्रतिशत घरों में बिजली है। तो यहां भी रिहन्द, अलकनन्दा, भागीरथी और सरयू आदि जहां घाटियां है वहां पर इन्तजाम किया जाय और जहां पर डैम बन सकते हैं वहां से पन बिजली बनाई और मुहइया की जाय।

लघु कुटीर उद्योग बोर्ड बनाने की बात जो मंत्री जी ने कही है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उसमें पालिटिशियंस को न रखिये। उसमें विद्वानों को, उद्योग एक्सपर्ट्स को रखिये, लेकिन अगर हम लोगों को रखियेगा तो सब काम खराब हो जायगा, क्योंकि हम लोग कोई न कोई ऐंगिल से चीजों को देखते हैं। किसी भी पार्टी के न रखिये चाहे कांग्रेस के हों या हम लोग हों, सब अपनी-अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं। इसलिये राजनीति वालों से उद्योगों को दूर रखने से काम ठीक चलेगा। अगर वाकई में ठोस काम करना है तो राजनीति से उसे डाइवोर्स कराइये।

इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्लाइवुड की फैक्टरी जैसी सीतापुर में है वैसे कारखाने पहाड़ों में बहुत हो सकते हैं क्योंकि वहां बहुत लकड़ी बर्बाद जा रही है।

ऊनी उद्योग तो वहां नान-टेक्निकल आदमियों के हाथ में देने से बिल्कुल चौपट हो गया है। मैं खास कर अल्मोड़ा जिले की बात कहता हूं। सन् १९५७ में वहां माननीय मंत्री जी ने सर्वे कराया था, लेकिन हमें दुःख है कि उसकी रिपोर्ट हमें आज तक नहीं देखने को मिली। तो सरकार अपने अधिकारी वर्ग से जरा सचेत होने को कहे।

इसके अलावा जो कर्जा आप देते हैं वह बिल्कुल ऐट दि फैग एन्ड आफ दि इयर, अब मार्च में कर्जा मिल रहा है और ऐसे लोगों को मिलता है जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, कोई शादी में खर्च कर रहा है, कोई किसी में खर्च कर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिये और ऐग्रीमेंट में यह होना चाहिये कि अगर वह रुपया जिस काम के लिये दिया गया है उसमें नहीं लगाया गया तो कर्ज लेने वाले को पैनाल्टी देनी पड़ेगी। कुछ इस किस्म की बात होनी चाहिये।

पहाड़ों पर फल उद्योग की जहां तक बात है न मालूम किस वजह से वहां के फलों के बगीचे वालों की यह शिकायत है कि वे तकावी के लिये अप्लाई करते हैं। लेकिन नहीं मिलती है। कहीं एक आध को मिल गयी तो वह एक अपवाद भर है। उनको ज्यादा तकावी दी जानी चाहिये और वह रुपया तो ऐज एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू भी उनसे वसूल हो ही जायगा।

लीसा उद्योग के बारे में जो 'उद्योग का विकास' नाम की पुस्तिका है उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि कोटद्वार में जो लीसे की फैक्टरी चलती थी वह काफी लीसा न मिलने के कारण ३ महीने बन्द रही। इसी तरह टेहरी में बड़ी मुश्किल से, तीन साल बाद लीसा देने की सिफारिश की गई है। मेरा सुझाव है कि यह काम कोआपरेटिव आधार पर चलाया जाय और पहाड़ में, जहां से लीसा आता है वहां छोटे-छोटे प्लांट्स लगाये जायं। आप बाहर के मुल्कों से, जैसे स्वीट्जरलैन्ड, स्वीडन, नारवे, चेकोस्लेवाकिया वगैरह से ऐसे प्लांट्स मंगाइये। जमीन में तो कोआपरेटिव बेसिस पर काम करना तो जरा मुश्किल है क्योंकि जमीन के लिये तो कहा जाता है कि यह हमारे पितरों का हाड़ मांस है, लेकिन उद्योग, जिसे आप नया खोल रहे हैं, उसके पीछे कोई ऐसी भावना नहीं होती। इसलिये वह कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर गौर करेंगे और कुटीर उद्योग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। अन्त में मैं श्रीमान् को और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव में भाग लिया और मैं समझता हूं कि यह उनके मन पसन्द की बात भी रही। मैं आशा करता हूं सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मैं इस सदन का बड़ा आभारी हूं कि अपनी राय आज भी, कल और आज दोनों दिनों के अनुदानों पर माननीय सदस्यों द्वारा मुक्त कंठ से मिली। यह दिक्कत जरूर है कि बहुत सारी बातें जो कल के अनुदान के सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं उनको फिर से दुहराया गया और मुझ से यह आशा की जाती है कि उन सबका जवाब होगा। जहां तक सम्भव होगा मैं उधर जाऊंगा यद्यपि यह उचित नहीं है। फिर भी आप से मैं क्षमा मांगते हुये भवन में किये गये प्रश्नों का उत्तर देना उचित ही है मैं इसलिए थोड़ा उधर भी इशारा करूंगा।

एक बात की मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि आज की ग्रांट के सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय सदस्यों को हमारी बातों में से शायद कोई बात नापसन्द नजर नहीं आई। इसलिये बेहद कम तवज्जह सदन ने उसकी ओर दी, इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे कार्यक्रम को और इस अनुदान को इस आदरणीय सदन ने एक तरह से स्वीकार किया। फिर भी जो एक दो बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना अनुचित न होगा। हमारे सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि नौकरशाही को उद्योग से दूर हटा देना चाहिये और दूसरी तरफ दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि झाऊ की टोकरियां शाहजहांपुर जिले में बन सकती थीं, लेकिन कोई अधिकारी वहां देखने नहीं आया। इसलिए वह बड़ा अच्छा उद्योग धन्धा न पनप पाया।

श्रीमन्, एक अजीब मांग है कि नौकरशाही एक तरफ पसन्द भी नहीं है और यदि वह न जाये तो शिकायत भी है। झाऊ की टोकरी बनाने का बहुत अच्छा काम है, मुनासिब काम है, इस पर कार्य करना चाहिये और उसके लिये रास्ते भी मौजूद हैं उनको पकड़कर काम करना चाहिये

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

न कि यह कि वह सरकारी कर्मचारी का इन्तजाम करें कि वह आकर नदी किनारे किसी झाऊ को देखें। श्रीमन्, जन्म जन्मान्तर से गांव के लोग उस झाऊ को देखते चले आ रहे हैं जब उनको उससे प्रेरणा नहीं मिली तो सरकारी कर्मचारी के जाने से वहां प्रेरणा उठेगी इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जब झाऊ मौजूद है और रास्ता भी मौजूद है और लोग उस पर काम करने लगेंगे तभी सरकारी कर्मचारी भी सहायता के लिये उद्यत होगा। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि इसके लिये सहकारी समिति द्वारा कोई योजना बनाई जाय और उसके अनुसार कार्य-क्रम किया जाय। फिर हमसे सहायता मांगी जाय, फिर विभाग न जाय तो शिकायत हो सकती है। मान्यवर, क्षमा करेंगे मेरी धृष्टता, शायद उनको आभास नहीं है कि कितने झाऊ से कितनी टोकरी बन सकती है और कहां बिक सकती है। इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि यह टेक्नीकल ऐक्सपर्ट का काम है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि झाऊ से टोकरी बनाने के सिल-सिले में सरकारी कर्मचारी के आने का इन्तजार किया जाय और दूसरी तरफ यह आवाज उठाई जाय कि नौकरशाही को उद्योग से दूर रखा जाय, यह ब तें परस्पर मेल नहीं खाती हैं। मैं समझता हूं, श्रीमन्, कि या तो सरकारी कर्मचारियों की हर क्षेत्र में प्रवेश होने की शिकायत न की जाय या फिर हर क्षेत्र में उसको बुलाया न जाय। उनको ग्रामोद्योग तक शुरू कराने को बुलाने की दावत मिलती है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों को दावत देना चाहता हूं कि औद्योगीकरण के सम्बन्ध में कोई भी सदस्य और किसी भी दल के सदस्य कोई भी योजना सरकार के सामने रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसको हम निहायत अदब के साथ और बड़ी तवज्जह के साथ देखेंगे और कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे प्रदेश का कल्याण होता है। अगर ऐसी बात समझ में आ जायगी तो हम ऊपर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। यदि कोई ऐसी योजना या कोई निश्चित बात माननीय सदस्यों के द्वारा नहीं भेजी गई तो हम समझेंगे कि सदन में राय देने के बाद इस कार्य-क्रम में माननीय सदस्यों का सहयोग हमारी बदकिस्मती से हमें नहीं मिल रहा है। मान्यवर, एक बात और कही गई कि औद्योगीकरण की हमारी नीति में हम प्राइवेट, निजी क्षेत्र को बहुत ज्यादा बल देना चाहते हैं और पब्लिक सेक्टर की तरफ हमारी तवज्जह नहीं है। हम उस दल के लोग हैं जिस दल का नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि किस हद तक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का स्थान है और उनका आपस में कैसा मेल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को किस हद तक हम इजाजत दे सकते हैं चलने की। उसी तरफ से एक माननीय सदस्य ने यह लांछन लगाया कि इस प्राइवेट सेक्टर के बकरे के सामने समाजवाद का कोई भेड़िया उनको नजर आता है, जिसको हम खड़ा कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर घपले में आ जाता है। मैं समझता हूं कि उधर बैठे हुए लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, मैं मानता हूं कि उनकी नीति-रीति भिन्न-भिन्न है, लेकिन इस प्रदेश की जनता के बहुमत में चुने हुए प्रतिनिधि और जनता भी यह समझती है, यह महसूस करती है कि हम प्राइवेट सेक्टर को न डराये हुए हैं, न घबड़ाये हुए हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हम बीच के जिस रास्ते को अपनाये हुए हैं वह रास्ता सही रास्ता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर बढ़े। लेकिन जिन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमने अपनी नीति रखी है, इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन जो केन्ट्रीय सरकार ने पास किया है उसके अन्तर्गत जो स्थान प्राइवेट सेक्टर को मिलना चाहिए वह हम उनको दिये हुए हैं। उनको उनकी कुर्सी पर हम ठीक उसी तरह से बैठने देना चाहते हैं जिस तरह हमारे प्रजातंत्र में विरोध के लिए भी सदन के अन्दर एक स्थान है। आपस में कोई भेदभाव भी हो, नीति-रीति की बात अलग-अलग भी हो तब भी प्रजातन्त्र में उस तरफ वालों की भी अपनी जगह है, शानदार जगह है। इस तरफ वालों की भी है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम अपने देश में समाजवादी व्यवस्था

करना चाहते हैं पर साथ ही उसमें एक हद तक व्यक्तिगत पूंजी के लिए भी आदर का स्थान है, सम्मान का स्थान है, या तो उन्हें जिन्दा ही न रहने दें, लेकिन अगर रखते हैं तो अपमान के साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम खराब हो पर तुम्हारी जरूरत भी है। तुम काम भी करो और तुम खराब भी हो। यह लांछन लगाया गया कि प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलें बन्द कर देते हैं। उस पर नाराज होते हैं। लकिन जब प्राइवेट सेक्टर को हम सहायता देते हैं मिल को चलाने के लिए तो वही लोग हमसे नाराज होते हैं। तो मिलें बन्द न हों, मिलें चलती भी रहें और मिल-मालिक खराब भी हैं, वह अगर निकल जायं तो शिकायत भी पैदा हो जाती है। तो मैं समझता हूं और मुझे आशा है कि भवन भी इस बात को समझता है, प्रदेश की जनता समझती है कि जिस हद तक जैसा मैंने कल कहा था जिन क्षेत्रों में उद्योगपतियों और उद्योगों को हमें बढ़ावा देना है, उनको समाज में स्थान देना है, उस हद तक उनका वह स्थान सुरक्षित है। मैं समझता हूं इस बात को हमें आपको, इस सदन के सदस्यों को, सब को समझ लेना श्रेयस्कर होगा, प्रदेश के हित में श्रेयस्कर होगा और औद्योगीकरण के हित में श्रेयस्कर होगा।

यह बात कही गई कि शायद मैंने कल कह दिया था कि जहां रा मैटीरियल हो वहीं बड़े-बड़े या छोटे-छोटे उद्योग-धंधे नहीं लगाये जा सकेंगे। मैंने यह नहीं कहा था, मैंने यह कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि वहीं वह कारखाने लगायें। और भी तमाम चीजें मैंने कही थीं जिनको देखना होता है जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, पावर फैसिलिटी है, स्किल्ड लेबर मिलता है या नहीं, मार्केट कहां है, यह तमाम बातें हैं, इन चीजों को देखना होता है और जो कुछ थोड़ा बहुत अर्थ शास्त्र मैंने भी अध्ययन किया है और जो थोड़ा बहुत उद्योग से मेरा सम्बन्ध रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा इस माननीय सदन के सदस्यों से यह कहने के लिए कि मेरा उद्योग से बहुत अधिक सम्बन्ध रहा है एक श्रमिक नेता होने के नाते, मेरा श्रमिकों से भी बहुत अधिक सम्बन्ध रहा है सीधा सीधा-अच्छा, मजबूत और मधुर सम्बन्ध रहा है, इससे उद्योग को बहुत करीब से मैंने देखा है और समझा है और अपने उस ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह जरूरी नहीं है कच्चे माल के मिलने के क्षेत्र में ही उद्योग लगाया जाय। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

लांछनों की बात आज कल से बहुत कम रही। फिर भी दो एक सज्जनों ने कुछ लांछन लगाया जिनके सम्बन्ध में शायद मेरा कुछ कहना उचित ही होगा। एक सदस्य ने मान्यवर, यह कहा कि हम लोग पूंजीपतियों को पैसा देते हैं और शायद माननीय रामसुन्दर जी ने कहा कि ४ करोड़ ११ लाख रुपया हमने लुटा दिया। मैंने कल भी निवेदन किया था और आज फिर दुहराना चाहता हूं कि इस ४ करोड़ ११ लाख रुपया पाने वाले उद्योगपतियों में, मैं एक तस्वीर खड़ी करना चाहता हूं कि ऐसा भी एक उद्योगपति है कि जो तहमद पहनता है और सेल्फ इम्प्लायड ऐजेन्सी होगा, जो खुद अपना रोजगार करता होगा और अपने रोजगार पर उभरा होगा। इस तरह के लोग भी उस ४ करोड़ ११ लाख रुपया पाने वालों में हैं। मैंने जैसा कल कहा था कि हमारे प्रदेश के अन्दर हमने विभिन्न रूपों से पैसा बांटा है। हम लाचार हैं इस बात से कि अगर यह किताबें बंटी हैं उनको सदस्यगण न देखें। उनमें सदस्य देख सकते हैं कि कितना रुपया किस-किस मद में और छोटे उद्योग को या बड़े उद्योग को दिया गया है। उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्योगपति शब्द से तात्पर्य कभी भी उस मिल मालिक से नहीं है कि जो लखपती या करोड़पती है। उसका मतलब उन सब से है कि जो उद्योग में लगे हुए हैं, यह जो अपने पैसे से, बल से, अपनी पूंजी से या अपने ढंग से उठाये गये उद्योग और पूंजी के आधार पर खड़े होने वाले उद्योग से संबंधित हैं।

एक दूसरी बात कही गयी और वह यह कि हमारे प्रदेश और देश के लोगों में शायद ऐसी भावना है कि हम अपने देश के अन्य लोगों को विकास में, उनके आगे बढ़ने में, उनको अवरुद्ध

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

करते हैं, रोकते हैं। जगह-जगह कहा गया है, लेकिन हमारे यहां उद्योग नहीं खुलते, चाहे वह हैंडलूम का काम हो या गन्ने की खांडसारी का काम हो या सहकारी समितियों का काम हो, होने नहीं पाता। यह प्रदेश के लोगों का काम है कि उसका वे उठा लें और मैं समझता हूं और उचित भी है कि जो इस प्रदेश के अगुवा हमारे इस असेम्बली के मेम्बर साहबान हैं वे इस सहकारी आन्दोलन के अगुवा बनें और इस काम को आगे बढ़ावें और अगर उनके इस आगे बढ़ते हुए रुख में हम कोई बाधा डालें, हम हायल हों तो हमारा कसूर हो सकता है। मैं जानना चाहूंगा माननीय, आपके द्वारा कि अगर किसी सहकारी समिति का बनाने का किसी ने निश्चय किया हो और उसमें हमने रुकावट डाली हो। यह कहा जाता है कि इस तरह की सहकारी समिति मदद के लिये आयी और सरकार ने उनको मदद देने से इन्कार किया। मैं इसके लिये सदन के सदस्यों को दावत देता हूं कि जब कभी वह सहकारी समिति के कार्य-क्रम को अगुवा बन कर पूरा करने की चेष्टा करें, उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, हमारी सहायता उनके साथ होगी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। अभी हाल ही में हमारे भाई रामसुन्दर जी ने, जो आजमगढ़ से आते हैं, वहां के लिये गन्ने की पैदाई बढ़ाने की चेष्टा के लिये मुझसे बात की। मैंने उनको सुझाव दिया कि एक सहकारी समिति वहां बननी चाहिये और उसके द्वारा खांडसारी आदि का उद्योग वहां चलना चाहिये। वह दिन और आज का दिन, कोई बात उनकी तरफ से सामने नहीं आयी, लेकिन फिर भी उन्होंने शिकायत की कि सहकारी समिति के द्वारा चीनी मिल का काम यह सरकार नहीं करती। निश्चय ही अगर सहकारिता के आधार को हमने ठीक समझा है तो उनके द्वारा काम करने के लिये सरकार की आवश्यकता नहीं है। उनकी अगुवायी करने के लिये सरकार की जरूरत नहीं है और यही नहीं कि किसी विशेष दल के लोग, बल्कि हर दल के लोग भी उस काम को कर सकते हैं। इन सबने शिकायत की है कि अधिक से अधिक हमारी सहकारी संस्थाएं होनी चाहिये और उनसे हम सरकार के असर को दूर करें। सरकार कतई उनसे दूर रहनी चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार की निरन्तर यह चेष्टा होने वाली है कि हम इन संस्थाओं को अधिक से अधिक असरकारी लोगों के द्वारा या कोआपरेटर्स के द्वारा चलने दें और सरकारी असर को हम इसमें से अधिक से अधिक कम करें, खत्म करें। अगर ऐसा है तो इस प्रदेश के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में, उसको आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में जितनी भी सहकारी संस्थायें आगे आयें, उनका स्वागत है। जितनी भी सहकारी संस्थायें बनें उनका स्वागत है और उनको जितनी भी सहायता हम दे सकेंगे उसको देने की चेष्टा करेंगे। यह जरूर है कि दिक्कतें हमारे प्रदेश की सरकार के सामने हैं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। बहुत सारी चीजें हैं। फारेन एक्सचेंज की कमी है। अगर कोई सहकारी समिति बनाना चाहता है और वह कोई ऐसा उद्योग करना चाहता है कि जिसमें फारेन एक्सचेंज की जरूरत हो तो वह मुहैया करना यहां की सरकार के हाथ में नहीं है। उसके लिये हमको केन्द्र के सामने जाना पड़ेगा। प्लानिंग को चलाना है, योजना आयोग के सामने हमको जाना पड़ेगा और वही कहेगा कि हम यह दे सकते हैं और यह नहीं दे सकते। हमारी सहकारी समितियों के लिये ही नहीं, हम भी जो काम कर रहे हैं, जैसे रिहन्द का हमारा बांध है या जैसे चुर्क की सीमेंट फैक्टरी है। इन दोनों के लिये फारेन एक्सचेंज को लाने में कितनी दिक्कतें हमें उठानी पड़ीं इसका अहसास इस प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से है।

इस बात की भी आवाज उठायी गयी कि हमारे यहां बिजली की कमी है। मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि बिजली की कमी है और बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बिजली का फैलाव हमको करना होगा, अगर हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, लेकिन कहने मात्र से बिजली पैदा नहीं हो सकती, उसमें धन लगता है, जनबल लगता है, टेक्नीकल स्किल लगती है। इस सम्बन्ध में पावर विभाग का जब अनुदान आयेगा तब उसके सम्बन्ध में अगर बातचीत होती तो अच्छा था, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि रिहन्द बांध की बिजली के बारे में प्लानिंग कमीशन से हमने यह वादा किया है कि मुगलसराय से रेलवे

ट्रैक्शन के लिये जो बिजली की आवश्यकता होगी उसको रिहन्द से बिजली दी जायगी, लेकिन कहा गया कि सारी बिजली हम प्राइवेट लोगों को देने जा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। वाकया तो यह है कि रेलवे ट्रक्शन के लिये हमने बिजली देने का वादा किया है। रेलवे बोर्ड की उस जरूरत को पूरा करने का वादा हमने किया तभी उन्होंने रिहन्द बांध को सेकिंड फाईव ईयर प्लान के कोर में लिया।

इसी प्रकार से एल्युमुनियम कम्पनी की बात कही गयी कि हमने उनको सस्ते रेट पर बिजली देने का वादा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी रेट तय नहीं हुआ, अभी बातचीत ही चल रही है, लेकिन चर्चा इस बात की होती है कि हम प्रदेश की दौलत को लुटा रहे हैं। यह कितनी अच्छी बात है यह मैं सदन के ऊपर ही छोड़ता हूं। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के हित के बाहर और कोई दूसरी बात नहीं कर सकते हैं।

यह भी चर्चा की गयी कि बड़े-बड़े उद्योगों को लगाने से कोई फायदा नहीं है। उनमें बड़ा भारी रुपया लगेगा और थोड़े आदमी उसमें काम कर सकेंगे। लेकिन देश और प्रदेश के ढांचे में बड़े उद्योगों की भी एक बहुत बड़ी जगह होती है। अब यह एल्युमिनियम का ही कारखाना लगेगा। यह मैं मानता हूं कि उसमें केवल ७-८ सौ आदमी ही काम कर सकेंगे, लेकिन उसके बनने के बाद जो कारबार शुरू होंगे उसके सेकन्डरी और टर्शरी फेज में जो कारबार उसके बाद फैलेंगे उनमें बहुत से लोगों को लगाया जा सकेगा। केवल एक एल्युमिनियम के कारखाने में लगे मजदूरों की संख्या से उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता। उसकी आर्थिक क्षमता को आंका नहीं जा सकता। उसके लिये हमें देखना होगा कि उसके चारों ओर कितने उद्योग फैलते हैं। एल्युमिनियम के कारखाने के बाद बर्तनों की फैक्ट्री खुलेगी, फेब्रीकेशन फैक्ट्री खुलेगी। जब एक वह विशेष रा मेटिरियल अवेलेबिल हो जायगा तो तमाम किस्म की फैक्ट्रीज आसपास लग जायंगी। मेरा तो पूरा विश्वास है कि एक बड़े कारखाने के चलने से हमारे प्रदेश में और जो दूसरे कारबार फैल जायेंगे उनमें हजारों लोगों को लगाया जा सकेगा। प्रदेश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, हमारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे को एक बहुत बड़ा बल और सहारा मिलेगा।

स्टार फैक्ट्री के सिलसिले में कहा गया कि उसको हमने लकड़ी दी और उन्होंने वह बाजार में बेंच ली। उसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, वन मंत्री जी उस पर प्रकाश डालेंगे सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमने उसकी पूरी जांच की और जो रिपोर्ट उसकी हमारे पास उपलब्ध है उससे हमें मालूम होता है कि सहारनपुर से कोई भी चीड़ की लकड़ी कहीं बाहर इस कम्पनी के द्वारा नहीं भेजी गयी। सिर्फ वहां के दो आदमियों ने थोड़ी लकड़ी बाहर भेजी। अतः इस तरह की कोई बात नहीं है। सहारनपुर फैक्ट्री को जो लकड़ी दी गयी है वह चीड़ की लकड़ी से कागज बनाने के लिये दी गयी है और कागज बनाने के लिये वह खुद काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिये विदेश से मशीनें मंगाई हैं। यह कोई हवाई बात नहीं है। उसका पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि यह चीड़ की लकड़ी वहां से यहां लाने में कितना पैसा लगेगा और फिर उसकी लुगदी बनेगी जिससे कागज बनेगा तो उसका दाम क्या पड़ेगा। इन सारी चीजों पर एक्सपेरीमेंट होने के बाद ऐसा प्लांट मंगाने की योजना है जिसकी कैपिसिटी ऐसी हो कि उससे रिकवरी काफी अच्छी हो सके, लेकिन सीधी सी बात है कि हर चीज को अगर गलत ही देखने लगें तो उसका कोई इन्तजाम कोई आदमी कर भी नहीं सकता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---कंसेशन रेट पर लकड़ी क्यों दी गयी ?

श्री हेमावतीनन्दन बहुगुणा---यह बात उठायी गयी कि कंसेशन रेट पर लकड़ी क्यों दी गयी। हर कोई जानता है कि बिजली के रेट्स दो हैं। लाइट पावर कंज्यूमर्स को दी जाती है और इंडस्ट्रीज के लिये इंडस्ट्रिअल पावर दी जाती है। अब हर आदमी को मालूम है कि

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इंडस्ट्रीज के लिये जो बिजली मिलती है वह लाइट पावर के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ती होती है। जिन उद्योगों के लिये बिजली रा मेटिरियल है मसलन अल्मुनियम फैक्टरी के लिये अगर बिजली देनी हो तो यह मानी हुई बात है कि उसको बिजली नामिनल रेट पर दी जायगी और उस तरह की इंडस्ट्रीज के लिये सारी दुनिया का यह माना हुआ सिद्धान्त है। केवल नारे से और आवाज से इस प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लग सकता है। नारे और आवाज की कोई कीमत नहीं है जब कि बिजली की थोड़ी बहुत कीमत भी होती है। ठीक इसी तरह सस्ती लकड़ी देने के सम्बन्ध में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक आने और दो आने मन में लकड़ी देने की बात नहीं है, बल्कि देखना तो यह है और इस बात को देखने की कोशिश करनी चाहिये कि पहाड़ पर से सहारनपुर तक लकड़ी लाने में क्या दाम पड़ता है। उसके बाद फिर कागज बनेगा तो उसका क्या दाम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे तो हमें कागज बनाना होगा, पर उस कागज की ऐसी कीमत हो जिसे हमारे बच्चे खरीद सकें, हम लिखने पढ़ने का काम फैला सकें, सस्ती किताबें छपवा सकें। अगर हम पहाड़ से डेढ़ रुपये मन पर लकड़ी लावें और उससे कागज बना कर उसे १०० रु० रीम पर बेंचें तो उससे इस प्रदेश की जनता का कोई लाभ नहीं होगा। क्या इतना महंगा कागज यहां की या कहीं की भी जनता खरीद सकती है? बहरहाल, मैं बहस में नहीं जाना चाहता, अस्तु इस तरह की बहस करने से कोई लाभ भी नहीं दिखलायी देता है।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उद्योग के सम्बन्ध में यहां पर कई बातें कही गयीं। किसी ने कहा कि आपने यह क्या जरा-जरा सी फैक्टरी लगवा दी जो चुर्क की सीमेंट फैक्टरी तथा लखनऊ की प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी है। श्रीमन्, मुझको वह जमाना याद है जब कि प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी लगी थी तो यह सदन कितना गुस्सा हुआ था। श्रीमन्, बच्चे का पहले बचपना होता है फिर जवानी होती है और फिर बुढ़ापा होता है। उसी तरह से उद्योग का भी बचपना, जवानी और बुढ़ापा होता है। बच्चा जब धूल में खेलता है तो वह गन्दा दिखलायी देता है, लेकिन जब जवानी आती है तब वह सुन्दर दिखलायी देने लगता है। कानपुर का जो कपड़ा उद्योग है वह अपने बुढ़ापे से गुजर रहा है और प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी अपनी जवानी से गुजर रही है, और श्रीमन्, इस साल किसी ने इस फैक्टरी की यह शिकायत नहीं की कि यह क्यों कायम की गयी है, क्योंकि अब यह मुनाफे में चल रही है। यह अवश्य कहा गया कि उसका कोई हिसाब किताब हमको नहीं बतलाया जाता है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल के बजट के साथ ही हम उसका हिसाब किताब भी छाप दिया करेंगे ताकि किसी माननीय सदस्य को इसकी शिकायत न रह जाय। हमको आपसे कोई चीज छिपानी नहीं है, क्योंकि हमको आना फिर इसी सदन में ही है, हम बच कर जा भी कहां सकते हैं। यह भी कहा गया कि इन फैक्ट्रीज की लागत क्या है, यह भी नहीं बतलाया गया है, लेकिन ये सारी बातें अगले साल से आपको बजट के साथ ही मालूम हो जाया करेंगी। सारी बातों का पता इस सदन को होगा और इस तरह से हम कोई चीज सदन से छिपाना नहीं चाहते हैं। हम छिपाना चाहते भी नहीं।

एक आक्षेप और किया गया मान्यवर, कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में बड़े-बड़े अफसरों के बड़े-बड़े मकान हैं और मजदूरों के कम हैं। यद्यपि इस तरह कहा नहीं गया, लेकिन तात्पर्य यही था। अब मैं आपके द्वारा बताऊं कि जो भाई वहां हो आये हैं उनको तो मुझे कुछ बताना नहीं है पर जो नहीं गये हैं उनके लिये मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों के लिये क्वार्टर हैं, उनमें बिजली है, सैनिटरी फिटिंग है, अच्छे खासे कमरे हैं, खिड़कियां हैं हवादार और रहने का अच्छा इन्तजाम है और उसका कोई किराया नहीं पड़ता है। कोई मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है झोपड़ी में नहीं रहता। अगर कोई माननीय सदस्य किसी मजदूर का नाम बता दें कि जो झोपड़ी में रहता हो तो मैं उसकी तुरन्त व्यवस्था करा दूंगा चाहे किसी बड़े अफसर का कमरा ही क्यों न खाली कराना पड़े। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के रहने की व्यवस्था का ही सवाल नहीं है वहां एक जूनियर हाई स्कूल है जहां शिक्षा फ्री होती है, वहां पर एक बहुत अच्छा अस्पताल है, ऐक्सरे है और डीप

थेरापी ट्रीटमेंट वहां है। मैं मानता हूं कि मजदूरों को उससे भी आगे जाने की आकांक्षा है। उसकी हम कद्र करते हैं, लेकिन उस आगे जाने की भावना को असन्तोष में परिवर्तन कर देना शायद आगे जाने का रास्ता अवरुद्ध कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की भावना फैलाने में कम से कम इस सदन के सदस्यों का हाथ नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारी प्रवृत्तियां उच्छृंखल हैं जिनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा और मुझे भरोसा है कि हमारे साथी उसमें सहायता करेंगे कि इन प्रवृत्तियों से हमें मुक्ति मिले।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की बात का जहां तक ताल्लुक है मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी माननीय विशारद जी ने कहा था कि बहुगुणा जी वर्क्स काउन्सिल की बात कहना भूल गया, वह आपने चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री में नहीं बनायी। मान्यवर, मैं कहूं कि दोनों जगह वर्क्स काउन्सिल हैं ..

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––केसा में नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––माननीय सदस्य मेरा डोमेन प्रदेश के हर विभाग में फैलाना चाहते हैं। पावर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्रीज विभाग के बारे में बोल रहा हूं। इस विभाग द्वारा चलने वाले जो भी कारखाने हैं उनमें वर्क्स काउन्सिल हैं। चाहे गवर्नमेंट प्रेस हो, इन तीनों में वर्क्स काउन्सिल हैं आज से कई महीने पहले। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं कह देते हो कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन का सिलसिला पूरी तौर से लगाने वाले हैं। हमने स्वीकार किया है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की योजना को और आगे ले जायंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह सारा काम शनैः शनैः होने वाला है। मेरे पास सचिव, उद्योग विभाग और श्रम विभाग का यह नोट आया है जिसमें उन्होंने सूचना दी है कि वर्क्स काउन्सिल केसा में भी है, लेकिन चालू हो गई या नहीं मैं नहीं जानता। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हम चाहते हैं कि चुर्क में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन हो, लेकिन यहीं पर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा सीमेंट का उद्योग प्रदेश और देश के जीवन में बड़ा स्थान रखता है। चुर्क को सफल बनाना चाहिये। आज सारे दल इस बात को चाहते हैं––सिवाय एक राजनीतिक दल के जो चाहता है कि फिरका परस्ती और पूंजीवाद ऊंचा जाय, और मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर को सबल बनाना है। उस तरफ के भाइयों की भी यह इच्छा है और इस तरफ की भी। पब्लिक सेक्टर के अन्दर चुर्क से बेहतर नमूना हमारे पास इस प्रदेश में नहीं है। मुझे आशा है कि उस नमूने को और ज्यादा कामयाब बनाने में और ज्यादा ऊंचा उठाने में सबका सहयोग मिलेगा। मुझे इस बात पर बड़ी कृतज्ञता का भार प्रकट करना है कि चुर्क में लगे हुए मजदूरों के और कर्मचारियों के योगदान से हमारी सीमेंट फैक्टरी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक माननीय भाई ने कहा कि शायद ५० परसेंट भी रेटेड आउट पुट की सीमेंट नहीं बन रही है। इस फैक्टरी ने सन् १९५७–५८ में १०३ परसेंट रेटेड आउट पुट का प्रोडक्शन किया है। इस वक्त भी अच्छा है। चुर्क के सम्बन्ध में मुझे घमंड है। चुर्क पर हमारी बड़ी आशाएं हैं। मुझे भरोसा है कि उस फैक्टरी के बढ़ने से जब कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो न केवल सीमेंट ज्यादा होगी बल्कि हमारी लागत भी कम हो जायगी और आज से भी सस्ता सीमेंट कल वह पैदा करने लगेगी।

मान्यवर, एक सज्जन ने यह कहा कि कपड़ा उद्योग को बढ़ाने की हम बात करते हैं, लेकिन कपड़ा उद्योग की हालत बहुत खराब है। सभी उद्योगों की हालत खराब है। सब गिरते जाते हैं। अगर बढ़ने में भी गिरावट दिखाई पड़े तो फिर गिरावट का क्या नाम होगा? हमारे किसी उद्योग में १९५१–५२ के मुकाबले में उत्पादन के गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। १९५१–५२ में कपड़ा मिलों में और सब तरह जितना कपड़ा बनाया गया था उससे करीब-करीब ४ करोड़ गज कपड़ा सन् १९५७–५८

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

में ज्यादा बना। ४ करोड़ गज ज्यादा बनना गिरावट की निशानी है तो फिर बढ़ना किसका नाम होगा ? मैं मानता हूं कि अगर पहिले कपड़ा सूती मिलों में ज्यादा बनता था तो इधर हैन्डलूम में ज्यादा बनने लगा, खादी का ज्यादा बनने लगा। उत्पादन उसको ही नहीं कहेंगे जो मिल में हो। माननीय सदस्यों ने कहा है कि फैले हुए और बिखरे हुए तरीकों में, आर्थिक ढांचे में उनका विश्वास है, बड़े-बड़े मिलों में नहीं।

चमड़े के कारबार में ३४-३५ लाख रुपये की वृद्धि १९५१-५२ के मुकाबले में १९५७-५८ में हुई। इसी प्रकार कागज, ग्लास शीट्स और अन्य चीजों में भी हुई। बिजली के संबंध में लांछन था कि हम व्यवस्था नहीं कर सके। १९५१-५२ में २३ लाख ६८ हजार किलोवाट थी और १९५७-५८ में ३१ लाख ६५ हजार हो गई। ८ लाख किलोवाट की बढ़ती को बढ़ती नहीं तो क्या कहेंगे ?

एक बात और कही गई कि हमने रामपुर में कुछ शेयर खरीदे और गलत काम किया। एक जमाना था जब राजा महाराजा थे। जब एक राज्य दूसरे राज्य में परिवर्तित होता था तो राज्य की सम्पत्ति आती थी तो साथ ही खराबियां भी आती थीं। जमाना बदल गया। रामपुर, टेहरी, बनारस यह सारे के सारे जब विलीन हुए तो अच्छाइयों के साथ इनकी बुराइयां भी हमारे पास आईं। इन स्टेटों का थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा हुआ था निजी उद्योगों में। वह शेयर लाभुहाला हमारे पास आये, कर्जा भी हमारे पास आ गया। जब कर्ज हमारे पास आया तो हमने देखा कि जिन कारखानों ने कर्ज लिया हुआ था वह चलते नहीं दीखते। तो कोशिश की कुछ और रुपया उनको देकर, एक होशियार आदमी की तरह जो कि आसामी को मरने नहीं देता। हमने कोशिश की कि अगर ४ लाख और ६ लाख इस पर लगा हुआ है तो कुछ रुपया और देकर इस रुपये की वसूली का रास्ता निकाल सकते हैं या नहीं ? उस रुपए को हमने उनको दिया लेकिन देखा कि वह काम नहीं चलता, अनुभव ने हमें बताया कि हमारा प्रोग्राम नहीं चला। उसके बाद हमने उन शेयर्स को बजार में बेचना चाहा, हमने उसके बाद अखबारों के द्वारा प्रचार करके उनको जिसने पैसा ज्यादा दिया उसको बेचा। कहावत है कि "सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः"। हमने इसी में अपने प्रदेश का लाभ समझा और इसमें २ रायें नहीं हो सकतीं कि वह पैसा हमारा अटक रहा था, हो सकता है कि कल वह शेयर १/४ आने के भाव में भी न जाते। इसका हमने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में और दूसरी जगह इसी तरह का स्पष्टीकरण भी दिया है और आशा है उन्होंने उसको स्वीकार भी किया होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस बात को मानेगा कि जो रुपया सारे का सारा डूब रहा था उसका हमने कुछ पैसा खड़ा करने का काम किया। और इस तरह से रामपुर राज्य द्वारा दिया गया पैसा हमने काम का बनाना चाहा तो शिकायत क्या ? तो यह तो अक्ल की बात की गई है। शर्म की इसमें कोई बात नहीं है। व्यापार अकेले लाभ का नाम नहीं है।

एक भाई ने कहा कि हैन्डीक्राफ्ट्स में हमेशा आग लग जाती है। हैन्डीक्राफ्ट्स में हमेशा आग लगती है यह कहना गलत है। कहा गया कि उसमें बड़ा भारी गोलमाल था इसलिये आग लगा दी गई। असल में बात यह है कि वह लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन की इमारत है जहां माल रहता है। वह पुरानी इमारत है जहां बरसात का पानी भी छत से आ जाता है और उसका नतीजा यह हुआ कि जो बिजली के तार थे वे सड़ गये और उसके कारण शार्ट सरकिटिंग हुआ और आग लग गई। उनसे कई साल से कहा जा रहा था कि इस इमारत की मरम्मत करा दें, बहुत दिन से बात चल रही थी। अब जाकर बड़ी मुश्किल से राजी हुये हैं उसकी मरम्मत कराने के लिये। इसलिये वह दिक्कत भी थोड़े दिनों में दूर हो जायगी। हमने अपने विशेषज्ञों को आग लगने के कारणों को जानने के लिये भेजा, उनका भी यही कहना था कि दीवारों की सीलन से बिजली के तार खराब हुये और शार्ट सरकिटिंग से ही आग लगी। हैन्डीक्राफ्ट्स के नफे नुकसान की बात कही गई। हैन्डीक्राफ्ट के पीछे

जो योजना है, जो एक गांव के लोगों को काम देने का सिलसिला है, जो एक उद्योग को उठाने का सिलसिला है, जो बाजार में हाथ के काम को पहुंचाने और फैलाने का सिलसिला है उसके पीछे जो भावना है उसे हमें अपने ध्यान में रखना है और उसके द्वारा जो लाखों रुपए का काम हो रहा है उसको अगर हम अपने सामने रख कर सोचेंगे तो हम समझेंगे कि उसके द्वारा हम प्रदेश के गरीब लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं। हजारों गरीब बुनकर, जिनके लिये कोई काम नहीं था, आज इस काम में लगे हुये हैं। सन् १९४८-४९ में हैन्डलूम के द्वारा कुल ६.२३ लाख रुपए का उत्पादन होता था और अब ३१ दिसम्बर, १९५८ को हमारे यहां करीब करीब ३७६.२० लाख रुपए का उत्पादन हुआ है। अमौसी अड्डे पर हैन्डीक्राफ्ट्स इम्पोरियम की एक शाखा खोलने की बात है। हमारा ध्येय यह है कि वहां पर विदेशी और बड़े लोग आते हैं, थोड़ा सा समय उनको मिलता है, वह हमारे यहां की बनी हुई चीजों को देखें और हमें उनसे अपने यहां की चीजों को खरीदने के आर्डर भी मिलेंगे और प्रचार भी होगा। हमें इस तरह का सुझाव आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड ने दिया कि हम अपने यहां इस तरह की हैंडलूम की दूकानों को अमौसी में और दूसरी जगहों में रखें। उनका यह भी कहना है कि इस पर जो भी खर्च होगा वह बोर्ड देगा, १०० प्रतिशत वह खर्च देंगे। जिन चीजों को बेचने के लिये हमारे कारीगर गलियों में ठोकरें खाते थे वह अब आसानी से बिक सकेंगी। अगर उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा भी तो वह पास का नहीं, प्रदेश के टैक्स का भी वह पैसा नहीं होगा, बल्कि वह भी हम दूसरों से लेकर ही खर्च करेंगे। तो यह तो अच्छा ही किया गया। इसमें कोई बुराई नहीं की गई है।

एक बात और कही गई कि शायद हम पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ कम ध्यान देते हैं और वहां जो बड़ी सम्भावना है मैग्नेसाइट हो, तांबा हो, या लोहा हो उसकी तरफ नजर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह शिकायत उचित नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो तीन साल पहले एक अलग डायरेक्टोरेट बनाकर इस काम को देखने की शुरुआत की। मैग्नेसाइट कितना आर्थिक तरीके से वहां से लाया जा सकता है उसकी जांच हो रही है। प्रास्पेक्टिंग के लाइसेंस भी दिये जा चुके हैं। इस भवन में उनका जवाब भी हो चुका है और भवन के सारे सदस्यों को मालूम है कि उस पर प्रास्पेक्टिंग का काम चालू होगा। अभी यह देखा जायगा, क्योंकि यह काफी नहीं है कि विन्सर में थोड़ा लोहा मिला है, बगेश्वर में थोड़ा सा मिला है। देखना यह है कि कितनी चीजें मिलती हैं और उनको ठीक ढंग से लाकर, इकानामिक कास्ट पर लाकर, जहां उनकी खपत होती है वहां दी जा सकती हैं या नहीं।

कर्जा देने की नीति के सम्बन्ध में मैं केवल यह कहूंगा कि हमने जो स्माल स्केल फाइनेंस कारपोरेशन बनाया उसके सम्बन्ध में कहा गया कि राजनीतिक लोग उसमें न रहें। उन्होंने कहा कि मैं और वह साथ साथ पढ़े हैं और जितनी किताबें यहां से छपती हैं उनको वह पढ़ते हैं। मैं कहूंगा कि फाइनेंस कारपोरेशन की जो योजना है उसमें नान-आफिश्यल लोगों के होने की योजना है ही नहीं। उसमें तो फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, इस तरह के लोग होते हैं। १२.५० लाख रुपया उसका शेयर कैपिटल है। उसके जरिये से हम छोटे उद्योगों को बढ़ायेंगे। वस्तुओं के निर्मित करने के सिलसिले में ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि उनके व्यापार के सिलसिले में हम छोटे उद्योगों को मदद दें और कर्जा और लोन देकर उनकी सहायता करें और उनके जरिये से मार्केटिंग का इंतजाम करें। तो १२.५० लाख रुपया लिया है, लेकिन जैसे जैसे इस मांग के लिए वृद्धि की आवश्यकता होगी हम कोशिश करेंगे वह वृद्धि देने में ताकि आप सब के सहयोग से उसमें सफलता हो।

एक बात यह कही गयी कि हमने कुछ लोगों को अल्मोड़ा में ७,००० रुपया गृह उद्योग के लिए दिया। कुछ राजनीतिक लोगों को, तो मैंने पूरी छान-बीन करायी। मैं विश्वास दिलाता हूं गोविन्द सिंह जी को कि एसी रकम हमारे यहां कोई नहीं दी गयी। हमारे यहां से

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

५,००० से अधिक अनुदान देने का नियम भी नहीं है, किसी को नहीं दे सकते और जब नहीं दे सकते तो उनको भी नहीं दिया। लेकिन यदि कोई निश्चित बात वह सामने रखें--उन्होंने एक अखबार की कटिंग दी है, उसको मैं और विभागों को भेज दूंगा और वह देखेंगे कि किसने और किस काम के लिए दिया, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय सदस्यों को जो एक बहुत बड़ा अधिकार है उसको न जानने के कारण इस लोन और ग्रांट के सिलसिले में उनको गलतफहमी होती है। कुछ लोन और ग्रांट जो इंडस्ट्रियल सब-कमेटी बनी हुई है वह देखती है। कहा जाता है कि हम तो अकेले उसमें पड़ जाते हैं और कांग्रेस वाले बहुमत में हैं उन्हीं की बात सुनी जाती है। कांग्रेस दल का बहुमत जो इस प्रदेश में और देश के अन्य प्रदेशों में भी है उसको मैं अल्प-मत में तो परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी के असर की बात अगर होती है तो उन माननीय सदस्य को स्वयं सोचना चाहिए कि वह उसको स्वीकार न करें। जहां तक बैठकों का सम्बन्ध है कि नहीं बुलायी जातीं, तो जैसा कि मैंने कल कहा था और अब भी कहता हूं, इस तरह की शिकायतों की हम निश्चित रूप से जांच करेंगे और देखेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंडस्ट्रियल सबकमेटीज की मीटिंग्स बुलाने के लिए निश्चित आदेश इधर उधर हमने दिये हैं और फिर देंगे। जो रुपया कहीं दिया गया और उसका उपयोग ठीक नहीं हो रहा है तो बजाय इसके कि सारे प्रदेश के लोगों को जिन्होंने रुपया लिया है सबको उस गलत प्रथा के अन्दर लिया जाय, जो खराब लोग हैं हमको उन्हें छांटना चाहिए और इसके लिए मेरी सबको दावत है कि वह इसमें हमारा सहयोग दें।

कहा गया कि किछा की फैक्टरी बनी भी नहीं, उसको रुपया दे दिया। दान सिंह को ४० लाख रुपया दिया गया, यह सही है, लेकिन वह रुपया सेंट्रल बैंक में अब भी पड़ा हुआ है जिसको दान सिंह अब तक आपरेट नहीं कर सके। जब रुपया दिया गया था तब उम्मीद थी कि फारेन एक्सचेंज की डिफिकल्टी नहीं आयेगी, लेकिन उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने फारेन एक्सचेंज की रोक लगा दी। उनका जो आर्डर था विदेशों में वह हो चुका था। वह कुछ ऐडवांस भी दे चुके थे, लेकिन जितने फारेन एक्सचेंज की जरूरत थी केन्द्रीय सरकार से वह मिला नहीं। तो हमने जो रुपया दिया था वह हमने रोक रखा है जब तक कि उनकी असेट्स न हो जायं और वह उन असेट्स को हमें मारगेज न कर दें तब तक वह हम उन्हें नहीं देंगे। तो उनको छोड़ा नहीं गया और अगर बोलने का शौक हो तो मैं किसी को नहीं रोकता। अगर किसी उद्योगपति को कुछ कह सुन देने से नाम बढ़ता हो तो मैं उसको रोकता नहीं, लेकिन मेरा काम तो वस्तु स्थिति का निवेदन करना है और वह मैंने कर दिया है। न इसमें किसी को धोखा देने की बात है और न फायदा उठाने वाली बात है। इसीलिये दानसिंह जी की अनुपस्थित में हमारा यह कर्तव्य था कि मैं स्थिति को स्पष्ट कर देता।

मान्यवर, एकाध बातें और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। हमारा यह दावा नहीं है कि हमारे विभाग से गलतियां नहीं हो सकती हैं। उद्योग विभाग में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ यही निवेदन है कि जिन गलतियों को माननीय सदस्य जानते हैं निश्चित समय और निश्चित व्यक्ति के सम्बन्ध में आरोप लगाकर हमारे सामने लायें तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे।

सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में हमारी माननीय सदस्यों को दावत है कि वे आवें, लोगों को उठावें, योजनाओं को हमारे सामने लावें और जहां तक हमारी स्थिति है, जो हमारी सम्भावनायें हैं, उसमें हम कभी सहायता देने में भी कोताही नहीं करेंगे। राजनीति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर उद्योग बढ़ेंगे, अगर कपड़ा अधिक बनेगा तो वह किसी राजनीतिक दल विशेष का कपड़ा होने वाला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन हमारी इस भावना का आदर करेगा और इस हमारे बुलावे को स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन हमारी मांग को स्वीकार करेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि यह ४० लाख रुपया जो सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है वह बेकार पड़ा हुआ है उसको वह वापस क्यों नहीं ले लेते ।

श्री अध्यक्ष––ठीक है । आपका सुझाव है । मंत्री जी ने सुन लिया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––७ वर्ष पहले से सुझाव इस बात का दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––ठीक है तो वे नोट कर लेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा––अभी माननीय उपमंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि वे पढ़ कर नहीं आते । अभी उन्होंने ढाई करोड़ किलोवाट की जगह ढाई करोड़ यूनिट कहा ।

श्री अध्यक्ष––ठीक, उन्होंने फौरन गलती स्वीकार कर ली और जब कोई गलती स्वीकार कर ले तो उसको रगड़ना नहीं चाहिये ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कभी करने के उद्देश्य-नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

औद्योगिक विकास की योजनायें समाजवादी आधार पर नहीं चल रही हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर शक्तिशाली हो रहा है तथा ग्रामीण तथा छोटे उद्योग मुरझा रहे हैं । अतएव योजना में संशोधन की आवश्यकता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ––

पक्ष में––४१,

विपक्ष में––११५ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । पब्लिक सेक्टर (राजकीय क्षेत्र) में उद्योगों की वृद्धि की मांग करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––इसके बाद श्री रामदास आर्य का प्रस्ताव है ।

श्री रामदास आर्य––मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, प्रस्ताव का अभिप्राय क्या है, जरा पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष––अच्छा । सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में पूंजी लगाने पर सुझाव देना । इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास---लेखा शीर्षक ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,४९,०५,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१३ मार्च, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर।)

सूची 'अ'

सन् १९५७–५८ में राज्य योजना के अन्तर्गत हरिजनों के मकान तथा कुंओं के निमित्त स्वीकृत धन की जिलेवार तालिका

नाम जिला	मकानों के लिये स्वीकृत धन	कुंओं के लिये स्वीकृत धन
१	२	३
	रु०	रु०
१—देहरादून	८,१००	१,०००
२—सहारनपुर	१२,५००	४,५००
३—मुजफ्फरनगर	५,०००	४,०००
४—मेरठ	८,०००	८,०००
५—बुलन्दशहर	७,५००	६,०००
६—अलीगढ़	६,०००	३,५००
७—मथुरा	२,०००	५,०००
८—आगरा	४,०००	६,०००
९—मैनपुरी	२,०००	४,०००
१०—एटा	१,५००	३,०००
११—बरेली	६,०००	४,०००
१२—बिजनौर	२,०००	२,०००
१३—बदायूं	४,०००	३,०००
१४—मुरादाबाद	६,०००	३,०००
१५—शाहजहांपुर	१,५००	२,०००
१६—पीलीभीत	१,०००	१,०००
१७—फर्रुखाबाद	२,०००	३,०००
१८—इटावा	१२,०००	२,०००
१९—कानपुर	४,५००	६,०००
२०—फतेहपुर	३,५००	४,०००
२१—इलाहाबाद	१९,५००	४,०००
२२—झांसी	१,०००	२,०००
२३—जालौन	२,०००	२,५००
२४—हमीरपुर	६,५००	५,०००
२५—बांदा	३,५००	५,०००
२६—बनारस	३,०००	५,०००
२७—मिर्जापुर	४,०००	४,०००
२८—जौनपुर	१,५००	२,५००
२९—गाजीपुर	२,०००	४,०००
३०—बलिया	१,०००	३,०००
३१—गोरखपुर	५,०००	७,०००

नाम जिला			मकानों के लिये स्वीकृत धन	कुंओं के लिये स्वीकृत धन
१			२	३
			रु०	रु०
३२—बस्ती ..	..	..	२,५००	९,०००
३३—आजमगढ़	..	..	४,०००	८,०००
३४—देवरिया ..	..	..	३,१२५	६,०००
३५—नैनीताल	..	..	१,०००	१,०००
३६—अल्मोड़ा	..	..	१,०००	२,०००
३७—गढ़वाल	..	..	१,६००	१,०००
३८—लखनऊ	..	..	१,५००	२,५००
३९—उन्नाव ..	..	..	२,५००	४,०००
४०—रायबरेली	..	..	३,१००	२,५००
४१—सीतापुर ..	..	..	५,५००	४,०००
४२—हरदोई ..	..	..	५,०००	६,५००
४३—खीरी ..	..	..	४,०००	६,०००
४४—फैजाबाद	..	..	४,५००	२,५००
४५—गोंडा ..	..	..	२,०००	४,०००
४६—बहराइच	..	..	२,०००	४,०००
४७—सुल्तानपुर	..	..	२,०००	३,०००
४८—प्रतापगढ़	..	..	३,०००	६,०००
४९—बाराबंकी	..	..	१,५००	७,०००
५०—टेहरीगढ़वाल	..	..	१,०००	१,०००
५१—रामपुर ..	..	..	१,०००	१,०००
	योग	..	१,९९,९२५	२,००,०००

सूची ब

सन् १९५७–५८ में केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों के मकानों तथा कुंओं के निर्माण हेतु स्वीकृत धन की जिलेवार तालिका

क्रम संख्या	नाम जिला	मकानों के लिये स्वीकृत धन	कुंओं के लिये स्वीकृत धन
१	२	३	४
		रु०	रु०
१—इलाहाबाद ..	.. ..	७५,०००	२४,७५०
२—आजमगढ़	.. ..	७५,०००	२५,५००
३—बस्ती ..	.. ..	७५,०००	२५,५००
४—गोरखपुर	.. ..	७५,०००	२४,७५०
५—हरदोई	.. ..	७५,०००	२४,७५०
६—जौनपुर	.. ..	७५,०००	२४,७५०
७—देवरिया	.. ..	७५,०००	२४,७५०
८—मेरठ ..	.. ..	७५,०००	२४,७५०
९—बाराबंकी	.. ..	७५,०००	२४,७५०
१०—सीतापुर	.. ..	७५,०००	२४,७५०
	योग ..	७,५०,०००	२,४९,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर ।)

न्यायालय	वर्ष १९५७		वर्ष १९५८	
	माल	फौजदारी	माल	फौजदारी
जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी करहल ..	..	..	११५	३८
जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, भोगांव ..	..	..	६८	१२
जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद जसराना ..	..	२७	..	१६	४२
योग ..		२७	..	१९९	९२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

खाना बदोश जातियों की सूची

१ बदक
२ खुरपलटा
३ मांगिया या मंग
४ बंजारा
५ मदारी
६ बहेलिया
७ कंजर या कुचबन्धा
८ सिंगीवाला
९ बुर्जी
१० औघर
११ वैद
१२ बेरिया
१३ भाट
१४ चमरमंगता
१५ जोगी
१६ किंगारिया
१७ महावत
१८ कालन्दर बक्कीर
१९ बौरिया
२० हाबुड़ा
२१ करवल
२२ नट या करनाटक
२३ कपेरा
२४ डोम
२५ जोगी
२६ करमगता
२७ बेलदार
२८ कौकाली
२९ गोसाई
३० गोदनहर
३१ लोना चमार
३२ बरवार
३३ सिक्लीगर
३४ कानमेलिया
३५ ब्रजबासी
३६ कालाबाजी
३७ मांतू
३८ कपरिया

संसद पुस्तकालय भवन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

तालिका

मैनपुरी जिले में डिप्टी एस० पी०, कम्प्लेन्ट द्वारा सन् १९५६, १९५७ व जुलाई, १९५८ तक की गई जांचों का वर्षगत व विभाग-गत विवरणपत्र

विभाग का नाम	जांच के लिये प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या			सही पाई गई शिकायतों की संख्या		
	१९५६	१९५७	१९५८ जुलाई तक	१९५६	१९५७	१९५८ जुलाई तक
पुलिस	६६	८८	५२	१८	३१	१५
राजस्व	६	४	५	३	३	३
चिकित्सा व स्वास्थ्य.. ..	३	२	—	३	२	—
स्वायत्त शासन वि० (जिला बोर्ड)	१	—	—	१	—	—
नियोजन विभाग	६	३	४	४	२	१
हाइड्रोइलेक्ट्रिक व सिंचाई ..	३	३	४	१	२	३
आबकारी	२	२	—	१	२	—
सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	—	१	—	—	१	—
योग ..	८७	१०३	६५	३१	४३	२२

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

नक्शा तहसीलवार जिला इटावा, व आगरा जिले में हेल्थ विभाग द्वारा घी, अजवाइन, कड़ुवा तेल, मिठाई, दूध, आटे की मिलावट के केसों की संख्या जो कि मई सन् १९५७ से जून सन् १९५८ तक चलाये गये और उनमें क्या-क्या जुर्माना हुआ

नाम तहसील	घी	अजवाइन	कड़ुवा तेल	मिठाई	दूध	आटा	क्या कार्यवाही हुई	दवाइयां	क्या कार्यवाही हुई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
जिला इटावा									
तहसील इटावा ..	—	—	१	—	३	—	दो केसों में १९० रु० जुर्माना हुआ और एक छोड़ दिया गया और एक का नतीजा अभी मालूम नहीं हुआ ।	—	—
तहसील भर्थना ..	१	—	३	—	—	—	तीन केसों में ३९० रु० जुर्माना हुआ और एक का नतीजा अभी मालूम नहीं हुआ ।	—	—
तहसील विधना ..	—	—	२	—	१	—	दो केसों में २५ रु० जुर्माना हुआ एक का नतीजा अभी मालूम नहीं हुआ ।	—	—
तहसील औरैया ..	—	—	१	—	२	—	एक केस में २० रु० जुर्माना और दो केसों का नतीजा अभी ज्ञात नहीं हुआ ।	—	—
इटावा (नगरपालिका) ..	—	—	३	—	२८	—	२१ केसों में २२१० रु० जुर्माना हुआ और साथ-साथ इनमें से	—	—

नाम तहसील	घी	अजवाईन	कड़ुवा तेल	मिठाई	दूध	आटा	क्या कार्यवाही हुई	दवाइयां	क्या कार्यवाही हुई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							२ केसों में ६ महीने और एक महीने की कड़ी सजा भी दी गई । दो केस छोड़ दिये गये और ८ केसों का नतीजा अभी मालूम नहीं हुआ ।		
औरैया (नगरपालिका) ..	–	–	–	–	७	–	इन केसों में २९५ रु० जुर्माना हुआ	–	–
				जिला आगरा					
तहसील आगरा व नगरपालिका	१७	–	७	१२	२८०	२	२१२ केसों में ३६,०७२ रु० जुर्माना हुआ इनमें से १२ केसों में कड़ी सजायें भी हुई। (जिला आगरा) ७ केस फाइल कर दिये गये । २२ केस छोड़ दिये गये। और ७७ केसों का नतीजा अभी ज्ञात नहीं हुआ ।	१६	तेरह केसों में ५९० रु० जुर्माना हुआ। एक छोड़ दिया गया और दो का नतीजा अभी ज्ञात नहीं हुआ ।
तहसील एतमादपुर ..	२	–	–	–	३	–	इनमें सबमें ४८५ रु० जुर्माना हुआ	–	–
तहसील फतेहाबाद ..	–	–	१	–	१	–	अभी नतीजा मालूम नहीं हुआ	–	–
तहसील बाह ..	–	–	२	७	२	२	इनमें ९६५ रु० जुर्माना हुआ	–	–
तहसील खैरागढ़ ..	–	–	२	–	–	–	इनमें १०० रु० जुर्माना हुआ	–	–
तहसील फिरोजाबाद ..	–	–	३	–	२	–	इनमें ३९० रु० जुर्माना हुआ	–	–
तहसील किरावली ..	१	–	३	–	१	–	इनमें १,३२० रु० जुर्माना हुआ	–	–

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११ एल० ए०—१९५९—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल